खण्ड-362, अंक-6
शुक्रवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1905
(25 मार्च, 1983 ई0)

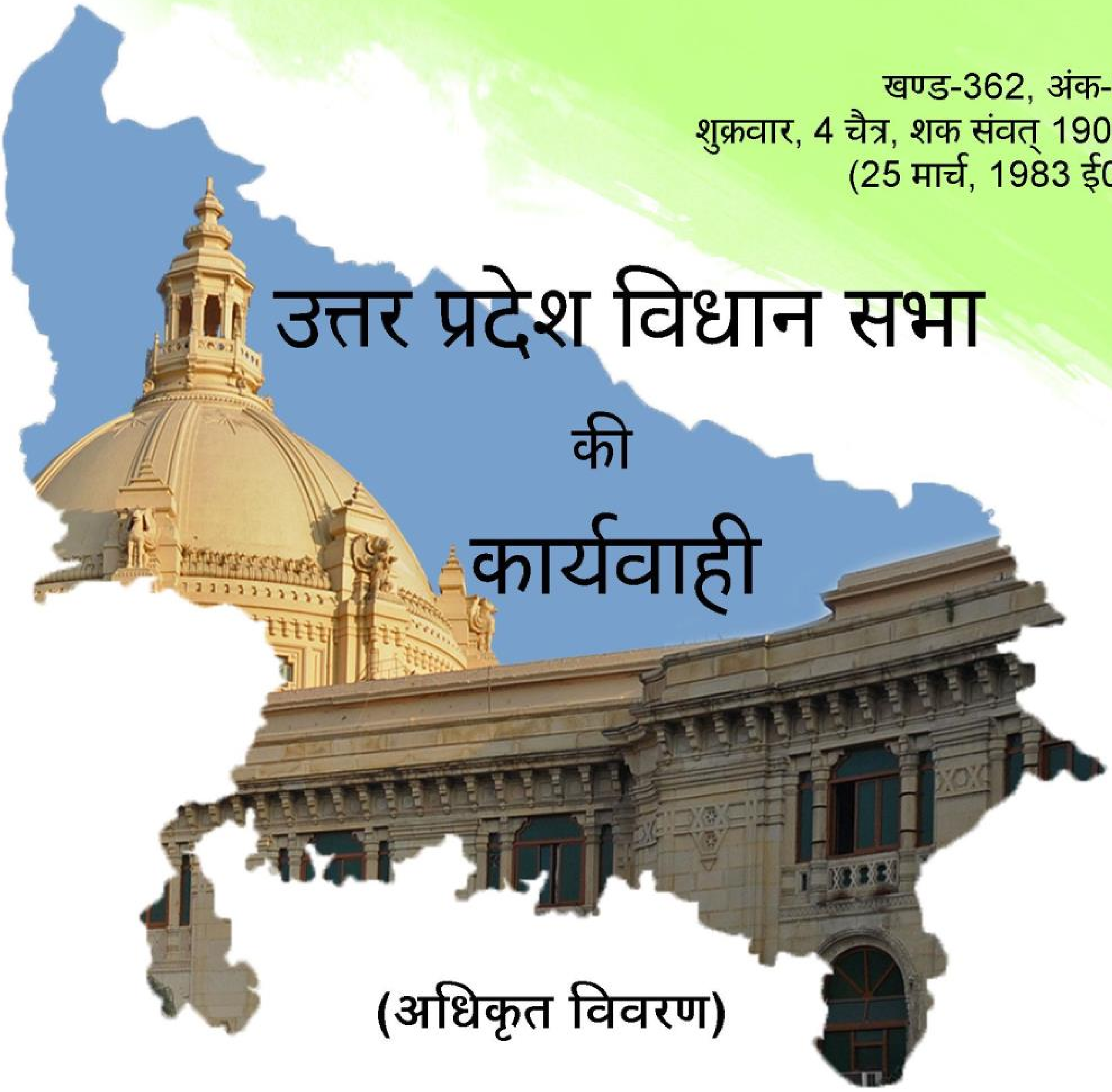

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | ... | 813-818 |
| प्रश्नोत्तर | ... | 819-866 |
| लोक सेवा आयोग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रोन्नति किये जाने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अलावा अन्य की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 867 |
| महाधिवक्ता कार्यालय (इलाहाबाद) में हो रही हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 867 |
| माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षाएं प्रारम्भ होने के बाद संस्थागत छात्रों के केन्द्र परिवर्तन से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 868 |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिलों द्वारा गन्ना की पिराई न करने के विरोध में श्री हर्ष वर्धन सिंह द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 868 |
| बुढ़ाना गन्ना सहकारी समिति (मुजफ्फरनगर) के अधिकारियों द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | .. | 869 |
| विकास नगर देहरादून में निर्बल लोगों की भूमि को मण्डी समिति हेतु बलात् अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 869 |
| नादरगंज (लखनऊ) निवासिनी कु० तारा देवी जोशी के अपहरण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | ... | 870 |
| दिनांक 24 मार्च, 1983 को दर्शक दीर्घा से पर्चे फेकने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न | ... | 870 |
| बाल्टी बाबा, अध्यक्ष राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा प्रबंध निदेशक को पीटे जाने एवं अध्यक्ष विधान सभा को सम्मोहित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न | ... | 874 |
| श्री हर गोविन्द वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद के सदन से निलम्बन की शेष अवधि को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) | ... | 875 |

| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (अध्यक्षों द्वारा समुन्नति प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) | ... | 876 |
| उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 (सदन के पटल पर रखा गया) | .. | 876 |
| पारितोषिक चिट और धन परिचालन योजना (रोक) उत्तर प्रदेश नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी) | ... | 877 |
| भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) | ... | 877 |
| भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 (सिविल) एवं वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 1980-81 (सदन के पटल पर रखे गये) | .. | 877 |
| 29 सितम्बर, 1977 के कानपुर में हुए शिया सुन्नी दंगे की एकल सदस्यीय रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने पर आपत्ति | ... | 877 |
| 29 सितम्बर, 1977 को कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे की एकल सदस्यीय रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) | .. | 878 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर | .. | 879 |
| उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (विधेयक संशोधन), 1983 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) | .. | 879 |
| उतरौला-तुलसीपुर मार्ग के राप्ती नदी पर पिपरा घाट पर पुल बनाने के संबंध में याचिका | ... | 879 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 4 से 6 अप्रैल तक के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव (स्वीकृत) | ... | 879 |
| श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना | .. | 880 |
| कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं | .. | 881—885 |
| 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 14 गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) | ... | 886—908 |
| अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) | ... | 909—921 |

| विषय | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग (स्वीकृत) | ... | 922 |
| अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा और अन्य व्यय) (स्वीकृत) | ... | 923 |
| अनुदान संख्या 48—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) (स्वीकृत) | ... | 923 |
| अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) | ... | 924 |
| अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) | ... | 924 |
| अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) | ... | 924 |
| अनुदान संख्या 52–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) | ... | 925 |
| अनुदान संख्या 60–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) | ... | 925 |
| अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) | ... | 925 |
| अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) | .. | 926 |
| अनुदान संख्या 63—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) | ... | 926 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 1983 (पारित) | .. | 926—936 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं | ... | 937 |
| ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली जनपद वाराणसी में हरिजनों को परेशान किये जाने के संबंध में वक्तव्य | ... | 937—940 |
| सी० पी० एम० टी० परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद एम० बी० बी० एस० कोर्स में प्रवेश न दिये जाने के संबंध में वक्तव्य | ... | 941—944 |
| प्रदेश सभी चिकित्सालयों में नाइट्रस आक्साइड और आक्सीजन गैस की कमी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य | .. | 945—947 |
| उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऐशबाग विद्युत गृह लखनऊ को बन्द किये जाने का निर्णय लिये जाने के संबंध में वक्तव्य | ... | 948—949 |
| विष्णु स्ट्राबोर्ड फैक्ट्री, मोती नगर, फैजाबाद के अनेक मजदूरों को निकाल दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | .. | 950 |
| जनपद मेरठ के ग्राम जई में तीन व्यक्तियों को जिन्दा जलाये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | ... | 951—952 |
| नत्थियां | ... | 953—954 |

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

### उपस्थित सदस्य—369

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमान श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अनमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित) (आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मनन सिंह श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूँ)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगुवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकबी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)

धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागो लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)

महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)

यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापूर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रूखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
रामनरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)

राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्रा, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा0 (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूँ)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूँ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)

सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 25 मार्च, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्रासुमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## ग्राम गदनखेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के निवासियों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री भीखा लाल—

*1 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दि0 20-10-82 का उनके ग्राम गदनखेड़ा, तह0 हसनगंज, जिला उन्नाव के निबासियों के शिकायती प्रार्थना-पत्र दि0 19-6-75 के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि श्री ज्ञान चन्द्र जैन, उप आयुक्त, राजस्व परिषद ने जांच की और शिकायत सही पाई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने और फर्जी इन्दराज सही करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

जी हाँ ।

इस सम्बन्ध में श्री ज्ञान चन्द्र जैन उप आयुक्त, राजस्व परिषद् द्वारा कोई जाँच किया जाना प्रतीत नहीं होता । राजस्व परिषद् के तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी श्री बाबू राम गुप्त द्वारा जांच किया जाना पाया जाता है । जांच में पाया गया था कि चकबन्दी अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि के आधार पर परगनाधिकारी द्वारा धारा 33/39 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत अमलदरामद का आदेश दिया गया । परगनाधिकारी ने इस कार्यवाही में गांव सभा को पार्टी नहीं बनाया । यह भी पाया गया कि चकबन्दी अधिकारी के जिस निर्णय की प्रति दाखिल की गई थी उसकी पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में दाखिल नहीं की गई और चकबन्दी अधिकारी के मिसिलबन्द रजिस्टर में भी उसका उल्लेख नहीं है । सम्बन्धित परगनाधिकारी श्री राधेश्याम पाठक, के विरुद्ध कार्यवाही की गई । इसी बीच श्री राधेश्याम पाठक की मृत्यु हो गई । गलत अमलदरामद निरस्त कराने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् ने जिलाधिकारी को धारा 218 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निदेश दिया, परन्तु जिला स्तर पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत गांव सभा की ओर से मुकदमा दायर कराने की कार्यवाही की गई ।

श्री भीखा लाल—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर से मालूम होता है कि इसमें बहुत बड़ी जालसाजी की गयी है क्योंकि जिस आदेश के आधार पर परगनाधिकारी के यहाँ अमलदरामत का आदेश दिया गया उसकी न पत्रावली है, न सी0 ओ0 के मिसिलबन्द रजिस्टर में उसका उल्लेख है क्योंकि वहां चकबन्दी की वारा 52 का प्रकाशन 1965-66 में हो चुका था । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने एक जाली सी0 ओ0 का आदेश अदालत में दाखिल करके माल

के अधिकारियों और सी0 ओ0 को धोखा दिया और अमलदरामद करा लिया, उसके खिलाफ क्या मंत्री जी फोरजरी का मुकदमा दर्ज करायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, इसकी फिर से छानबीन की जायेगी और लोग दोषी हैं इसमें शक नहीं है, लेकिन विधिवत ही उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जायेगी ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, उत्तर के पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि इस गलत अमलदरामद निरस्त कराने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी को धारा 218 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निदेश दिया, लेकिन यह कार्यवाही नहीं हुई, जिलाधिकारी ने ग्राम्म समाज को निर्देश नहीं दिया कि मुकदमा दर्ज करायें बल्कि स्वत: ग्राम समाज ने मुकदमा दर्ज किया, तो वह गलत इंदराज, जिसको मंत्री जी ने स्वीकार किया, अब भी बरकरार है, इसलिये क्या पुन: जिलाधिकारी को आदेश देंगे कि धारा 210 की कार्यवाही करके अमल-दरामद को खारिज करायें ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, राजस्व परिषद को 22-3-83 को स्पष्ट निर्देश भेज दिये हैं कि वह अनियमित अमलदरामद को निरस्त कराने और दोषी कर्मचारियों को दंडित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, उत्तर से प्रतीत होता है कि एक एस0 डी0 एम0 पाठक थे जो दोषी पाये गये थे लेकिन उनका देहान्त हो गया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि और कौन-कौन कर्मचारी अब तक दोषी पाये गये हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये मंत्री जी ने राजस्व परिषद को आदेश दिया है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परगनाधिकारी के अतिरिक्त उसमें नायब तहसीलदार भी दोषी है, उन्होंने गलत रिपोर्ट कर दी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर परगनाधिकारी ने अमलदरामद करा दिया, तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ।

## झाँसी जनपद के ग्राम पठाकरका तथा भदरवारा में पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा को

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

*2 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के मऊरानीपुर तह0 में ग्राम पठाकरका तथा भदरवारा में 5 वर्ष पहले सीलिंग भूमि के हरिजनों को पट्टे दिए गये थे तथा पट्टेदारो के नाम चक भी बने हैं एवं पट्टेदारों से लगान भी वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि पट्टेदारों को कब्जा भी अब तक नहीं दिलाया गया है ?

श्री रामनरेश शुक्ल—

वर्ष 1977 में झांसी जनपद के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम पठाकरका में 37 अनुसूचित जाति तथा 8 अन्य जाति, तथा ग्राम भदरवारा में 8 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टे दिये गये थे। पट्टेदारों के नाम चक भी बने हैं। पट्टेदारों द्वारा लगान जमा किया जाता है। वर्ष 1977 में हुए पट्टों के अनुसार पट्टेदारों को कब्जा दिया गया किन्तु नियत प्राधिकारी (सीलिंग) के निर्णय दिनांक 6-3-80 के अनुसार मूल खातेदार श्री धर्मपाल सिंह की पूर्व में अतिरिक्त घोषित 32·70 एकड़ में 19·62 एकड़ भूमि की कमी किए जाने से उक्त खातेदार ने 19.62 एकड़ भूमि, जिसके पट्टे किये जा चुके थे, पर कब्जा कर लिया है इसके कारण 12 पट्टेदार पूर्णरूप से तथा 5 पट्टेदार आंशिक रूप से प्रभावित हुए। शेष पट्टेदार आवंटित भूमि पर काबिज है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय मंत्री जी स्वयं एक विद्वान् वकील हैं। यह पठाकरका ग्राम में श्री धर्मपाल सिंह जी की जो सीलिंग की भूमि निकली थी 32.70 एकड़, उस 32.70 एकड़ भूमि का किसानों को पट्टा हुआ था। फिर उन्होंने सीलिंग में मुकदमा दायर किया, फिर 32.70 एकड़ जमीन में 19 62 एकड़ में इनको काबिज माना, फिर हाईकोर्ट में अपील की गई और फिर से उनसे विचार करने के लिए जिले में वापस कर दिया। तो जिस भूमि का इन किसानों को पट्टा दिया गया था, क्या वही जमीन, 19.62 एकड़ जमीन पर इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है ? क्यों कर लिया है ? और जब तक इसका अन्तिम फैसला नहीं हो जाता है, तब तक जिनको पट्टे दिये गये हैं, उन्हीं को काबिज मानने के लिए आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

इसमें स्थिति इस प्रकार है, भूमि अतिरिक्त घोषित हुई और उसके खिलाफ खातेदार ने अपीलीय न्यायालय में—डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील की, लेकिन वहाँ इनकी अपील खारिज हो गई। फिर वह हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने उसका रिमाण्ड कर दिया नियत प्राधिकारी के पास और कुछ बिन्दुओं के साथ उन्होंने रिमाण्ड किया, जैसे उसमें मेम्बरों की तादाद और भूमि सिंचित थी असिंचित थी। फिर जब नियत प्राधिकारी के पास आया, तो उसने उनको 19.62 एकड़ का लाभ दे दिया। फिर सरकार ने और खातेदार दोनों ने नियत प्राधिकारी के खिलाफ अपील की इसमें सरकार की अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया और खातेदार की अपील को आंशिक रूप से मान लिया और 4.94 एकड़ का फिर दुबारा लाभ दे दिया, तो इस प्रकार अब इसके खिलाफ भी सरकार जो है, उच्च न्यायालय में रिट करने को सोच रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी न्यायालय की अंतिम कोई प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी मामला डिस्प्युटेड है, तो क्या इन 17 पट्टेदारों को डिस्पजेस कर दिया

गया है, उनके पट्टे उनसे ले लिये गये हैं ? अगर ले लिये गये हैं, तो जब तक अंतिम निर्णय न हो जाय, उस वक्त तक उनको दुबारा पट्टे दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, डिस्पजेस हो गये हैं, उसमें जो आर्डर है, उसमें यह है कि जो पूर्व स्थिति थी, वह हो जानी चाहिए थी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि यह जो 32.70 एकड़ जमीन है, इसमें दो प्रकार की जमीन है, एक बिलकुल रोकड़ और एक खेती योग्य है, 19.62 एकड़ जमीन जो है, जिनको पट्टे किये गये थे, उन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, क्या आप ऐसी कार्यवाही करेंगे कि इनको शासन जो है, इनको इतनी जमीन निकाल कर दे दें, लेकिन वह जमीन निकाल कर दें, जो कि पहले से इनके कब्जे में थी । तो क्या इस प्रकार की कार्यवाही आप करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, सीलिंग ऐक्ट में यह प्राविधान है कि खातेदार की च्वायस माननी पड़ेगी, तो खातेदार जिस जमीन को छोड़ेगा, उसी को हम ले सकेंगे ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, उनके अनुसार अदालत के आदेश से पूर्व स्थिति फिर कायम कर दी गयी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो काश्तकारों को, आबंटियों को कब्जा दिया गया था, वह हटा दिया गया । क्या आबंटियों के पट्टे भी निरस्त कर दिये गये, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, पट्टे तो निरस्त करने की कोई प्रक्रिया हुई नहीं, जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया और वह गाँव चकबंदी में चला गया, अभी तक कागज में इन्ट्री काश्तकारों के नाम ही हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, ग्राम भदरवारा में जो आपने यह सूचना दी है कि 8 अनुसूचित आदमियों को सीलिंग के अन्तर्गत पट्टे किये गये थे, मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि जिनको पट्टे किये गये थे, अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया । मान्यवर, मेरे द्वारा और इनके द्वारा भी जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र दिये गये, मान्यवर, पट्टे तो इनके नाम हैं, लेकिन न ये फसल बो पाते हैं और न ये किसी प्रकार से काबिज हैं । तो मेरी जानकारी को सही मानकर क्या इसकी जाँच जिलाधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, सूचना के अनुसार तो कब्जा है, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं, तो मैं फिर से उसकी जाँच करा लूंगा ।

## सहकारी गन्ना समिति संघ से शिष्ट मंडल को विदेश भेजने का संकल्प, प्रतिनिधियों का चयन तथा धनराशि का प्राविधान

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—(अनुपस्थित)

*3 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना किसान प्रतिनिधि की हैसियत से करीब एक दर्जन लोगों का कोई शिष्ट मण्डल विदेशी जा रहा है ? यदि हाँ, तो जाने का उद्देश्य क्या है ? किन-किन देशों में लोग जा रहे हैं ? तथा इन तथाकथित गन्ना किसान प्रतिनिधियों के चयन का आधार क्या है ? इस यात्रा के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

शासन स्तर से किसी शिष्ट मंडल को विदेश भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ से प्राप्त सूचनानुसार उनकी प्रबन्ध कमेटी ने दिनांक 16-10-82 को प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा प्रबन्ध कमेटी के 12 सदस्य एवं अध्यक्ष, गन्ना संघ तथा प्रबन्ध निदेशक एवं अपर सचिव को सम्मिलित करते हुये 15 व्यक्तियों का शिष्ट मंडल विदेश भेजने का संकल्प पारित किया है। इस विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य गन्ने की खेती एवं चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में विकसित एवं प्रगतिशील देशों से ज्ञानार्जन कर प्रदेश के कृषकों को लाभ पहुँचाना दर्शाया है।

संघ द्वारा भ्रमण कार्यक्रम में निहित विकासशील देशों के चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रस्तावित शिष्ट मंडल में सम्मिलित गन्ना संघ के प्रतिनिधि एवं तीन अधिकारी हैं।

संघ ने इस यात्रा के लिये 5 लाख रुपये का प्राविधान किया है। किन्तु शासन द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है।

(शुक्रवार दिनांक 25 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

1 श्री हरगोविन्द वर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

## जनपद सहारनपुर की इकबालपुर मिल में तौल कांटों के नवीनीकरण की मांग।

श्री रामस्वरूप निम—(अनुपस्थित)

*2 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में एकबालपुर में चीनी मिल में लगे तौल के कांटे कितने वर्ष पुराने हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त मिल से किसानों के गन्ने की अधिक तौल लेकर कम तौल के दाम दे रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नए कांटे लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जनपद सहारनपुर में इकबालपुर मिल में लगे 35 तौले कांटों में 7 कांटे वर्ष 1974-75 से 1981-82 के बीच नये खरीदे गये हैं और 10 कांटों का वर्ष 1972-73 में नवीनीकरण कराया गया है। शेष कांटे इससे पुराने हैं परन्तु सभी तौल कांटों का प्रत्येक वर्ष बाँट तथा माप विभाग से शुद्ध प्रमाणीकरण नियमित रूप से करा लिये जाने के पश्चात् ही उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। गन्ने की अधिक तौल लेकर कम तौल के दाम देने सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

*3 श्रीमती गौरी देवी—

[20वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति हेतु धनराशि की कमी

श्री रियासत हुसैन—

*4 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छठे पंच वर्षीय प्लान की प्रगति के लिए कितने रुपए की कमी पड़ रही है क्या इस सम्बन्ध में कोई नोटिस केन्द्रीय सरकार ने सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार क्या विचार कर रही है ?

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति के लिए रुपये की कमी नहीं पड़ रही है और केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना कितने की है, केन्द्र से आपको कितना मिला है, आपने अपने रिसोर्सेज से कितना जमा किया है ? क्या अपने रिसोर्सेज में कोई नया टैक्स, कोई नये तरीके से साधन जुटाने का कोई प्रोग्राम है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना 6,200,00 करोड़ रुपये की है। इसमें अपने संसाधन 3,920.96 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सहायता 2,279.04 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता मिलने की है। अभी तक हम लोग लगभग 1,050.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटा चुके हैं और यही अतिरिक्त संसाधन जुटाने का वायदा हमने केन्द्रीय सरकार से किया था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि छठीं पंचवर्षीय योजना के अंत में जैसा कहा गया है कि इस प्रदेश की आमदनी 5 परसेंट या साढ़े 5 परसेंट बढ़ जायगी। तो क्या इस बढ़ोत्तरी को देखते हुये ऐसा विश्वास है कि हम इसके टारगेट को पूरा कर लेगें ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, हम तो आशान्वित हैं, प्रयत्नशील हैं और यदि प्रकृति का सहयोग रहा तो अवश्य प्राप्त करेंगे, उससे ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की मूल छठीं पंचवर्षीय योजना कितने रुपये की थी जो केन्द्र को भेजी गयी थी जिसमें से 6 हजार 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुयी है। जो कटौती की गयी है क्या वह इसलिये की गयी है कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों को जुटाने में असमर्थता प्रकट की इसलिये योजना में कटौती हुयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

हमने मान्यवर, 9 हजार 6 सौ करोड़ रुपये की योजना बनाकर भेजी थी। योजना के दो हिस्से होते हैं। अपने संसाधन जुटाने होते हैं और केन्द्र सरकार से रुपया प्राप्त होता है। दोनों को इसमें देखना पड़ता है। केन्द्र सरकार अपने संसाधनों को व्यवहारिक रूप से देखती है और हमारे भी देखती है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी योजना है। 4 हजार 80 करोड़ रुपये की पिछली योजना को देखते हुये यह योजना 14 सौ करोड़ रुपये अधिक की है।

श्री रियासत हुसैन—

जो 3 हजार 4 सौ करोड़ रुपये की कटौती आपकी योजना में हुयी है तो उस संबंध में क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में जो निगम चल रहे हैं और बराबर घाटे में जा रहे हैं तो कटौती करने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह कटौती का मुख्य कारण तो नहीं कहा जा सकता। इसमें जो हमारे संशाधन हैं उनका वैल्यूयेशन किया जाता है और 5 वर्षों के अन्दर जो रुपया आवंटित किया जाता है वह 6 हजार 200 करोड़ है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना में यह निर्देश था कि इस समय जो 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनमें से 10 परसेंट लोगों को ऊपर उठायेंगे। लेकिन आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 60 प्रतिशत हो गयी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि योजना में कौन सी त्रुटि है जिससे 20 परसेंट ऊपर उठने के बजाय 20 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, यह इससे उठता नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो विभाग फिजूलखर्ची कर रहे हैं या धन का दुरुपयोग कर रहे हैं उन विभागों के बजट में आप कटौती करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये। तमाम जो 57-58 निगम हैं वह घाटे पर चल रहें। तो उनके

घाटे को पूरा न करके उनको अपने संसाधन जुटाने को कहेंगे और इस पैसे का उपयोग अपनी छठी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने में इस्तेमाल करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

माननीय सदस्य काफी अनुभवी सदस्य हैं । उनको मालूम होना चाहिये कि कोई भी विभाग जब अपनी बजट मांग प्रस्तुत करता है तो उसको नियोजन विभाग देखता है और वित्त विभाग में भी उसका परीक्षण होता है । हमारा प्रयास होता है कि फिजूलखर्ची न करने दें । दूसरी बात यह है कि जो हमारे निगम हैं उनके घाटे की पूर्ति हम करते हैं । उनमें घाटा न हो इस तरफ हम प्रयत्नशील हैं । हम साथ-साथ यह भी अनुभव करते हैं कि निगमों को कुछ सोशल आब्जेक्टिव प्राप्त करने होते हैं इसलिये भी उनमें घाटा होता है । हम उनमें कुशलता लाने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहूँगा कि 2 हजार 870 करोड़ रुपये के संसाधन आपको जुटाने हैं उनमें से 1 हजार 50 करोड़ के संसाधन आपने जुटा लिये हैं । तो जो आपको बाकी संसाधन जुटाने हैं उन संसाधनों को जुटाने में, आप अपने निगमों के घाटे के मुकाबले में इसकी पूर्ति करने को प्रायरिटी पर रखेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय विद्यमान सदस्य को मैं समझा नहीं पाया । 2 हजार 8 सौ करोड़ के संसाधन जुटाने हैं, अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाने हैं, अतिरिक्त संसाधन जितने जुटाने थे, जुटा लिये । निगमों का घाटा दूर करने के लिए, उनमें कुशलता लाने के लिए, हम प्रयत्नशील हैं ।

## सहकारी चीनी मिल बागपत के तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक श्री जी0 के0 कुमार द्वारा की गयी अनियमितताओं की जाँच

श्री नरेन्द्र सिंह—

*5 क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि श्री जे0 के0 कुमार, प्रधान प्रबन्धक सह0 चीनी मिल्स बागपत, जनपद मेरठ ने वर्ष 1981-82 में उक्त मिल का लाखों रुपया गोलमाल कर मिल्स को भारी क्षति पहुँचाई है ? यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी चीनी मिल बागपत के तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक, श्री जी0 के0 कुमार द्वारा की गई अनियमितताओं की सूचना पाकर तथा गन्ना किसानों से शिकायत मिलने पर उ0 प्र0 चीनी मिल संघ द्वारा जाँच की गई जिसके परिणामस्वरूप अनेक अनियमिततायें प्रकाश में आई । श्री कुमार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विधिक राय ले ली गई

है। साथ ही मामले के विस्तृत परीक्षण एवं जाँच हेतु जिलाधिकारी, मेरठ (प्रशासक किसान सहकारी चीनी मिल बागपत) द्वारा सेवा निवृत्त अतिरिक्त जिला जज, श्री एस0 के0 सक्सेना को नियुक्त कर दिया गया है। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल श्री कुमार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह ऐसा केस है, जो कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फैक्ट्रीज में किसी अधिकारी द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका मैं समझता हूँ, सबसे घृणित यह अपराध है। यह अधिकारी सहकारी चीनी मिल बागपत में था, इस मिल का इक्सटेशन किया गया था जिसमें 4 करोड़ से ऊपर की रकम लगती थी, वहां पर यह जनरल मैनेजर थे, बराबर इन्होंने वहाँ गोलमाल करना शुरू किया, बराबर उसकी शिकायतें किसान करते रहे, प्रशासन सोता रहा, इसके बाद वह इस्तीफा देकर विदेश चला गया, उसने वहां से आकर एक प्राइवेट कारखाना लगाया। मान्यवर, 1981-82 में किसानों ने बराबर शिकायतें इसके विरुद्ध भेजी, मान्यवर अनुमान है किसानों का 20+30=50 लाख रुपया इस अधिकारी ने खाया है। आम चर्चा मेरे क्षेत्र में यह है कि तत्कालीन जितने अधिकारी और गन्ना मन्त्री थे, वे सब के सब इस भ्रष्टाचार में इनवाल्वड थे, इस पर अभी तक चर्चा फैली हुई है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने शुगर फैक्ट्रीज संघ द्वारा जांच करा ली है, यह आपने उत्तर में बताया, लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन उसमें ले ली है, क्या उस जे0 के0 कुमार भूतपूर्व प्रधान प्रबन्धक के खिलाफ कोई इम्बेलेजमेंट और फोरजरी के कोई केस, क्रिमिनल, आफेन्स, इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमान् मेरे उत्तर से स्पष्ट है, उनके विरुद्ध जो भी शिकायतें मिली, वे त्याग-पत्र देकर नौकरी छोड़कर चले गये, उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ द्वारा उसकी जांच करायी गयी, जांच कराने के साथ ही उसकी विधिक राय ली गयी उसे पूरा करने के साथ ही उसकी जो कानूनी कमजोरियाँ नजर थी, उसके आधार पर प्रशासक रिटायर जज के द्वारा उसकी पूरी जानकारी करा रहे है, उनके पूरे केस पर विचार करके, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मैं बहुत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस केस में, ऐक्शन लेने में बहुत समय हो गया है, और वहां के किसान बेचेन हैं। मैं दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। पहली बात यह जानना चाहता हूँ कि जो जांच करायी गयी है, उसमें क्या तथ्य पाये गये हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि चूँकि वे त्याग पत्र देकर चले गये, अपना बिजनेस कर लिया, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है रिकवरी के बाबत, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जाय, जिससे उसकी निजी सम्पत्ति को अटैच कर लिया जाय, ताकि उसे वे ट्रांसफर न करने पाये, जिससे इम्बेलेजमेंट्स की रिकवरी की जा सके।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, उसके विरुद्ध आरोप-पत्र तैयार किये जा रहे हैं, आरोप पत्रों के आधार पर विधिक राय ली गई है। उसमें कुछ विशेष सलाह दी गयी है, उसी आधार पर तमाम प्रश्नों पर विचार करने के बाद, उनके विरुद्ध निश्चित तरीके पर कार्यवाही की जायेगी। इसके पहले उनकी सम्पत्ति कुर्क करना सम्भव नहीं है। जब तक आरोप सामने न आ जायँ।

श्री मेंहदी असगर—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी के पास जानकारी है कि उस अधिकारी ने कितने रुपये का गबन किया है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

इसकी तो जाँच की जा रही है।

श्री दलगंजन सिंह—

यह प्रश्न जो हमारे मित्र नरेन्द्र सिंह ने किया है इसने सरकार का एक्सपोजर कर दिया है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी को कितना पनाह देती है। मान्यवर 3-4 साल हो गया और इस समय मंत्री जी रिटायर्ड सेशन जज से जाँच करा रहे हैं। 2 रुपये की जेब काटता है उसके ऊपर तो तुरन्त कार्यवाही करके जेल भेज दिया जाता है लेकिन जिस अधिकारी ने इतना गबन किया और जाँच से दोष सावित हुआ और उसके पास आप से अधिक सम्पत्ति तो उसके विरुद्ध यह सरकार आज तक क्यों कार्यवाही नहीं कर सकी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री मित्र सेन—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन से बिन्दु है जो अनियमित पाये गये हैं और इस अधिकारी के खिलाफ कितने रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, जो गबन और गड़बड़ी की गयी है उसकी जाँच हो रही है। श्रीमन् इसमें सरकार रसम अदा नहीं करना चाहती है कि मुकदमा दर्ज करा दें और वह छूट जाय। इसमें विधिवत तैयारी की जा रही है उसको पूरा करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस अधिकारी के गबन और जालसाजी के आरोप सबसे पहले कब प्रकाश में आये क्या यह सही है कि जब यह कार्यरत था तब भी सरकार की जानकारी में यह बात थी और सरकार कुछ नहीं कर सकी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जो पहली शिकायत आयी उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री धर्मवीर सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। मंत्री ने कहा पापर्टी अटैच नहीं की जा सकती है। जांच चल रही है। चीनी संघ की जांच रिपोर्ट आ गई है। मैं जानता हूँ कि कुछ चार्ज लगे होगें। अगर कोई सीरियस चार्ज हैं, गबन के चार्ज है। तो इस आधार पर पापर्टी अटैच करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

जांच रिपोर्ट मेरे पास लम्बी चौड़ी है। जो विधिक राय है वह जनहित में सदन में बताना उचित नहीं है।

श्री भीखा लाल---

मैं जानना चाहता हूं, मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि इस प्रबन्धक ने कुछ अनियमितता की और गोलमाल प्रकाश में आया। पूरी जानकारी करा रहे हैं। यह तो निश्चित है कि गोलमाल हुआ तो इतने दिन तक इसको पुलिस में न दिये जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

मान्यवर, मैंने कहा कि सरकार रसम अदा नहीं करना चाहती है। अगर इसमें कामयाबी करना है तो पूरी तैयारी करनी होगी। इसकी विधिवत तैयारी की जा रही है और उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, किसान का 50 रुपया एरियर हो तो अमीन जाकर उसका सामान कुर्क कर लेता है। 3 वर्ष यह विदेश में रहा, बराबर घूम रहा है लेकिन सरकार कोई ऐक्शन में सक्षम नहीं है। मान्यवर यह तो मुझे मंत्री जी ने 4-6 महीने पहले भी बताया कि जांच करा रहे हैं। मैं एक निश्चित समय जानना चाहता हूँ कि कम से कम इतने दिन में, अभी मंत्री जी ने कहा एडीशनल जज बैठा दिया ? मान्यवर, इसमें कुछ कालापन है।

अब जज साहब बैठ गये इसमें, साल भर लगेगा, तो मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि कम से कम समय में कब तक उसे पूरा कर लेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

अविलम्ब प्रयास किया जा रहा है। महीने दो महीने में, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। वैसे जो आपत्ति हैं, तमाम हैं, उन पर कार्यवाही की जा रही है जिसे जनहित में बताया नहीं जा सकता।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

इस जांच की रस्म पूरी नहीं की जा रही बल्कि इसके पूर्व रस्म की जाती रही है। तो अब तक की जांच में कितने धन के बारे में आरोप आ गये हैं, इसे बता दें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

श्रीमन्, यह तो बता चुका हूँ।

*6 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

(18वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या--9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*7 श्री नन्दकिशोर सिंह

(दिनांक 18--3--83 के तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित)

बिक्री कर विभाग में संख्या सहायकों को तदर्थ रूप से मूल विभाग में वापस करने के अनुबन्ध के साथ नियुक्ति

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

*8 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री-कर विभाग में संख्या सहायक के पदों पर तदर्थरूप से इस प्रतिबन्ध के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था कि लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उन्हें उनके मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा, उनका तथा कम्प्यूटर के पदों से संख्या सहायकों के पदों पर पदोन्नत किये गये कर्मचारियों का कार्मिक अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 19--8--75 (1) का--दि0 14 मई, 1979 द्वारा विज्ञापित उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के रहते हुए अविज्ञापित बिक्रीकर सांख्यकीय कर्मचारी (तदर्थ) सेवा नियमावली के नियम 29 (सी) के अन्तर्गत अपर आयुक्त बिक्री-कर उ0प्र0 द्वारा पारित नियमितीकरण आदेश संख्या स्था--5 (क) सामान्य-12 नियमितीकरण/1825 एवं 1826 बिक्री-कर दि0 13--7--82 नियमानुकूल है ? क्या ऐसे अनिहार्य कर्मचारियों का बिना लोक सेवा आयोग से अनुमोदन कराए संख्या सहायक के पदों पर स्थायी किए जाने विषयक आदेश दि0 16--12--82 उचित है ? यदि नहीं, तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ। बिक्री कर विभाग में सात संख्या सहायकों को तदर्थ रूप से इस अनुबन्ध के साथ नियुक्त किया गया था कि जब लोक सेवा आयोग से इन पदों पर अभ्यार्थी उपलब्ध हो जायेंगे तो उन्हें मूल विभाग को वापस किया जा सकता है।

शासन इस मामले का परीक्षण कर रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रश्न दो भागों में बंटा है। एक तो 13--7--82 का आदेश और दूसरा 16--12--82 का, और सम्पूर्ण प्रश्न में विज्ञापित और अविज्ञापित नियमावली का प्रश्न है। मंत्री जी ने प्रश्न के पहले खण्ड में 13--7--82 को आदेश दिये हैं उसके सम्बन्ध में कहा है कि परीक्षण करा रहे हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं लेकिन उसी प्रश्न में 16--12--82 का दूसरा खण्ड है। क्या मन्त्री जी जैसे पहले खण्ड का परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अनियमिततायें हुई हैं, विज्ञापित और अविज्ञापित नियमावली का प्रश्न है, अविज्ञापित नियमावली में नियुक्तियाँ हुई, तो क्या दूसरे खण्ड के सम्बन्ध में भी परीक्षण कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सारे मामले का परीक्षण करा रहे हैं, खण्ड एक या खण्ड दो का प्रश्न नहीं है।

एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण गाजीपुर–बलिया द्वारा संचालित निर्बल वर्ग के व्यक्तियों से आवासीय भवन निर्माण परियोजना के अन्तर्गत ली गयी धनराशि

श्री सूबेदार सिंह—(अनुपस्थित)

*9 क्या नियोजन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद में एकीकृत एजेन्सी द्वारा हरिजनों के आवास बनाये जाने में हरिजनों से दो सौ रुपये लेने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो अनेक गांवों में प्रति परिवार दो सौ रुपये एजेन्सी द्वारा कैसे वसूले गये हैं ? क्या उक्त धनराशि को वापस कराने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण गाजीपुर-बलिया द्वारा संचालित निर्बल वर्ग के व्यक्तियों हेतु आवासीय भवन निर्माण परियोजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय का 25% लाभार्थी से अंशदान के रूप में प्राप्त किये जाने का प्राविधान है। इस अंशदान के सापेक्ष परियोजना हेतु चयनित ग्रामों में लाभार्थियों द्वारा अपनी गठित क्रय समिति के माध्यम से राज मिस्त्री एवं अन्य कुशल श्रमिकों को रु0 200·00 उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कर दिया जाता है।

चूँकि उपरोक्त धनराशि इस परियोजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु लाभार्थियों के अंशदान में शामिल है एवं इसका समायोजन अन्ततः अभिकरण द्वारा कर लिया जाता है, अतः उक्त धनराशि की वापसी का प्रश्न नहीं उठता।

*10 श्री केदारनाथ सिंह—

(30वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में गन्ने के मूल्य निर्धारण में भिन्नता

श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—(अनुपस्थित)

*11 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी क्षेत्रों के व पश्चिमी क्षेत्रों के गन्ने की खरीद हेतु अलग-अलग मूल्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ? यदि नहीं, तो पूर्वी क्षेत्रों के किसानों की उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ,

ईख नियन्त्रण आदेश 1966 के अधीन प्रदेश की चीनी मिलों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम गन्ना मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जो चीनी परते के अनुसार अलग-अलग होता है। प्रदेश सरकार द्वारा इंगित किया गया परामर्श मूल्य पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र के लिए 21·50 रु0 प्रति क्विंटल तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए 20·50 रु0 प्रति क्विंटल है

जिसका आधार पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों की औसतन चीनी परता कम होना तथा उत्पादन लागत का अधिक होना है । इसमें पूर्वी क्षेत्र के किसानों की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम घाटमपुर के भूतपूर्व तालुकेदार श्री जगन्नाथ बक्स सिंह तथा उनके पुत्रों द्वारा सीलिंग की भूमि को गलत ढंग से अपहरण करने की शिकायत की जाँच

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री-- (अनुपस्थित)

*12 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गया प्रसाद लोध पुत्र श्री शिवराज निवासी ग्राम अजबगढ़ परगना जामों, जिला सुल्तानपुर में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को माह सितम्बर, 1981 में रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र ( बयान हल्फी ) शपथ पूर्वक ग्राम घाटमपुर के भू0पू0 तालुकेदार (श्री जगन्नाथ बक्श सिंह) तथा उनके पुत्रों द्वारा सीलिंग की भूमि को गलत ढंग से अपहरण करने की जो शिकायत की है, शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो मामले की जांच किस अधिकारी से करायी गयी है और जांच रिपोर्ट क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

जी हाँ ।

मामले की जाँच तहसीलदार, मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर से करायी गयी हैं । की गई शिकायतें तथा उनकी स्थिति के विवरण संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी (क) आगे पृष्ठ.....पर ।)

श्री राम निवास, सुपरवाइजर कानूनगो, तहसील फतेहपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, जाल साजी एवं अनियमितता की शिकायतों की जांच

श्री प्रदीप कुमार यादव तथा श्री मुख्तार अनीस—

*13 राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 23 अप्रैल, 1982 को श्री राम निवास, सुपरवाइजर कानूनगो, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध श्री त्रिवेणी प्रसाद यादव, एडवोकेट, बाराबंकी द्वारा एक शिकायती रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री, उ0 प्र0/ राजस्व मन्त्री उ0 प्र0/जिलाधिकारी, बाराबंकी/आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को दिया गया था जिसमें भ्रष्टाचार, जालसाजी एवं अनियमितता बरतने जैसे गम्भीर आरोप लगाए गये हैं जिसकी जांच अब तक नहीं पूरी हुई है ? यदि हां, तो सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित मुख्य आरोप क्या हैं और अब तक जांच पूरी न होने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

श्री त्रिवेणी प्रसाद यादव का दिनांक 16-4-82 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें श्री राम निवास, सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध भ्रष्टाचार, जालसाजी एवं अनियमितता के आरोप हैं ।

शिकायतों से संबंधित समस्त अभिलेखा शीघ्र उपलब्ध न हो सकने आदि के कारण जाँच अभी पूरी नहीं हो सकी है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 16-4-82 को शिकायती प्रार्थना-पत्र मिल गया है और आगे कहा है कि शिकायतों के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख शीघ्र उपलब्ध न हो सकने आदि के कारण जाँच पूरी नहीं हो सकी, तो मैं जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इनका विभाग जो है कितना चुस्त है, इससे साफ अंदाजा चल सकता है क्योंकि एक साल हो रहा है और शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और जिला प्रशासन के अधिकारी, जितनी चुस्ती है, साल भर हुआ सम्बन्ध जांच सम्बन्धी कागजात अभी तक नहीं पहुँचा सके जाँच अधिकारी के पास। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों की वजह से इस जाँच में कोताही हुई और लापरवाही हुई उनके विरुद्ध माननीय मन्त्री जी क्या कार्यवाही करेंगें ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, शिकायती-पत्र की गंभीरता जो थी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी जांच राजस्व परिषद द्वारा कराने का निश्चय किया था। राजस्व परिषद से श्री जय दयाल पुरी, सहायक प्रतिकर आयुक्त, राजस्व परिषद जाँच कर रहे हैं। उन्होंने जाँच शुरू किया 19-12-82 को। 25 फरवरी, 83 से 27 फरवरी, 83 तक जाँच की। कुछ कागजात उपलब्ध नहीं थे। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह कागजात उपलब्ध करायें। मार्च में कार्य अधिक है। मार्च को छोड़कर एक-डेढ़ महीने में पूरी जाँच हो जायेगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मेरा प्रश्न यह था कि सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में जो उल्लिखित शिकायतें हैं, उनमें मुख्य आरोप क्या हैं ? मा0 मन्त्री जी ने अपने उत्तर में इस उत्तर को देने की तकलीफ ही गवारा नहीं की। माननीय मन्त्री जी क्या बतायेगें कि शिकायतें क्या थीं ? अन्तिम रूप से जाँच कब करा लेगें ?

श्री अध्यक्ष—

एक-डेढ़ महीने का समय बताया तो उन्होंने।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

शिकायतें क्या थीं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मुख्य शिकायतें इस प्रकार थीं :

जब वह लेखपाल था तब गांव सभा की भूमि पर अनियमित पट्टे किये। जीवित लोगों की वरासत कर दी। अपने रिश्तेदारों को भू-अभिलेखों की फर्जी प्रतिलिपियां जारी कर बैंक से धोखा देकर ऋण दिलाने में सहायता की। कानूनगों के पद पर रहते हुए नावों आदि का फर्जी बिल बनाये। लेखपाल के पद पर काम करते समय कम लगान दिखाकर फर्जी

खतौनी की नकल जारी कर कम लगान पर बेनामा कराके सरकारी कोष को हानि पहुंचाई। लेखपाल के पद पर रहते हुए इन्होंने अपने क्षेत्र के श्री राम खेलावन की हत्या करा दी। गांव की खतौनी गायब करवा दी।

श्री अध्यक्ष—

बहुत चार्जेज हैं क्या ?

श्री बैजनाथ कुरील—

लम्बी सूची है। इसी प्रकार के गम्भीर आरोप हैं। गम्भीर आरोप थे, तभी जाँच राजस्व परिषद द्वारा करायी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने उत्तर दिया उससे सिद्ध हो गया कि लेखपाल के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। यह उस समय के हैं जब वह लेखपाल था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब लेखपाल की अवधि के आरोप हैं तब उसे कानूनगो के पद पर नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उस वक्त कोई आरोप सामने आये नहीं थे। जब आये तो जांच शुरू हुई।

श्री अध्यक्ष—

हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

आगे क्यों बढ़ रहे हैं, मान्यवर अन्तिम प्रश्न तो हो जाने दीजिये। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि उसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, उसकी सेवा समाप्त करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दलगंजन सिंह—

कब तक प्रमोशन दे दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया बीच में न बोलें।

श्री बैजनाथ कुरील—

जाँच होने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

## सूखा और बाढ़ से प्रभावित कृषकों को सरकारी ऋणों की अदायगी से मुक्त किये जाने की मांग

श्री मित्रसेन श्री प्रभू नारायण सिंह श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

*14 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सूखा और बाढ़ से प्रभातित प्रदेशीय कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मार्च वर्ष 1981 के पूर्व दिए गये विभिन्न सरकारी ऋणों

की अदायगी से मुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

सूखा और बाढ़ से प्रभावित कृषकों को सरकारी ऋणों की अदायगी से मुक्त किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः ऋण की माफी सम्भव नहीं है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने सूखा और बाढ़ से प्रभावित कृषकों के सरकारी ऋणों की अदायगी माफ करने से इन्कार कर दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बैंकों का जो ऋण कृषकों के ऊपर है, उसे रिशिडयूलिंग करने हेतु बैंकों को जो आदेश दिये गये हैं क्या उसके ऊपर बैंक सहमत हो गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, बैंकों के ऋण की रि-शिडयूलिंग माननीय वित्त मन्त्री जी के माध्यम से हो रही है । वही इसको करते हैं जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि बैंकों को जो रि-शिडयूलिंग के आदेश दिये गये हैं, वह कब दिये गये हैं और अभी तक उसके बारे में क्या प्रगति हुई है ? क्या बैंकों ने आश्वासन दिया है कि वह इसे कर रहे हैं । और कब तक बैंकों के ऋण की रि-शिडयूलिंग हो जायेगी । क्योंकि इधर कृषकों से वसूली हो रही है और उधर आप रि-शिडयूलिंग कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, यह जो बैंकों के ऋण की वसूली की जाती है वह दूसरे कानून से की जाती है । लेकिन इसमें व्यवस्था की गई है कि उनको रि-शिडयूलिंग कर दिया जाय । हर जिले को इसके बारे में जी0 ओ0 भी भेज दिया गया है । उसके अलावा भी उनकी जो एप्लीकेशनें आती हैं उनमें तुरन्त रि-शिडयूलिंग के आर्डरस कर दिये जाते हैं । बैंकों ने अपनी सहमति दे दी है कि यह रिजर्व बैंक की पालिशी के अनुरूप है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, बैंकों की पालिसी तो कुछ भिन्न हो सकती है लेकिन भूमि विकास बैंक पर तो राज्य सरकार का पूरा अधिकार है । उसमें तो रि-शिडयूलिंग तत्काल हो जानी चाहिये । क्या माननीय मन्त्री जी जिन कृषकों के ऊपर भूमि विकास बैंक का ऋण है, उनके ऋणों को तत्काल रि-शिडयूलिंग करने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, चाहे वह कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे वह भूमि विकास बैंक हो और चाहे वह अन्य कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो सभी की सही सामान्य प्रक्रिया है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर; मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब तक रि-शिडयूलिंग नहीं हो जाती तब तक ऋण की वसूली को स्थगित रखेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, रि-शिडयूलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर व्यक्ति के ऋण के लिये हो। जिसकी एप्लीकेशन आयेगी उसकी रि-शिडयूलिंग होगी।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूँ कि आपने जो बैंकों के ऋण हेतु जिलाधिकारियों को आदेश दिये हैं कि उनके ऋण की रि-शिडयूलिंग कर दी जाय। लेकिन माननीय मन्त्री जी इस संबन्ध में जिलाधिकारियों द्वारा बिलकुल उदासीनता बरती जा रही है, फलस्वरूप हजारों एप्लीकेशनें आपके पास रोजाना आती हैं और जिनमें आपको आदेश करना पड़ता है। मार्च का महीना चल रहा है वहाँ पर उस काश्तकार की जमीन की नीलामी होती है और उसकी जो सम्पत्ति होती है उसका भी आक्सन हो जाता है तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने आदेशों का पालन कराने हेतु कोई कारगर कदम उठायेगें ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, ये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो लोग बाढ़ और सूखे से प्रभावित हैं तथा जिनके ऊपर सरकारी ऋण हैं क्या उनकी वसूली स्थगित करने हेतु माननीय मन्त्री जी के आदेश गये हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, सरकारी ऋणों के बारे में तो कोई छूट के आदेश नहीं हैं।

प्रदेश में गन्ना समितियों के चुनाव कराने पर विचार

श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)--

*15 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना समितियों का स्थगित चुनाव कब तक कराने का विचार शासन का है ? चुनाव स्थगन का कारण क्या था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा --

प्रदेश में गन्ना समितियों का चुनाव निकट भविष्य में कराने का विचार है। विगत वर्षों में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सूखा एवं बाढ़ के कारण प्रश्नगत चुनाव स्थगित करना पड़ा।

जिला खीरी के कतिपय ग्रामों में भूमिहीनों को सीलिंग तथा ग्राम समाज की भूमि के आवंटित पट्टे राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद द्वारा किये गये अवैध कब्जे के निराकरण की कार्यवाही

श्री छेदा लाल चौधरी—(अनुपस्थित)

*16 क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगें कि ग्राम पड़रिया, बक्खारी, बिझोली तथा रामपुर गोकुल, परगना पैला जिला खीरी के सैंकड़ों भूमिहीनों को सीलिंग और ग्राम समाज की भूमि के पट्टे साल भर से अधिक समय से किए जा चुके हैं तथा उनके खाते भी अलग-अलग कायम हो चुके हैं और मालगुजारी भी कायम की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि उन पर राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद के अधिकारी अभी तक अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं ? यदि हां, तो आवंटियों को कब्जा दिलाने और अवैध रूप से कब्जा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, जिला खीरी के प्रश्नगत ग्रामों में 62.58 एकड़ सीलिंग भूमि तथा 88.53 एकड़ गांव सभा भूमि के क्रमश: 93 एवं 146 पट्टे किये जा चुके हैं ।

पट्टेदारों के खाते अलग-अलग कायम हो चुके हैं और उन पर नियमानुसार मालगुजारी/लगान निर्धारित की जा चुकी है ।

गांव सभा भूमि पर 146 पट्टेदारों में से 131 पट्टेदार भूमि पर काबिज हैं । शेष 15 पट्टेदार भूमि नहीं लेना चाहते हैं । अत: उनके पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम बिझौली में आवंटित सीलिंग भूमि के पट्टे का प्रभावीकरण उच्चतम न्यायालय के आदेश से स्थगित है ।

ग्राम पड़रिया, बक्खारी, व रामपुर गोकुल में आवंटित सीलिंग भूमि राजकीय कृषि फार्म, जमुनाबाद की भूमि से घिरी एवं मिली होने के कारण फार्म के कब्जे में है । इस समस्या के निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड में खरीफ की फसल को क्षति से अकाल की कथित स्थिति

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

*17 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी ? यदि हां, तो शासन अकाल से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्राप्त सूचना के अनुसार बुन्देलखण्ड मण्डल में खरीफ की फसल की क्षति से अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*18 श्री जयदीप सिंह बरार—

[दिनांक 4-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 115 द्वारा उत्तरित]

## पावर क्रेशरों पर न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किये जाने की माँग

श्री सरदार सिंह—

*19 क्या गन्ना विकास मन्त्री को जानकारी है कि गन्ना मिलों के अतिरिक्त सल्फर प्लान्ट तथा निजी क्रेशरों पर जो गन्ना खरीदा जा रहा है उसका मूल्य दस रुपया प्रति क्विंटल से भी कम दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो सरकार इन निजी क्रेशरों पर कोई न्यूनतम गन्ने का मूल्य अविलम्ब निर्धारित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में खाण्डसारी इकाईयों द्वारा 12 से 17 रु० प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा रहा है ।

पावर क्रेशरों पर न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गुड़ तथा खाण्डसारी के बाजार भाव कम होने के कारण इकाईयों में चलने का उत्साह कम है । न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारण से इकाईयों के कार्यरत रहने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिससे गन्ने के निस्तारण की समस्या विषम हो सकती है ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मा० मन्त्री जी के असत्य भाषा से पता लग सकता है कि यह सरकार बड़े लोगों को किस तरह से बचा रही है । मेरी निश्चित जानकारी है कि इस बार प्राइवेट क्रेशरों पर गन्ने की जो दुर्गति हुई है, वह कभी नहीं हुई । मा० मन्त्री जी ने 12/– रु० से 17/– रु० प्रति क्विंटल तक लिये जाने की बात कही है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार गन्ना, किसान को मुफ्त में ही छोड़ देना पड़ा है । 2/– रु० या 4/– रु० तक जो मर्जी हुई, वह उनको दिया गया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह गलत जानकारी देने वाले जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मा० मन्त्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ? चूंकि गन्ने की बहुत दुर्गति हुई है, क्या जो प्राइवेट क्रेशर हैं उनको अपने अधिकार में लेने पर, उनका राज्यीकरण करने पर विचार करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

प्राइवेट क्रेशर्स को अधिकार में लेने का प्रश्न नहीं उठता, यह व्यावहारिक नहीं है । गन्ना मूल्य के बारे में समस्या है, इसके लिये अगर प्रतिबन्ध लगा देते हैं, अगर क्रेशर बन्द होते हैं तो गन्ने के निस्तारण की विकट समस्या खड़ी हो जायगी ।

श्री जसन्वत सिंह विष्ट—

मान्यवर, इस समय मिल वाले गन्ने को नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों क्विंटल गन्ना खेतों में पड़ा है । क्रेशर वाले 5-5, 6-6 रु० प्रति क्विंटल ले रहे हैं, क्या मा० मन्त्री जी, जिस भाव से चीनी मिल के लोग खरीदते हैं, उसी भाव से क्रेशर वालों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यह सम्भव नहीं है ।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मा० मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में, इस महीने की 22 तारीख तक की मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि बिजनौर में क्रेशर वाले 8/– रु० 10/– रु० प्रति क्विंटल के भाव से गन्ना खरीद रहे हैं। मैं मा० मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि अपना सोर्स बतायें, जिसके द्वारा यह जानकारी मिली है कि 12/– रु० से 17/– रु० प्रति क्विंटल के भाव से गन्ने की खरीदारी हो रही है ? दूसरे, यह प्रत्येक वर्ग की बात है, दो साल पहले क्रेशर वाले 25/– रु० से 30/– रु० प्रति क्विंटल तक गन्ना खरीद रहे थे, इस साल 8/– रु० 10/– रु० प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। इसको देखते हुए क्या मा० मन्त्री जी खाण्डसारी इकाइयों का तकनीकी सुधार कराने की कृपा करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, खाण्डसारी, गुड़ और शक्कर के रेट गिर जाने की वजह से गन्ने का मूल्य इस तरह की स्थिति में है। तकनीकी सुधार के बारे में शासन विचार कर रहा है, प्रयत्नशील है। क्रेशर की क्षमता वगैरह बढ़ाने के बारे में, उनको भरपूर सुविधाएँ देने के बारे में शासन ने तमाम फैसले लिये हैं ताकि किसानों को लाभकारी दाम मिल सकें।

श्री धर्मवीर सिंह—

गन्ने के बारे में जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, उन सब का यही कहना है कि 21.50 रु० और 20.50 रु० जो रेट फैक्ट्री में दे रहे हैं, वह भी "कास्ट आफ प्रोडक्शन" से कम है, इसके विपरीत क्रेशर वाले 10/– रु० और 9/– रु० प्रति क्विंटल दे रहे हैं। किसान अपनी "कास्ट आफ प्रोडक्शन" से आधी कीमत में गन्ना सप्लाई कर रहा है। क्या इसकी कोई व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

अगर प्रतिबन्ध लगा दें तो वह यूनिटें अलाभकारी साबित हो जायेंगी तो गन्ने के निस्तारण की समस्या खड़ी हो जायगी। कैसे प्रतिबन्ध लगा दें ?

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जो गन्ने का भाव 12 और 17 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से बताया, यह हो सकता है कि इधर एक आध हफ्ते यह भाव रहा हो रु० 10-12 में, लेकिन पूरे सीजन में गन्ने का भाव हमारे जिले में 7-8 रु० से ज्यादा नहीं रहा और आपने बताया कि गन्ने का न्यूनतम भाव तय करना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है क्योंकि खाण्डसारी की कीमत चीनी से कम होती है, दूसरे इन इकाईयों के बन्द हो जाने का खतरा है, जिससे गन्ना खपेगा कहाँ। लेकिन चीनी की कीमत खाण्डसारी से ज्यादा होती है, यह ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से चीनी मिलों में इन्वेस्ट और स्टाक भी ज्यादा होता है। तो खाण्डसारी इकाईयों की न्यूनतम कीमत जो चीनी मिलों से कम हो, उसे तय करने में आपको क्या कठिनाई है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यदि मैं न्यूनतम मूल्य के आधार पर इन इकाईयों की कीमत रख तो दूँ तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सारी इकाईयाँ बन्द हो जाएंगी। फिर शेष गन्ने का निस्तारण कैसे होगा।

श्री थम्मन सिंह गहलौत—

मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह पूछना चाहूँगा कि जब खाण्डसारी की कीमत चीनी से कम है। तो खाण्डसारी में चीनी की मात्रा बढ़ाने में आप सैमी वक्युम फैन, तथा वैकुम फैन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्या कोई ऐसी योजना आपके विचाराधीन है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जो भी महत्त्वपूर्ण सुझाव आयेंगे, सरकार उन पर अवश्य विचार करेगी।

श्री अमीरुद्दीन—

गन्ने के भाव इसलिए तय नहीं हो सकते क्योंकि हर गन्ने की इकाई का परसेंटेज अलग–2 होता है, किसी इकाई में 4, किसी में 5 तथा किसी में 6 परसेन्ट तक होता है, इसलिए खर्चे भी उसी हिसाब से इनके अलग-अलग होते हैं, इसलिए भाव भी अलग-अलग होंगे, एक भाव गन्ने का नहीं हो सकता है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यही तो हम भी कह रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी अपने विभाग से परामर्श करके विचार-विमर्श करके खाण्ड-सारी इकाईयों में गन्ने की कीमत भी उसी तरह निर्धारित करें जिस तरह से जनता सरकार ने अपने समय में मुकर्रर किया था ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जनता सरकार के जमाने में 3-4 रुपया गन्ने का भाव था।

## पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रामगोविन्द—

*20 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पूर्वी जिलों की कई चीनी मिलें गन्ना मूल्य 20-50 प्रति क्विंटल की दर से नहीं दे रही है, जिससे किसानों में घोर असन्तोष एवं तनाव व्याप्त हैं ? यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य न देने वाले मिल प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा घोषित मूल्य 20-50 के दर से भुगतान कब तक हो जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

भारत सरकार के नियन्त्रण में कस्टोडियन के प्रबन्ध में चलने वाली बभनान, बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र की अन्य चीनी मिलें चालू सत्र में 20-50 रु० प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य मिल गेट पर अंकित कर रही हैं। बभनान, बैतालपुर तथा देवरिया चीनी मिलों द्वारा 17.40 रु० प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य अंकित कर रही हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य देने के लिए कस्टोडियन की चीनी मिलों को विविध रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से बरा-

बर अनुरोध किया गया है कि गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में इन मिलों द्वारा भी प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नीति अपना ली जाय।

देय गन्ना मूल्य के भुगतान की व्यवस्था भी कराई जा रही है।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की चीनी मिलें दो तरह का मूल्य गन्ना किसानों को दे रही हैं। तो क्या आप कस्टोडियन मिलों पर इस बात का दबाव डालेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश की और चीनी मिलें गन्ना किसानों को मूल्यों का भुगतान कर रही हैं, उतना मूल्य आपको भी देना पड़ेगा, अन्यथा आप अपनी यूनिटों को बन्द कर दें ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार से बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 20 1/2 रु० मूल्य जो निश्चित किया गया है वही कस्टोडियन फैक्ट्रियाँ भी दें।

श्री अकबाल हुसैन—

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसी सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो यहाँ पर बड़े जोर से आश्वासन दिगा था कि प्रदेश की सभी चीनी मिलें पूर्वी क्षेत्र में 20-50 और पश्चिमी क्षेत्र में 21.50 रु० गन्ने का मूल्य देंगी। तो उस आश्वासन की तहत कस्टोडियन की 5 मिलें जो प्रदेश में हैं, जैसा कि आपने उत्तर दिया कि देवरिया और बभनान व बैतालपुर की चीनी मिलें 17.40 रु० प्रति क्विटल की दर से गन्ना मूल्य अंकित कर रही हैं और आपने कहा कि 20.50 रु० प्रति क्विटल की दर से दिलायेंगे। तो वह घोषणा जो कि मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में की थी उस पर क्या आप कार्यान्वियन करने की कृपा करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उसका तो पालन होगा ही।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि ये क्रेशरों के मूल्य को तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे उसको बन्द कर देंगे और आज आपने कह दिया कि प्राईवेट चीनी मिलें, कस्टोडियन की चीनी मिलों के दाम आप तय नहीं कर सकते हैं तो आप काहे के लिये मंत्री बने हुए हैं ? आपका किसी पर कोई बस नहीं चल रहा है न आपके आदेशों का पालन हो रहा है। रोजा चीनी मिल में 15, 16 रु0 प्रति कुन्तल का भाव चल रहा है और आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं तो यह ऐसा क्यों है, क्या आप उनसे पैसा ले रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, शासन की नीतियों का भली प्रकार पालन हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह—

शासन की क्या नीतियाँ चल रही हैं ? हमें तो आप कोई जबाब नही दे रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह —

यह तो साफ शब्दों में कहना पड़ रहा है कि आपके माननीय मुख्य मंत्री जी इसी सदन में गला फाड़-फाड़ कर कह रहे थे कि 20.50 और 21.50 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से दिलायेंगे । लेकिन आज भी गन्ना 75 फीसदी क्रश होता है क्रेशर पर और खांडसारी में । कस्टोडियन मिलें आज भी 12 से 17 रु0 की दर से गन्ना का मूल्य दे रही हैं और मुख्य मन्त्री ने कहा कि हम इतना दिलायेंगे । मेरी जानकारी के अनुसार आज तक केन्द्र सरकार ने इनको अस्वीकृति भेज दी है और आज मन्त्री जी कह रहे हैं कि 20.50 की दर नियत की जा रही है । नारंग की फैक्टरी जो नवाबगंज में है और कनोरिया की फैक्टरी जो रामपुर में है और सेवरही में है वहाँ गन्ने की मूल्य आज भी 19.50 रु0 प्रति क्विन्टल अंकित किया जा रहा है । आपकी जितनी भी चीनी मिलें हैं वह सब निर्धारित मूल्य से कम दर लिख रही हैं । उसके अलावा सेन्टर मूल्य सभी फैक्ट्रियाँ काट रही हैं । इस साल कोई गन्ना मूल्य-गन्ना किसानों को नहीं दिया गया है । जिसका 2 अरब रु0 भुगतान नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से साफ शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो निजी फैक्ट्रियाँ हैं जो वहाँ पर रन कर रही हैं उनसे आप 20.50 रु0 की दर से मूल्य दिलायेंगे अन्यथा उन्हें अधिगृहीत करने की व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, शासन ने जो भी फैसला लिया है, उसको निभाने के लिये हम सतत प्रयत्नशील हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह अपने जमाने की बात नहीं करते । मैं इनके इस्तीफे की मांग करता हूँ । गन्ना किसानों की जितनी लूट इनके जमाने में हुई है कभी नहीं हुई है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि साढ़े बीस और साढ़े इक्कीस का भाव दिलायेंगे और आप प्रयास भी ही कर रहे हैं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा भी कर दी, आधे से ज्यादा सीजन भी गुजर गया तो क्या आप यह घोषणा करेंगे कि जहाँ पर यह भाव नहीं मिल पा रहा है तो उसके मार्जिन को सरकार पूरा करेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह सवाल बराबर आ रहा है कि मा0 मुख्य मन्त्री ने घोषणा की तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको पूरा किया जायगा कहीं से भी पूरा किया जायगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

---

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या—20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## बुन्दूकटरा, आगरा स्थित राजकीय दुग्धशाला को चालू करने की कार्यवाही

श्री बदन सिंह—

*1 क्या सरकार कृपया बतायगी कि बुन्दूकटरा आगरा स्थित राजकीय दुग्धशाला दिनांक 25 अप्रैल, 1982 से बन्द पड़ी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसके खुलवाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी है ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

जी हाँ ।

दुग्धशाला के हानि पर होने के कारण वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने से दुग्ध मूल्य भुगतान न हो पाया तथा दुग्ध उपार्जन कम होता गया । अन्ततः दुग्धशाला बन्द हो गयी । दुग्धशाला को पुनः चालू करने के लिये राज्य सरकार ने धन की व्यवस्था कर दी है तथा दुग्धशाला को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी ने बताया कि वित्तीय स्थिति विगड़ जाने से दुग्ध वालों को भुगतान नहीं हो सका मैं यह जानना चाहता हूँ कौन-कौनसे कारण है जिनके कारण इनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गयी जिससे दुग्ध का भुगतान नहीं हो सका ?

श्री संजय सिंह—

जो उस समय दूध मिलता था वह सोसाइटी के द्वारा मिलता था उसमें ठेकेदार घुस गये जिसमें दूध खराब आने लगा । जिससे स्थिति बिगड़ गयी और पैसा नहीं मिल सका । इसलिए बन्द कर देना पड़ा ।

श्री बदन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि दुधियों का भुगतान नहीं हो सका । तो मैं जानना चाहता हूँ कि दुधियों का इस डेरी पर कितना रुपया बकाया है और उसको भुगतान करने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री संजय सिंह—

इस समय यह निश्चित कर लिया गया है कितना बकाया है अब हम यह चयन कर रहे हैं कि जिन्होंने सही दूध दिया था उनको पहले भुगतान किया जाय और बाद में सभी का भुगतान कर दिया जाय ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, जब डेरी की स्थिति खराब हुई तो उस समय उसके लिए कुछ अधिकारी जिम्मेदार होंगे । तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन अधिकारियों के कारण वित्तीय स्थिति खराब हुई । वह कौन-कौन से अधिकारी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई और क्या कर रहे हैं ?

श्री संजय सिंह—

इसके किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई बात निश्चित नहीं हुई है सोसाइटी के कारण यह हुआ है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर मुझे यह पूर्ण जानकारी है कि बर्तमान डेरी प्रबन्धक के कारण इस डेरी को बन्द करना पड़ा है तो मैं यह जानना चाहता हूँ इस दुग्ध शाला में कार्यरत कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफ आगरे के कुछ नागरिकों के शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं यदि हाँ तो वह क्या है ?

श्री संजय सिंह--

ऐसी कोई जानकारी नहीं है ?

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मुझे जानकारी है जब वह डेरी चल रही थी तो जो दूध होता था उसको गलत तरीके से बेच लिया जाता था और खराब दूध सप्लाई किया जाता था। इसलिए दूध की सप्लाई कम हो गयी। वहाँ पर एक आर्थिक स्थिति पैदा हो गई थी इसलिये आपको उसे बन्द करना पड़ा। आपको जो शिकायत मिली कि वहाँ गलत दूध सप्लाई हो रहा था। वह कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो डेरी का सिस्टम है उसके अनुसार दूध वहाँ नहीं आ रहा था। कम दूध भी आता था और खराब दूध भी आता था। इस वजह से पैसे का भुगतान भी नहीं हुआ। इसलिये वह बन्द हो गई।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, क्या नेशनल डेरी डेवलपमेंट कारपोरेशन की इस तरह की प्रदेश में जो इकाइयाँ हैं उनको हैंड ओवर करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने कल अपने बजट में काफी विस्तार में बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 26 डेरीज आपरेशन फ्लड इकाइयाँ एन0 डी0 डी0 सी0 के जरिये से चलाई जा रही है और उसके लिये इस प्रदेश को 50 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। जहाँ पर डेरी के हिसाब से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार वहाँ काम हो रहा है। जहाँ काम नहीं हो रहा है दूध की आपूर्ति नहीं हो रही है या कम हो रही है वहाँ आनन्द डेरी के पेटर्न पर काम चलाया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उसके अनुसार काम होगा।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहाँ पर वित्तीय हानि हो रही थी इसलिये उस डेरी को बन्द करना पड़ा। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी डेरी शुरू हुई है उस वक्त उसकी लागत धनराशि कितनी थी और वित्तीय हानि कितने की हुई ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, सूचना पूरी नहीं है, इसकी जानकारी बाद में दूँगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कहें कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण दूध नहीं आ सका। यह मुख्य कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड एटा से अप्रत्याशित धन लेकर डेरी प्रबन्धक ने दूधियों का भुगतान नहीं किया और आप कह रहे हैं कि राज्य की तरफ से धन की व्यवस्था कर दी। मैं जानना चाहता हूं कि इस डेरी प्रबन्धक के होते हुये जो राज्य के धन की व्यवस्था की गई है उससे क्या यह डेरी फिर से चल पायेगी ? यदि नहीं, तो उस डेरी प्रबन्धक को वहाँ से हटाने के प्रश्न पर सरकार क्यों विचार नहीं कर रही है ?

श्री संजय सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया इसको चलाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और 1/2 महीने में यह हो जायेगा। उसमें तब पैसा लगाया जायेगा जब उसका गठन हो जायेगा और फेवर में सारी व्यवस्था हो जायेगी।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने यह आरोप लगाया था कि डेरी प्रबन्धक ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड आगरा और एटा के प्राइवेट प्रबन्धकों से अप्रत्यासित धन लिया और अपना दूध सप्लाई करने वालों को भुगतान नहीं किया। इस वजह से यह डेरी बन्द हुई। मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको चलाने के लिये धन की व्यवस्था कर दी गई है। मान्यवर, वहाँ पर उसी प्रबन्धक के होते हुए डेरी को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था नहीं हो सकती इसलिये क्या आप उस प्रबन्धक को वहाँ से हटायेंगे ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसी आवश्यकता होगी, वैसी व्यवस्था की जायेगी।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्पष्ट प्रश्न किया था कि वहाँ दूध सप्लाई करने वालों का कोई पैसा इस डेरी के ऊपर वाजिब है, क्या उसके भुगतान की आप व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने बता दिया।

श्री हुकम सिंह—कितना पैसा है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें दो बातें सामने आयीं। एक तो जो वर्तमान प्रबन्धक हैं उन्होंने स्वयं इस डेरी को अपनी एक प्राइवेट फर्म के रूप में चलाया और अपना लाभ कमाया और यही उसके वित्तीय घाटे का कारण था। मूल प्रश्न यह था कि जब तक वह

प्रबन्धक वहां पर रहेगा तब तक स्थिति वही रहेगी। सवाल इस बात का है कि जब तक वह प्रबन्धक वहाँ पर मौजूद है तब तक वही व्यवस्था वहाँ पर लागू रहेगी। इसकी वजह में सरकार को दुहरा घाटा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री जी वहाँ के प्रबन्धक को हटाने के बारे में व्यवस्था करेंगे ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कहा कि जैसी भी आवश्यकता होगी वैसा इन्तजाम कर लिया जायेगा। अगर आवश्यकता हुई किसी अधिकारी को हटाने से ठीक चलेगी तो वह किया जायेगा। एडमिनिस्टेटिव हिसाब से जो आवश्यकता होगी वह किया जायेगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने कुछ कारण बताये और कुछ कारण शेष हैं जिनकी वजह से डेरी बन्द हुई। वर्तमान डेरी प्रबन्धक जो हैं वह प्राइवेट डेरी वालों से पैसा ले लेकर लाइसेंस देते हैं। जब प्राइवेट वालों को लाइसेंस दे देंगे तो दूध की कमी हो जायेगी और वह अपने ठेले के ठेले लगा देते हैं। इतना ही नहीं दुग्ध उत्पादन संघ का जो कार्यालय था जो साधारण किराये पर था उसका 20 हजार लेकर फिर दे दिया। इस प्रकार वर्तमान प्रबन्धक ने इतना नुकसान कर दिया और आप फिर राज्य की तरफ से धन देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। आगरा के लोगों की मांग है कि वर्तमान प्रबन्धक को हटाया जाय। आप क्यों नहीं महसूस करते हैं कि राज्य की तरफ से जो धन दिया गया है उसकी समुचित व्यवस्था हो सके और नागरिकों को दूध मिल सके ?

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने कई बार माननीय सदन में कहा कि उसकी जाँच हो रही है क्या उसमें कमी रही, स्क्रीनिंग हो रही है जिन लोगों का पैसा बकाया है किसको पहले देंगे किसको बाद में सब देख रहे हैं। ठीक तरह से यह डेरी चल सके इसके लिये जो आवश्यक होगा किया जायेगा।

श्री बदन सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि दुग्धशाला को पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार ने धन की व्यवस्था कर दी है तथा दुग्धशाला के चालू करने की कार्यवाही की जा रही है तो मैं मन्त्री जी से साफ पूछना चाहता हूँ इतना बड़ा नुकसान होने के पश्चात् भी राज्य सरकार इसको पुनः चालू करने के लिये कितना धन दे रही है ?

श्री संजय सिंह---

लगभग 15 लाख की व्यवस्था की गयी है। जिसमें प्राविडेंट फंड आदि के लिए 2 लाख 71,600, पुरानी आगरा डेरी के लिए 2 लाख 86 हजार तथा दुग्धशाला के संचालन आदि के लिए 4 लाख 90 हजार इस तरह से और भी चीजें है जिनको आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरह से 15 लाख की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष--

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर) इस प्रश्न को 15 मिनट हो गये हैं। यह आखिरी सवाल होगा।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, 15 लाख की व्यवस्था इस दुग्धशाला के चलाने के लिए की गयी है। इस दुग्धशाला में बन्द होने के पश्चात् 80 कर्मचारी थे जिन्होंने बिना काम किये ही 4 लाख रु0 ले लिया, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के भुगतान के लिए 1 लाख 20 हजार रु० ले लिया और दूधियों का दो लाख बकाया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस गरीब खजाने का अनाप सनाप पैसा खर्च हो रहा है। दूध देने वालों को पैसा नहीं मिला, उपभोक्ताओं को दूध नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री जी क्यों जिद करते हैं और उस प्रबन्धक को नही हटाना चाहते हैं। इतनी बड़ी धनराशि को फिर खत्म कराना चाहते हैं ?

श्री संजय सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए प्रायोरिटी निश्चित हैं जिसका पैसा पहले बाकी है उसको पहले दिया जाय।

बिक्रीकर कार्यालय, लखनऊ में करदाताओं के रिफण्ड की धनराशि के गबन होने की जाँच

श्री रामलाल--

**2 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में करदाताओं के रिफण्ड का धन सवा दो लाख रुपये का गबन फरवरी, 1983 में हो गया है ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

जी हाँ। बिक्रीकर कार्यालय लखनऊ में करदाताओं के रिफण्ड की राशि में लगभग सवा दो लाख रु0 के गबन होने की सूचना प्राप्त हुई है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 3-2-1983 को कोतवाली हजरतगंज लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

प्रधान-लिपिक श्री पार्थेश्वरी सिन्हा को दिनांक 4-2-1983 को निलम्बित कर दिया गया।

इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शासन को आयुक्त बिक्रीकर के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या स्था--5 (क)--पी0 एफ0 पी0--6829 बिक्रीकर दिनग्क 4-2-1983 द्वारा देते हुए महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा इस विषय में विशेष सम्परीक्षण कराने का अनुरोध किया गया है। उसी दिन आयुक्त बिक्रीकर द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भी सूचना प्रेषित कर दी गई।

श्री रामलाल--

मान्यवर, इस गबन में अधिकारियों और कर्मचारियों की साँठगांठ है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, आप कृपया इस तरह से सीटों के बीच से इधर से उधर न जाया करें।

श्री रामलाल--

क्या यह सही है कि जिस प्रधान लिपिक को श्री सिन्हा को निलम्बित करना बताया

गया है, गबन से पूर्व उसकी पदोन्नति करके उसको सेवा से मुक्त कर दिया गया ? दूसरा प्रश्न यह कि जिन लोगों की सांठगांठ है उनको सरकार क्या दंड देगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस सम्बन्ध में जांच चल रही है। पहले क्या था उसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, बिक्रीकर के पैसों का सारे प्रदेश में घोटाला है। व्यापारियों से पहले ज्यादा पैसा जमा करा लिया जाता है और जब मुकदमें के बाद उनको वापस पैसा करने के लिये आदेश हो जाते हैं तो वह पैसा उनको कई-कई वर्ष तक वापस नहीं मिलता और उसी का गबन होता है। तो जो पैसा व्यापारियों से अधिक ले लिया जाता है क्या सरकार उसकी ब्याज सहित व्यापारियों को वापस करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इस सम्बन्ध में जो नियम हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री धनीराम वर्मा—

व्यापारियों का पैसा क्या ब्याज सहित वापस करेंगे क्योंकि सरकार स्वयं ब्याज लेती है, तो ब्याज देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री रामलाल—

मान्यवर, व्यापारियों का जो धन वापस नहीं हुआ उसके गबन में अधिकारियों और कर्मचारियों की साँठगाँठ है। जिनको चेक करना चाहिये कैश को वे चेक नहीं करते हैं। तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

पुलिस में रिपोर्ट कर दी गयी है। जो भी दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री दलगंजन सिंह—

सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। इस सरकार में जितने भी मन्त्री हैं उनमें कुछ बिड़ला जी की पैरोल से पैसा पाते हैं, कुछ शुगर मिल वालों की पैरोल से पैसा पाते हैं, ऐसा कोई मन्त्री नहीं है जो जनता की पैरोल से पैसा पाता हो।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री भीखालाल—

इस मामले में पुलिस में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट

दर्ज करायी गयी है और प्राग्दर्शन में जिस प्रधान लिपिक को निलम्बित किया गया है, क्या उसे गिरफ्तार भी किया गमा ?

श्री ब्रह्मदत्त—

गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है और ए0 जी0 से भी कहा गया है कि वे पूरे मामले की आडिट करें ।

## अतारांकित प्रश्न

### ग्राम मल्लूढीह, जिला देवरिया के कृषकों द्वारा लेखपाल श्री पेशकार अहमद के विरुद्ध शिकायती पत्र की जाँच

श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी—

1 क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दि0 11–10–82 शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राम मल्लूढीह मो0 करमौनी प्रेम बलिया, जिला देवरिया के 15 कृषकों द्वारा यहाँ के लेखपाल श्री पेशकार अहमद एरिया नं0 72 के भ्रष्ट कारनामों की जाँच के लिए मांग की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मन्त्री जी कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ । शिकायत की जाँच परगनाधिकारी पड़रौना द्वारा कराई गई । जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई ।

2 श्री रामसागर—

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

### सहकारी चीनी मिल घोसी आजमगढ़ के कार्य क्षेत्र में गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु कृत कार्यवाही

श्री पंचानन राय—

3 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल घोसी, आजमगढ़ के लिए निर्धारित क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिह कुशवाहा—

सहकारी चीनी मिल, घोसी आजमगढ़ के कार्यक्षेत्र में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने के बाद निम्नलिखित कार्य करने का लक्ष्य बनाया गया है जिसके सम्मुख जनवरी, 1983 तक हुआ कार्य अंकित है ।

---

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

| | लक्ष्य | पूर्ति |
|---|---|---|
| 1—सिंचाई साधन का सृजन | | |
| नलकूप | 25 | 29 |
| पम्पिंग सेट | 50 | 17 |
| 2—उर्वरक वितरण— | | |
| नत्रजन मी0 ट0 | 400 | 65 |
| फास्फेट मी0 ट0 | 40 | 28 |
| पोटाश मी0 ट0 | 20 | 13 |
| गन्ना बीज वितरण मी0 ट0 | 1000 | 89 |
| 3—पौधशाला की स्थापना— | | |
| आधार हे0 | 1 | — |
| प्रांथमिक हे0 | 5 | — |
| माध्यमिक हे0 | 50 | 18·40 |
| बीज उपचार हे0 | 500 | 40·40 |
| भूमि उपचार हे0 | 500 | 81·00 |
| पेड़ी छिड़काव हे0 | 500 | 60·40 |
| गन्ना रक्षा यन्त्र (संख्या) | 25 | — |

बसन्त कालीन गन्ना बुवाई हो रही है तथा कृषकों के यहाँ पौधशाला रखने तथा उनको गन्ना बीज वितरण का कार्य किया जा रहा है। गन्ना रक्षा यन्त्रों के वितरण के लिए कृषकों का चुनाव किया जा रहा है।

## राजस्व अभिलेखों को सही कराने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पर जाँच

श्री माना प्रसाद पाण्डेय तथा रेवती रमण सिंह—

4 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र के साथ श्री बंसराज सिंह पुत्र रामदयाल सिंह निवासी ग्राम केशवपुर परगना अमसिन तह0 व जिला फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र फरवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो शासन ने राजस्व अभिलेखों को सही कराने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाहियाँ की हैं ? क्या ग्राम प्रधान को निलम्बित करके उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हाँ ! मामले में चकबन्दी आयुक्त के माध्यम से जाँच करायी जा रही है।

5 श्री यदुनाथ सिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

## सहकारी चीनी मिल्स के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में तदर्थ नियुक्तियाँ तथा कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशों तथा सामूहिक बीमा स्कीम लागू करने पर विचार

श्री सूबेदार सिंह--

6 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ के प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय में जून, 1977 से दिसम्बर, 1982 तक जो विभागीय तदर्थ नियुक्तियाँ हुई हैं वह किन-किन पदों पर की गयी हैं ? क्या इसमें विभागीय प्रक्रिया अपनाई गई और अगर नहीं, तो क्या इसकी जाँच करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ में जून, 1977 से दिसम्बर, 1982 तक केवल एक प्रचार अधिकारी तथा एक चौकीदार के पद पर तदर्थ नियुक्तियाँ की गई हैं। विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उक्त पदों पर नियमित नियुक्तियाँ करने की कार्यवाही की जा रही है। तदर्थ नियुक्तियाँ करने के लिए कोई विभागीय प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। तात्कालिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध उपयुक्त व्यक्तियों की तदर्थ नियुक्ति करके नियमित नियुक्ति करने की कार्यवाही की जाती है।

श्री सूबेदार सिंह--

7 क्या गन्ना विकास मन्त्री बतायेंगे कि उ०प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ प्रबन्धक निदेशक के कार्यालय में कितने कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशों और सामूहिक बीमा स्कीम नहीं लागू की गयी है ? क्या उन पर इसे तुरन्त लागू करायेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ के कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है तथा सामूहिक बीमा योजना संघ के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू है।

8 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[व वे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## ग्राम हाजीपुर मरुई, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के गाटा संख्या 324 की भूमि का प्राइमरी स्कूल के नाम स्थानान्तरण

श्री महेश उपाध्याय, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती' तथा श्री राजकुमार राय--

9 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हाजीपुर मरुई, तहसील अकबरपुर में गाटा संख्या 324 रकबा एक बिसवा 5 धुर, जो सुखारी की भूमि थी जिस पर उसके 5 पेड़ भी थे वह अब किसके आदेश से स्कूल के नाम स्थानान्तरित किया गया ? क्या श्री सुखारी

को उक्त भूमि तथा पेड़ों के एवज में कोई भूमि दी या मालियत पेड़ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिस विद्यालय के नाम उक्त भूमि की गयी उसका क्या नाम है ? यह विद्यालय वहाँ कब खुला ?

श्री बैजनाथ कुरील--

ग्राम हाजीपुर मरुई, परगना व तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के गाटा सं० 324 रकबा एक बिस्वा पाँच विस्वासी भूमि श्री सुखारी पुत्र सरूप निवासी ग्राम के नाम दर्ज थी। अभिलेखों में गाटा सं० 324 में कोई पेड़ नहीं थे।

गाटा संख्या 324 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 9—क (1) के समझौते के आधार पर वाद संख्या 1190 में आदेश दिनांक 16-1-71 द्वारा श्री सुखारी की स्वामित्व समाप्त कर प्राइमरी स्कूल के नाम दर्ज किया गया है। अत: श्री सुखारी को भूमि के एवज में भूमि अथवा मालियत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गाटा संख्या 324 जिस विद्यालय को दिया गया है उसका नाम प्राइमरी पाठशाला हाजीपुर मरुई है जो लगभग वर्ष 1951 ई० में प्रारम्भ किया गया था।

न्याय पंचायत पालपुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत ग्राम मेवापुर मुतालके देवगाँव की चकबन्दी की माँग

श्री अकबर हुसैन--

10 क्या सरकार की जानकारी है कि न्याय पंचायत पालपुर, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद के अन्तर्गत आने वाले सभी मौजों में से केवल मौजा मेवापुर मुतालके देवगाँव में ही चकबन्दी नहीं हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मौजा में भी चकबन्दी किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील बीकापुर के कुल 4 गाँवों को चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर रखा गया था इनमें से एक गाँव मेवापुर मुतालके देवगाँव भी है।

ग्राम मेवापुर मुतालके देवगाँव का 38 प्रतिशत भू-भाग गोमती नदी द्वारा किये गये कटाव तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। शेष 62 प्रतिशत भाग प्राय: असमतल एवं ऊँचा नीचा है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार इस गाँव को चकबन्दी के अयोग्य पाया गया है।

11 श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री मोहन सिंह--

[स्थगित]

12 श्री ऊदल--

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद शाहजहाँपुर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग को जनपद फर्रुखाबाद में तथा उत्तरी पश्चिमी भाग को जनपद बदायूँ में मिलाने का विचार

श्री सत्यपाल सिंह--

13 राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहाँपुर का मिर्जापुर ब्लाक जिला

फर्रुखाबाद में व कलान ब्लाक, जिला बदायूँ में सम्मिलित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है और कब तक इस योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेंगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग को जनपद फर्रुखाबाद में तथा उत्तरी-पश्चिमी भाग को जनपद बदायूँ में मिलाने के प्रस्ताव का परीक्षण जिला स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व परिषद की संस्तुति प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथासमय विचार किया जायगा। सम्प्रति शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

## जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवांया में नई चीनी मिल खोलने की योजना

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

15 क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवांया में एक नई चीनी मिल खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक चीनी मिल खोलने की सम्भावना है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ। वर्ष 1980 में भेजा गया पुवांया (शाहजहाँपुर) में नई चीनी मिल की स्थापना का लाइसेन्स प्रार्थना पत्र भारत सरकार द्वारा प्राथमिक परीक्षणोपरान्त निरस्त कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिनांक 1-2-82 भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय में भेजा गया जो अभी उनके विचाराधीन है।

## भूतपूर्व संग्रह अमीन श्री कृष्णा प्रसाद के अवशेष धनराशि का भुगतान

श्री गोपीनाथ वर्मा—

15 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भू० पू० संग्रह अमीन (श्री कृष्णा प्रसाद) तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप माह 7 जुलाई, 1982 को हुए भुगतान में की गयी घपलेबाजी के बारे में मन्त्री जी को तथा जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? अवशेष का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री कृष्णा प्रसाद भूतपूर्व संग्रह अमीन को 7, 216-30 रुपये का बकाया वेतन बनवाकर दिनांक 7-7-82 को भुगतान कराया जा चुका है। अमीन ने उक्त भुगतान को अपने प्रार्थना पत्रों में त्रुटि पूर्ण बताते हुए कुछ नये बिन्दु उठाये हैं तथा पुनरीक्षित धनराशि का भुगतान और किये जाने का अनुरोध किया है।

समस्त बिन्दुओं पर नियमानुसार निर्णय लेकर अमीन को उनके अवशेषों का भुगतान, यदि वास्तव में देय पाया जाय, तो यथासम्भव शीघ्र कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं।

## आम वन इमिलिया, तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर में हरिजनों को आवंटित भूमि

श्री रामचरण सिंह—

16 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आम वन इमिलिया, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में 1979 से 1982 तक कितने हरिजनों को भूमि आवंटित की गयी ? क्या उन्हें भूमि पर कब्जा दिला दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## सहकारी चीनी मिल सठियाँव के वाचमैन श्री बन्शू सिंह की दुर्घटना में मृत्यु तथा पुत्र को सेवा में लिये जाने के आदेश

श्री पंचानन राय—

17 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ के वाचमैन श्री बन्शू सिंह की 31-1-77 को दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी तथा उनके पुत्र श्री धनञ्जय सिंह ने सेवा के लिए आवेदन किया है ? यदि हाँ, तो उन्हें मिल में रोजगार देने में क्या कठिनाई है तथा उन्हें कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी चीनी मिल सठियांव के वाचमैन बन्शु सिंह की मृत्यु 31-1-77 को दुर्घटना के परिणामस्वरूप हो गई थी । उनके पुत्र से नौकरी हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है वरन् श्री बन्शू सिंह की विधवा ने श्री धनञ्जय सिंह की सेवा हेतु चीनी मिल को दो प्रार्थना-पत्र दिये हैं । सहकारी चीनी मिल सठियांव को श्री धनञ्जय सिंह की योग्यता के अनुसार सेवा में रखने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं ।

## रजिस्ट्रार, चिट फण्ड एण्ड सोसायटी द्वारा स्थानीय कम्पनी पर मारा गया छापा

श्री राम आसरे वर्मा—

18 क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह फरवरी, 1982 में रजिस्ट्रार चिट फण्ड एण्ड सोसायटी ने एक स्थानीय कम्पनी (सेक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी) पर छापा मारा था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ । चूंकि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लखनऊ द्वारा चलायी जा रही योजना प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 के अन्तर्गत निषिद्ध एवं दण्डनीय अपराध है, अतएव रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 (2) के अन्तर्गत दिनांक 3 फरवरी, 1982 को छापा मारा था ।

स्याना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर मार्ग से ग्राम थलइनातपुर हेतु सम्पर्क मार्ग की कर वसूली

श्री छत्तर सिंह--

19 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्याना, बीबीनगर, जनपद बुलंदशहर मार्ग से ग्राम थलइनातपुर के लिए जो सम्पर्क मार्ग गन्ना विभाग ने बनाया था उसके कुल व्यय का 1/4 भाग किसानों से 5 रु० प्रति गाड़ी के रूप में वसूल कर लिया था ? यदि हाँ, तो वह अभी भी दिनांक 1-2-83 तक क्यों वसूला जा रहा है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत विचाराधीन जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की अपीलें एवं निगरानियाँ

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

20 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के यहाँ 31-1-83 को जमीन्दारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम एव लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कितनी अपीलें एवं निगरानियाँ विचाराधीन हैं तथा इनके प्रस्तुत करने के वर्ष का विवरण क्या है ? वादीकारियों को सस्ता एवं जल्दी से न्याय सुलभ कराने हेतु अब तक सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत 10,030 अपीलें तथा 4, 446 निगरानियाँ एवं लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत 2,954 निगरानियाँ, दिनांक 31-1-83 को राजस्व परिषद, उ० प्र० में विचाराधीन थीं । इनके प्रस्तुत किये जाने का वर्षवार विवरण संलग्न है ।

वादों के निस्तारण में प्रगति लाने हेतु हर माह समीक्षा की जाती है एवं न्यायिक सदस्यों के लिए मानक निर्धारित है । न्यायिक सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

( देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ..... पर । )

प्रदेश में अनार्थिक जोत के अन्तर्गत भूमि

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

21 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० में 3 एकड़ तक भूमि अनार्थिक जोत के अन्तर्गत आती है ? यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 3 एकड़ से कम के पट्टे करके निर्बल वर्ग के लोगों को अलाभकर कृषि कार्यों में लगाने का आधार है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अनार्थिक जोत परिभाषित नहीं है। गाँव सभा में निहित भूमि तथा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टे उक्त अधिनियम की धारा 198 (3) में इंगित सीमाओं को दृष्टि में रख कर किये जाते हैं।

जनपद, बलिया के तहसील रसड़ा के गाँव सभा खरुआँव में भूमि का गलत आवंटन

श्री राम गोविन्द—

22 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के तहसील रसड़ा के गाँव सभा खरुआँव में दिनांक 28-3-80 को भूमि का आवंटन गलत तरीके से दूसरे गाँव के लोगों को कर दिया गया है तथा गरीब हरिजन जो इसी गाँव के हैं उनको नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या गलत पट्टा को निरस्त करके उपर्युक्त व्यक्तियों को जमीन दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, पीलीभीत में कैजुवल लेबर तथा टोकिन (स्थायी) दिये गये व्यक्तियों की संख्या

श्री तेज बहादुर गंगवार —

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर, पीलीभीत में सन् 1977-78 से 1981-82 तक कितने कैजुअल लेबर ने कार्य किया और उनमें से कितने व्यक्तियों को टोकेन (स्थायी) दिये गये ? पूर्ण कैजुअल लेबर के ज्येष्ठ व्यक्तियों को टोकेन न देने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर (पीलीभीत) में वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक कैजुवल लेबर तथा टोकिन (स्थायी) दिये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| पिराई सत्र | कैजुवल लेबरों की संख्या | टोकिन बनाये गये कैजुवल लेबरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1977-78 | 220 | -- |
| 1978-79 | 220 | 2 |
| 1979-80 | 218 | 2 |
| 1980-81 | 216 | 61 |
| 1981-82 | 155 | 92 |

श्रमिक संगठनों से समझौते के अनुसार व्यक्ति विशेष की कुशलता तथा आचरण को

ध्यान में रखते हुए, श्रमिकों को टोकिन दिया जाता है। कैंजुवल लेबर की कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई जाती है।

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर, जिला पीलीभीत के अन्तर्गत खोले गये गन्ना क्रय केन्द्र

श्री तेज बहादुर गंगवार—

24 क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, जिला पीलीभीत के अन्तर्गत कितने गन्ना क्रय केन्द्र चल रहे हैं ? सत्र 1982-83 में कितने नए गन्ना क्रय केन्द्र खोले गए ? इन गन्ना क्रय केन्द्रों की मिल गेट से कितनी दूरी है और वहाँ खोलने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व जिला सरकारी वकील (माल) आजमगढ़ के फीस बिलों का अवशेष भुगतान

श्री रियासत हुसैन—

25 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट, भूतपूर्व जिला सरकारी वकील (माल) आजमगढ़, के फीस बिलों की कितनी धनराशि बाकी है और उसके भुगतान हेतु न्याय सचिव तथा मुख्य मन्त्री के आदेशों के बावजूद अभी तक भुगतान क्यों नहीं हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव भू0 पू0 जिला सरकारी वकील (माल) आजमगढ़ की रु0 50, 000.00 के फीस के बिलों का भुगतान अभी तक बाकी है।

सरकार तथा गाँव सभा के 62 वादों जिनमें पीठासीन अधिकारी ने सरकार तथा गाँव सभा के विरुद्ध निर्णय दिया था, में श्री लाल की भूमिका एवं आचरण संदिग्ध पाया गया था। अतः विधि परामर्शी निदेशिका 1975 के अन्तर्गत श्री लाल के लम्बित फीस बिलों से गाँव सभा की क्षतिपूर्ति का मामला विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया फूलपुर, सोरांव मऊआयमा में बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त लोगों को शासन द्वारा दी गयी सहायता

श्री राधेश्याम पटेल—

26 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया, फूलपुर, सोरांव मऊआयमा, तहसील फूलपुर व सोरांव में विगत बाढ़ एवं वर्षा से क्षतिग्रस्त लोगों को शासन द्वारा कोई सहायता दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या-क्या और उसकी मात्रा क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव के विकास खण्ड सोरांव, मऊआइमा के अन्त-

र्गत विगत बाढ़ व वर्षा से क्षतिग्रस्त लोगों को सोरांव विकास खण्ड में 144 लीटर मिट्टी का तेल, 144 माचिस, 8.96 कुन्टल आटा, 1200 रुपया गृह अनुदान असहायों को 11 कुन्तल गेहूँ, व 35 कम्बल दिया गया तथा 11, 276.26 रु0 की मालगुजारी में छूट प्रस्तावित की गयी। मऊआइमा विकास खण्ड में असहायों को 9 कुन्तल गेहूँ व 29 कम्बल दिया गया तथा 14278.16 रुपया की मालगुजारी में छूट प्रस्तावित की गयी। तहसील फूलपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बहरिया तथा फूलपुर है। विकास खण्ड फूलपुर प्रभावित नहीं रहा। विकास खण्ड बहरिया के अन्तर्गत ग्राम, 1—कुसुगुर 2—पैगमबरपुर, 3—धरमपुर उर्फ धकुरवा इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहा। बाढ़ 21 अगस्त से 31 अगस्त, 1982 तक रही। प्रभावित लोगों में 810 किलो आटा तथा 220 लीटर मिट्टी के तेल का वितरण किया गया। राहत कार्य में 2 नावें 29 अगस्त से 9 सितम्बर, 1982 तक लगायी गयी थी जो निःशुल्क जनता की सेवा करती रही। इन नावों पर इस कार्य हेतु किराये के रूप में आये व्यय रु0 528/—का भुगतान कर दिया गया। वर्षा के कारण कैथाना मजरा आदमपुर उपरौडा परगना सिकन्दरा ही प्रभावित रहा। वर्षा 10-9-82 से 12-9-82 तक हुई। मजरा कैथाना शारदा सहायक नहर 35 प्रखण्ड के उत्तरी छोर पर स्थित है। वर्षा एवं नहर के पानी से दलदल हो गया था। फलस्वरूप 14 भवन पूर्ण एवं 50 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। कुल 64 गृहस्वामियों में से 52 पात्र गृहस्वामियों को 6600,00 रु0 गृह अनुदान दिया गया। प्रभावित परिवारों में 9 कुन्टल आटा तथा 68 लीटर मिट्टी का तेल वितरण किया गया। इच्छुक व्यक्तियों को 10200.00 रु0 तकावी दी गयी। गृह विहीन परिवारों को 50 छोलदारी दी गयी, जो उनके पास 31-12-82 तक निःशुल्क रही।

## श्री जगत नरायन अग्निहोत्री, सिनेमा आपरेटर, गन्ना विकास परिषद हरगाँव के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जाँच

श्री राधेश्याम पटेल—

27 क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि श्री जगत नरायन अग्निहोत्री, सिनेमा आपरेटर, गन्ना विकास परिषद, हरगाँव (सीतापुर) के विरुद्ध मन्त्री गन्ना विकास परिषद हरगाँव, सीतापुर ने दिनांक 24-9-82 को संयुक्त गन्ना आयुक्त, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को शिकायती-पत्र भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी पृष्ठांकित है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर जाँच करायी गयी। जाँच के आधार पर दोषी कर्मचारी को भविष्य के लिये कड़ी चेतावनी दे दी गयी है।

## सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा दिया गया इन्द्रपाल सिंह, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री सन्तबक्स रावत—

28 क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति,

ऐशबाग, लखनऊ का दिनांक 16-12-82 का शिकायती पत्र मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को श्री इन्द्रपाल सिंह, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ, है ? यदि हाँ, तो पत्र क्या है और उस पर शासन द्वारा कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हाँ। सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति, ऐशबाग लखनऊ ने यह शिकायत की थी कि उनको श्री इन्द्रपाल सिंह ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दी जा रही यातनाओं के विषय में अवगत कराने पर संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा जाँच ठीक प्रकार नहीं की गयी और की गयी जाँच की जानकारी उन्हें नहीं दी गयी है तथा श्री इन्द्रपाल सिंह उक्त रिपोर्टों के प्रतिशोध में उनके विरुद्ध निराधार शिकायतें करवाने में व्यस्त हैं।

वास्तव में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ने उक्त समिति के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सचिव के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्ट की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे खिन्न होकर सचिव ने उनके विरुद्ध शिकायती पत्र मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को भेजे जिन पर जाँच करायी गयी व शिकायतें तथ्यहीन पायी गयी। फिर भी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्री इन्द्रपाल सिंह से सचिव के सम्बन्ध ठीक न रह जाने के कारण उनको उक्त समिति की लेखा परीक्षा से हटा लिया गया।

## श्री वेद प्रकाश चकबन्दी अधिकारी एवं श्री राजपाल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, अलीगढ़ का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

श्री सुल्तान सिंह—

29 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ की तहसील इंगलास के गोंडा चकबन्दी क्षेत्र पर श्री वेद प्रकाश, चकबन्दी अधिकारी एवं श्री राजपाल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी, अलीगढ़ पर कार्यरत हैं ? यदि हाँ, तो इनका स्थानान्तरण किस अधिकारी ने 1982 में किस आधार पर किया और किस अधिकारी ने स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया ? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा पुनः स्थानान्तरण किया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं।

केवल श्री राजपाल सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी, अलीगढ़ के पद पर कार्यरत हैं।

श्री वेद प्रकाश, चकबंदी अधिकारी, अलीगढ़ का स्थानान्तरण दिनांक 1 मार्च, 1983 को फतेहपुर को कर दिया गया और वे 9-3-83 को मुक्त कर दिये गये हैं।

श्री वेद प्रकाश तोमर, चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण चकबन्दी आयुक्त, उत्तर-प्रदेश द्वारा पहिले 18-11-1982 को प्रशासनिक आधार पर किया गया था जिसे शासन द्वारा 19-11-82 को स्थगित किया गया।

शासन द्वारा पुर्नविचारोपरान्त 23-2-1983 को श्री वेद प्रकाश तोमर, चकबन्दी अधिकारी, अलीगढ़ का स्थानान्तरण किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये गये जिसके अनुपालन में वह 9-3-1983 को कार्य मुक्त हो चुके हैं।

## जनपद आगरा की तहसील बाह की टाउन एरिया पिनाहट की भूमि पर कब्जा

श्री सुल्तान सिंह--

30 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की तहसील बाह की टाउन एरिया पिनाहट के खसरा संख्या 3162 (31.62) बंजर भूमि है ? यदि हाँ, तो इस नम्बर पर इस समय किसका अनाधिकार कब्जा है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

तहसील बाह के टाउन एरिया पिनाहट के अंतर्गत खसरा संख्या--3162, जिसका क्षेत्रफल 19 बिस्वां है मौके पर यह बंजर भूमि नहीं है बल्कि ऊसर भूमि है। इस 19 बिस्वां क्षेत्रफल में 13 बिस्वा रकबा पर किशन बाबू व महेन्द्र प्रसाद 15 साल से और महावीर प्रसाद, हरी सिंह, विजय सिंह, मु0 नहनी, मु0 हरि प्यारी, मु0 रामश्री 16 साल से बतौर मौरूसी श्रेणी, दर्ज कागजात हैं। परन्तु मौके पर इनका किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा इनके नाम अंकित सम्पूर्ण क्षेत्र 13 बिस्वा मौके पर अकृषिक है। शेष 6 बिस्वा क्षेत्रफल किसी व्यक्ति के नाम अंकित नहीं हैं बल्कि ऊसर अंकित है तथा इसमें एक पक्का कुंआ, सैयद का पक्का मजार व चबूतरा एवं 5 पक्की कब्रे हैं जो प्राचीन समय की हैं। काश्तकार के नाम जो 13 बिस्वा भूमि कागजात में अंकित है उसमें से 6 बिस्वा भूमि पर कच्ची कब्रें विद्यमान हैं तथा 10 बिस्वांसी रकबे पर श्री राम दास पुत्र शीतल प्रसाद नि0 मुहल्ला मार कस्बा पिनाहट की झोपड़ी बनी है जिसमें वह बढ़ईगीरी का काम करता है तथा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जो खाली पड़ी है, में से आम रास्ता निकलता है। प्रश्नगत भूमि नान-जेड0 ए0 एरिया में स्थिर है और जमींदारों की है।

## केहरी आदि जाटव निवासी, खेरियाशिकमी गोहाना जिला मैनपुरी द्वारा भूमि का बैनामा करने की अनुमति संबंधी प्रार्थना पत्र

श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कब बैनामा करने की अनुमति और कब तक के लिए दी ? क्या बैनामा अनुमति के समय के अन्दर करा लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

32--श्री यदुनाथ सिंह--

(माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

33--श्री अदल--

(8 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

34--श्री ऊदल--

(8 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

35--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

( 8 वें शुक्रवार के लिए स्थगित)

36--श्री यदुनाथ सिंह--

(माननीय सदस्य की सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त)

37--श्री यदुनाथ सिंह--

(माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त)

श्री मदन मोहन शरण सक्सेना सुपरवाइजर कानूनगो का निलम्बन तथा बहाली

श्री छत्तर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 24-11-81 को मदन मोहन शरण सक्सेना सुपरवाइजर कानूनगो, अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर को आरोप पत्र 19-3-82 को एस0डी0एम0 अनूपशहर ने दिया था, निलम्बित कर दिया गया था ? क्या 19-4-82 को श्री सक्सेना के द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दे दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणोंवश श्री सक्सेना को बहाल नहीं किया जा रहा है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

श्री मदन मोहन शरण सक्सेना, सुपरवाइजर कानूनगो को निलम्बन के पश्चात् आरोप पत्र दिनांक 16-4-82 को दिया गया था जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने 18-4-82 को दिया।

श्री सक्सेना को 26-2-83 के आदेश द्वारा बहाल कर दिया गया है।

जनपद गाजीपुर में धारा 229 वीं एवं 176 के अन्तर्गत विचाराधीन वाद

श्री रामनारायण सिंह (एडवोकेट)--

40 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में इस समय धारा 229वीं एवं धारा 176 जमींदारी विनाश अधिनियम के कितने वाद विगत दस वर्षों से विचाराधीन हैं ? इनके निस्तारण का कौन सा कदम सरकार द्वारा अपनाया गया है ? क्या सरकार इसके निस्तारण के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

जनपद गाजीपुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229 बी के अन्तर्गत 403 वाद एवं धारा 176 के अन्तर्गत 167 वाद विचाराधीन है। इनमें से कोई वाद विगत् दस वर्षों से विचाराधीन नहीं हैं। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

## वाराणसी जनपद में चकबन्दी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

श्रीमती धनेश्वरी देवी—

41 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कितने ऐसे चकबन्दी अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया था किन्तु पुनः वापस वाराणसी जनपद में स्थानान्तरित होकर आ गये हैं ? क्या मन्त्री जी उन अधिकारियों के स्थानान्तरण पुनः वाराणसी जनपद से अन्यत्र स्थान पर करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद वाराणसी में 2 ऐसे चकबन्दी अधिकारी हैं जो पूर्व में भी इस पद पर यहाँ कार्य कर चुके हैं और पुनः स्थानान्तरित होकर वाराणसी में कार्यरत हैं।

सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा।

श्रीमती धनेश्वरी देवी—

42 क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कितने ऐसे सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी है, जिन्हें वाराणसी में कार्य करते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक हो गया हैं जिनका स्थानान्तरण वाराणसी से नहीं किया गया ? क्या मन्त्री जी उन सभी अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद वाराणसी में 11 सहायक चकबन्दी अधिकारी 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई चकबन्दी अधिकारी कार्यरत नहीं है। सामान्य स्थानान्तरण के समय विचार किया जायेगा।

## महाप्रबन्धक बाराबंकी शुगर फैक्ट्री, बाराबंकी के आशुलिपिक श्री बजरंग सिंह की सेवा निवृति उपरान्त भी उसी पद पर कार्य किया जाना

श्री गोपीनाथ वर्मा—

43 क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि महाप्रबन्धक बाराबंकी शुगर फैक्ट्री बाराबंकी के आशुलिपिक, श्री बजरंग सिंह सेवानिवृत्ति के बाद भी कई वर्षों से उसी पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी हाँ। श्री बजरंग सिंह के प्रतिस्थानी की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के मुख्यालय तथा निगम की अन्य इकाइयों से माँग करने पर तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर भी उपयुक्त आशुलिपिक नहीं मिल सका जिसके कारण श्री सिंह से दैनिक वेतन पर कार्य लिया जाता रहा।

## ग्राम प्रधान, पिपरहिया घोडहिया, निकास खण्ड नौतनवां, गोरखपुर द्वारा दिया गया बाढ़ से बचाव के लिए प्रार्थना पत्र

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान पिपरहिया (घोडहिया) ब्लाक नौतनवां

गोरखपुर के प्रधान ने गत 18-11-82 को मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को इस आशय का पत्र लिखा है कि बुरी तरह बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद भी उनके तथा लगभग एक दर्जन गाँवों को सहायता नहीं दी गयी ? क्या आसपास के लोगों ने यह भी मांग किया कि बाढ़ से बचाव के लिए कोई स्थायी प्रबध किया जाय ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम प्रधान पिपरहिया घोढ़हिया विकास खण्ड नौतनवां, गोरखपुर का पत्र दिनांक 18-11-82 जो जिलाधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ था जिस पर जांच में यह ज्ञात हुआ कि आवेदन पत्र में अंकित गांवों में कोई बाढ़ नहीं आयी थी । महान नाले का एक किनारा अतिदृष्टि के कारण टूट जाने के फल वरूप निचले भू-खण्डों में स्थिति ग्रामों में पानी भर गया था जो दूसरे ही दिन खाली हो गया । चूंकि इससे कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई थी, अत: कोई सहायता कार्य नहीं कराया गया ।

सिंचाई विभाग (ड्रेनेज) द्वारा उक्त नाले को गहरा एवं चौड़ा करने तथा कगार को ऊँचा उठाने का कार्य कराया जा रहा है ।

## जनपद बहराइच ग्राम बरखड़िया में ग्राम समाज की भूमि पर वन विभाग द्वारा अनधिकृत कब्जा

श्री जटाशंकर सिंह—

45 क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच, तहसील नानपारा परगना धरमापुर के राजस्व ग्राम बरखड़िया के राजस्व अभिलेख खतौनी (फसली 1387 से 1392) तक की खाता संख्या 639 गाटा सं0 1055, 1060 एवं 1061 ख, ग्राम समाज की सम्पत्ति है और उस पर वन विभाग बहराइच (पश्चिम प्रभाग) ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत ग्राम बरखड़िया की खतौनी 1387 से 1392 फसली के खाता सं0 639 में गाटा सं0 1055, 5860 ग तथा 1061 ख जंगल अंकित है और खतौनी अनुसार ग्राम सभा सम्पत्ति है । यह भूमि मौके पर जंगल है और इस पर वन विभाग पश्चिमी रेज करतनियाघाट का कब्जा है । वन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार बरखड़िया जंगल भारतीय अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 8-4-70 द्वारा आरक्षित वन घोषित हो चुका है और इस कारण उस पर वन विभाग का अध्यासन है । अभिलेखों एवं नक्शों आदि के आधार पर इस समस्या के नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी बहराइच को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

## तहसील महाराजगंज के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में दंगा होने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज के ग्राम

पुरुषोत्तमपुर, डा0 लक्ष्मीपुर में एक दंगा से सम्बन्धित सार्वजनिक मार्ग के अवरुद्ध होने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 20-8-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## प्रदेश में बाढ़ से क्षति तथा राहत कार्य

श्री हरिवंश सहाय—

47 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में बाढ़ से 1 जुलाई, 1982 से 30 सितम्बर, 82 के बीच कितनी क्षति हुई, कितने लोग मरे तथा राहत कार्य क्या किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील--

1–7–82 से 30–9–82 के बीच प्रदेश के 43 जनपद बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित हुए । हानि का विवरण नीचे दिया जा रहा है--

| | |
|---|---|
| प्रभावित ग्रामों की संख्या | 30,527 |
| प्रभावित जन संख्या | 2,17,91,986 |
| प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | 51,95,108 |
| प्रभावित कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 31,25,130 |
| क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या | 6,36,255 |
| जीवन हानि-मनुष्य | 55 |
| पशु | 2,348 |
| राहत तथा बचाव का विवरण निम्न प्रकार है-- | |
| स्थापित बाढ़ चौकियां | 1,441 |
| स्थापित बाढ़ सहायता केन्द्र | 764 |
| प्रयुक्त मोटर बोट | 50 |
| प्रयुक्त मोटर लांच | 9 |
| प्रयुक्त देशी नावें | 10,221 |
| सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाये गये-- | |
| मनुष्य | 4,21,808 |
| पशु | 4,06,630 |

शासन द्वारा दिनांक 30–9–82 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों को रु0 1565·74 लाख विभिन्न राहत कार्यों हेतु आवंटित किया गया । इसके अतिरिक्त रु0 133·00 लाख आपदा तकाबी मद में भी आवंटित किया गया ।

## जनपद मिर्जापुर में भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को आवंटित भूमि

श्री रामचरण सिंह--

48 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981–82 व

1982-83 में कितने भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को कितने एकड़ भूमि कहाँ-कहाँ दी गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में 844 भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को 1,189-64 एकड़ तथा वर्ष 1982-83 में 954 भूमिहीन अनुसूचित जाति के परिवारों को 500-77 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। प्रश्न के शेष भाग के सम्बन्ध में सूचना कार्यालय में उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है।

गाँव हरचन्दपुर, जिला इटावा में भूमिहीनों, हरिजनों को दिया गया कब्जा तथा अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री ऊदल—

49क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव हरचन्दपुर तहसील विधूना, जिला इटावा में सन् 75 से लेकर सन् 78 तक करीब तीन सौ भूमिहीनों, हरिजनों को पट्टा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितने पट्टेदारों को कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम हरचन्दपुर तहसील विधूना जिला इटावा में वर्ष 1975 से 1978 तक ग्राम सभा भूमि 309 व्यक्तियों को तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन अतिरिक्त घोषित भूमि 33 व्यक्तियों को आवंटित की गई है। इनमें क्रमशः 215 व 23 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। इनमें से ग्राम सभा भूमि से सम्बन्धित दो (2) पट्टेदारों के पट्टे धारा 198 (4) ज० वि० एवं भू० व्य० अधिनियम के अन्तर्गत निरस्त किये जा चुके हैं।

शेष सभी आवंटियों को आवंटित भूमि का अध्यासन स्थल पर भूमि सीमांकित करके करा दिया गया है। बाद में ग्राम समाज भूमि के 18 आवंटियों एवं सीलिंग भूमि के 4 आवंटियों की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे प्रकाश में आये। अनाधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम प्रधान श्री हुब लाल एवं श्री लालबहादुर द्वारा कोलिया के बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न विवरण हेतु दिया गया पत्र

श्रीमती गौरी देवी—

50 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम उत्तरी कोलिया, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के ग्राम प्रधान श्री हुबलाल तथा लालबहादुर ने राप्ती में विलीन 40 परिवारों को बसाने के लिए जमीन व सहायता के सन्दर्भ में दिनांक 13 दिसम्बर, 82 व 28 दिसम्बर, 82 को जिला अधिकारी गोरखपुर, को पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो क्या राप्ती में विलीन परिवार को बसने के लिए जमीन तथा आर्थिक सहायता दी गयी।

श्री बैजनाथ कुरील—

जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त सूचनानुसार प्रधान ग्राम सभा उत्तरी कोलिया एवं श्री लालबहादुर द्वारा ग्राम कोलिया के बाढ़ पीड़ितों को खाद्यान्न वितरण हेतु पत्र दिये गये थे, जिन्हें खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया।

उक्त ग्राम में 41 परिवारों के मकान राप्ती नदी के कटान से प्रभावित हैं। इन्हें अन्यत्र बसाने की अस्थायी व्यवस्था कर दी गयी है। वैकल्पिक भूमि दिये जाने के लिये उसी ग्राम में कुल 2 11 एकड़ भूमि अध्याप्ति करने का प्रस्ताव भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया है।

मकनपुर फेयर कमेटी हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य चौधरी कमर हुसैन द्वारा मेला मकनपुर, कानपुर की वार्षिक आमदनी से उक्त स्कूल को भुगतान न किये जाने विषयक पत्र

श्री मोतीलाल देहलवी—

51क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत 22-8-80 को जनपद कानपुर के अन्तर्गत मकनपुर फेयर कमेटी हायर सेकेण्ड्री स्कूल के प्रधानाचार्य चौधरी कमर हुसैन ने मेला मकनपुर, कानपुर (देहात) की वार्षिक आमदनी से उक्त स्कूल को 1/4 भाग तथा स्कूल भवन कोष, 1966 से भुगतान न किये जाने विषयक मन्त्री जी को, जो आवेदन-पत्र दिया था क्या उसकी जाँच कराई गयी है। यदि हां, तो जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और जाँच रिपोर्ट क्या है। जाँच रपट के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्नगत मामले की छानबीन ज्येष्ठ निरीक्षक, वक्फ द्वारा कराई गई जिन्होंने निष्कर्षतः यह सुझाव दिया गया कि इस मामले के आय-व्यय की विस्तृत जाँच करायी जाये। तदनुसार राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी से विस्तृत जाँच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

52 श्री यदुनाथ सिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत पुरवे व उनकी जन-संख्या तथा निजी एवं सरकारी कुएँ

श्री राम आसरे वर्मा—

53 क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत कितने पुरवे हैं? प्रत्येक का नाम व जनसंख्या क्या हैं। ग्राम सभा के अन्तर्गत कितने निजी कुएँ और कितने सरकारी कुएँ किस भूखण्ड पर है। निजी कुओं के मालिकान कौन-कौन है? तथा क्या वे गाँव के नक्शों में दर्शाये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम रसूलपुर चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है। इस ग्राम में अभी भू-चित्र संशोधन एवं पड़ताल कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है। वांछित सूचना पड़ताल समाप्त होने एवं विवादों के निस्तारण के पश्चात् ही प्राप्त हो सकती है।

बाराबंकी न्यायालय में श्रीमती चिल्ला देवी बनाम सूरज बख्श का दायर वाद पर कृत कार्यवाही

श्री तेज बहादुर गंगवार—

54 क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, बाराबंकी की अदालत

में 1957-58 में श्रीमती चिल्ला देवी बनाम सूर बख्श एक नीलाम पत्रावली जिसका आर्डर नं० 21 दफा 94 मजमुआ जाप्ता दीवानी 1908 दायर हुई थी ? उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वर्ष 1957-58 में दीवानी न्यायालय के आदेश दिनांक 13-11-54 के आधार पर जिलाधिकारी, सेल आफिसर बाराबंकी के न्यायालय में श्रीमती चिल्लादेवी बनाम सूरज बख्श नीलामी बाद दायर हुआ था जिसमें नीलामी की सारी कार्यवाही नियमानुसार करके श्रीमती चिल्लादेवी के हक में सेल सार्टीफिकेट दिनांक 16-10-1958 तक जारी कर दिया गया ।

## लोक सेवा आयोग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रोन्नति किये जाने हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अलावा अन्य के प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत आज 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें (1) श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ और श्री शंकर सिंह, (2) श्री कुंवरसिंह नेगी और नरेन्द्रसिंह भंडारी, (3) श्री मोहनसिंह (4) श्री लल्लूसिंह चौहान, (5) श्री धर्मवीरसिंह, (6) श्री विद्यासागर नौटियाल तथा (7) श्री जसवन्तसिंह विष्ट की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है, शेष सभी को अस्वीकार किया है ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

मा0 अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (वि0 एवं या0) के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये वर्ष 1981-82 में लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये चयन का परिणाम शासन को माह जनवरी 1983 में प्राप्त हो गया है । लोक सेवा आयोग चयनोन्नति अधिनियम 15 के अन्तर्गत परिणाम तत्काल घोषित करने का प्राविधान है परन्तु लगभग 2 माह बीत जाने के पश्चात् भी शासन द्वारा परिणाम घोषित नहीं किया गया । बल्कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियम का उल्लंघन करके अन्य कर्मचारियों को प्रोन्नति दी जा रही है । जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार आयोग द्वारा चयनित कर्मचारीगण पदोन्नति पाने से वंचित रह जायेंगे और कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा । जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों में तीव्र रोष पैदा हो गया है जिसके कारण शासकीय कार्य लगभग ठप्प हो गया है ।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए मांग करता हूं कि परीक्षा फल तत्काल घोषित किया जाय तथा सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

## महाधिवक्ता कार्यालय (इलाहाबाद) में हो रही हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

अध्यक्ष महोदय, महाधिवक्ता कार्यालय के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के समर्थन में हड़ताल की गयी है, हड़तालियों ने कार्यालयों के दरवाजे ताले लगाकर बन्द कर दिये हैं। विधि अधिकारियों को मुकदमों की फाइलें नहीं मिल रही हैं जिसकी वजह से वे सरकार की ओर से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। हड़तालियों ने महाधिवक्ता के कार्यालय पर धरना दे रखा है। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्य ठप्प हो गया है। वादीकारी अत्यधिक परेशान हो गये हैं और उनमें भयंकर आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर हम मा0 न्यायमन्त्री से निवेदन करते हैं कि तत्काल हड़ताली कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार कर हड़ताल समाप्त करायें और हाईकोर्ट का कार्य सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें ताकि वादकारियों को परेशानी न हो।

## माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाएं प्रारम्भ होने के बाद संस्थागत छात्रों के केन्द्र परिवर्तन से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह चौहान—

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लोक महत्व की घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 ने 19 मार्च को अपने पत्रांक संख्या मा0शि0 परीक्षा क/14/1238 (1) दिनांक 19-3-83 से परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किया है। 15 मार्च से परीक्षायें प्रारम्भ हो चुकी हैं उसके पश्चात् हाई स्कूल संस्थागत परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करना परिषद् के सदस्यों तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् व शिक्षा निदेशक की नियत में शंका उत्पन्न करता है।

मान्यवर, उपरोक्त आदेश से जनता इन्टर कालेज हरचन्दपुर रायबरेली के हाईस्कूल संस्थागत परीक्षार्थियों का केन्द्र बछरावां रायबरेली से हटाकर अपना ही विद्यालय हरचन्दपुर रायबरेली कर दिया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश में संस्थागत छात्र अपने विद्यालय से हटाकर अन्य केन्द्रों पर रखे जाते हैं।

श्रीमन्, उपरोक्त केन्द्र परिवर्तन परीक्षायें प्रारम्भ होने के बाद किया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि इस नियम के विरुद्ध कार्यवाही की उच्च-स्तरीय जाँच की जाय।

## पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिलों द्वारा गन्ना की पिराई न करने के विरोध में श्री हर्ष वर्द्धन सिंह द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

पूर्वी उ0 प्र0 में आज भी लाखों टन गन्ना खेतों में खड़ा है, मिलों के बारे में सरकार ने निर्देश दे दिया है कि केवल आरक्षित गन्ने की पेराई करके मिल बन्द कर दी जायँ। अभी तक पूरे प्रदेश में कुल साढ़े दस लाख टन चीनी तैयार हुई है जो पिछले वर्ष की आधी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि गन्ने का रकबा बढ़ा है। पूर्वी उ0प्र0 के किसान अपना गन्ना खेतों में जलाने की स्थिति में हैं। इसके विरोध में जनता पार्टी के नेता श्री हर्ष वर्द्धन सिंह ने फरेंदा जिला गोरखपुर के चीनी मिल के गेट पर 20 मार्च 83 से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मैं सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूँ।

## बुढ़ाना गन्ना सहकारी समिति (मुजफ्फरनगर) के अधिकारियों द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गन्ना सहकारी समिति के माध्यम से खतौली चीनी मिल का हर साल किसानों का गन्ना सप्लाई किया जाता है। इस सोसाइटी में कार्यरत अधिकारियों ने कृषकों के नाम फर्जी रसायनिक खाद, बीज आदि के इनदराज करके लगभग 10 लाख रुपये का गबन कर लिया है और वरिष्ट अधिकारी की साजिश होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। किसानों के फर्जी नाम व हस्ताक्षर बनाकर अधिकारियों द्वारा गबन किये गये। दूसरी ओर गन्ना कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान बन्द कर दिया गया है। धन की वसूली हेतु भी कृषकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण समस्त क्षेत्र में अत्यधिक भ्रम एवं शासन के प्रति अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया है, यदि इसमें शीघ्र कार्यवाही न की गई तो जनता आन्दोलन करने पर मजबूर हो जायेगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन के संज्ञान में लाते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपयुक्त घटना से सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित किया जाय और उच्चस्तरीय जाँच तत्काल कराई जाय।

## विकास नगर देहरादून में निर्बल लोगों की भमि को मण्डी समिति हेतु बलात् अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, देहरादून विकास नगर में मण्डी समिति द्वारा निर्बल वर्ग के हरिजनों तथा छोटे किसानों के परिवारों को उजाड़ कर निर्माण कार्य किया जाना जारी है। ये सब लोग मात्र एक बीघा से चार बीघा तक के किसान थे। धनी किसानों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया। घर के पुरुषों की अनुपस्थिति में रोज-ब-रोज अपरिचित तत्व बेबस महिलाओं को आतंकित करने लगे। जिला प्रशासन खामोश हो गया। इन्हें प्रति बीघा जो दर प्रतिकर की दी गई उसमें चौथाई बीघा भूमि भी नहीं खरीदी जा सकती। इनकी झोपड़ियाँ भी ले ली गई हैं। ये परिवार आजीविका अथवा निवास स्थान हेतु किसी भी तरह की भूमि की याचना कर रहे हैं। आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि इनके पुनर्वास हेतु कार्यवाही की जाय और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें भूमि का वही प्रतिकर दिया जाय जिसके आधार पर वे उतनी भूमि खरीद सकें, जिसमें बेदखल हुए लोग निवास हेतु भवनों का निर्माण कर सकें।

नादर गंज (लखनऊ) निवासिनी कु० तारा देवी जोशी के अपहरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19-3-83 को प्रातः 11 बजे कु0 तारादेवी जोशी पुत्री श्री हरिदत्त जोशी उम्र 17 वर्ष, नादरगंज, थाना सरोजनी नगर, लखनऊ को, श्री योगेन्द्र सिंह की और हेड कान्स्टेबिल श्री श्याम लाल जो थाना सरोजनी नगर में हैं, की लड़की रेनू, कु० तारादेवी जोशी को (श्री हरिदत्त जोशी) उसके पिता, के घर से बुला ले गयी और तब से वह आज तक अपने घर नहीं आयी है और न उसके जिन्दा या मरे होने की कोई सूचना नहीं मिल पायी है। उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 19-3-83 को सायंकाल 22·30 बजे थाना सरोजनी नगर में लिखायी गयी है। कु0 तारा देवी के पिता को इस बात का शक है कि या तो उनकी पुत्री को मार डाला गया है या पुलिस द्वारा बेच दिया गया है। इस घटना से वहाँ के सभ्य नागरिकों में भय व क्षोभ व्याप्त है। अतः मैं माननीय सदन के संज्ञान में इस विषय को लाकर शासन से मांग करता हूँ कि वह कु0 तारा जोशी के जिन्दा या मरे होने का पता अविलम्ब लगवाएं व अपराधियों के विरुद्ध तुरन्त कठोर कार्यवाही करे। श्री जोशी को उक्त हेड कांस्टेबिल द्वारा उनकी पुत्री को भगाये, बेचे व जान से मार डालने का पूरा शक है।

दिनांक 24 मार्च 1983 को दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष जी, कल जब सदन उठ रहा था, उस समय जिन दो...

श्री मोतीलाल देहलवी—

मुझे भी कुछ निवेदन करना है .....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है, उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

युवकों ने सदन में पर्चे फेंके थे और अभद्र व्यवहार किया था, उनको शस्ति देने का प्रकरण कल यहाँ चल रहा था, तो उस समय मैंने यह कहा था कि यह बड़े लज्जा की बात है कि हमारे हाउस गार्डों ने उनको बुरी तरह से मारा-पीटा। लेकिन जब बाद में तथ्य हमारे सामने आये तो मालूम हुआ कि यह कौंसिल हाउस गार्ड्स ने नहीं किया है, बल्कि पुलिस ने किया है। इस सम्बन्ध में पहले तो मैं उनके बारे में कहने के लिए खेद प्रकट करता हूं, फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, वह बहुत गम्भीर हैं, उनके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गम्भीर चोटें लगी हैं, जिसकी मेडिकल जांच भी हुई है। मैंने स्वयं उनकी चोटों को देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जो दर्शक दीर्घाएं आपके नियन्त्रण में हैं, उनमें पुलिस-जन पहुंचे कैसे। एक बार यह मामला पहले भी उठा था, उस समय सभा मंडप में राष्ट्रीय झंडा लगाये जाने के स्थान में पुलिस न बुलाये जाने के प्रश्नों पर विचार के लिए एक समिति बनी थी। यह समिति 1970 में बनी थी और जिसमें हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य श्री आत्माराम गोविन्द खैर उसके सभापति थे और श्री बासुदेव और श्री चन्द्रभान गुप्त आदि तमाम उसके सदस्य हुआ करते थे।

उसने कुछ अनुशंसायें की थी, उसकी नम्बर 3 पर जो अनुशंसा है, उसे देखने की मान्यवर कृपा करें।

(3) यदि सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति दीर्घाओं में अव्यवस्था उत्पन्न करे, तो उनको वहाँ से निकालने के लिये पुलिस का प्रयोग वर्जित न होगा।

तो मान्यवर, जब कोई अव्यवस्था हो जायगी, और जब कोई बात आपके संज्ञान में आती है, तो जो आपके कर्मचारी नियुक्त हैं, उस समय पुलिस को बुला सकते हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार पूरी दीर्घा पुलिस को सौंप दी गयी है और जो पुलिस लोग, जो सादी वर्दी में रहते हैं, हमेशा वे अभद्र व्यवहार करते हैं। वे मान्यवर, दो काम करते हैं, हम लोगों के जो भाषण हैं, उसकी वे टिप्पणियाँ भी बना कर अपने अधिकारियों को सौंपते हैं। वह रहें, लेकिन आगे भी इसमें दिया हुआ है, अनुशंसा (2) मान्यवर, देखें।

(2) मार्शल के अधीन ऐसे रक्षकों की संख्या 20 (बीस) होगी और उनको सदस्यों से शिष्टता-पूर्वक व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जायगा।

मान्यवर, मार्शल की गाइडेंस में आपके हाउस के गार्ड्स हैं, दूसरे कौंसिल हाउस के गार्ड्स हैं, क्योंकि उन्हें शिष्ट व्यवहार का आचरण देना है। मान्यवर, मेरी मांग है कि सदन की इस तरह से अप्रतिष्ठा न हो, जो रोज थाने और चौकियों में हुआ करती है, यह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यह जो वर्जित, निगेटिव बात लिखी हुई है, वह अपरिहार्य परिस्थिति में रहना चाहिए। मान्यवर, कल जो हुआ, इससे आदरणीय सदन की और आपकी प्रतिष्ठा में धक्का लगा है। मान्यवर, यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

* श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जिस घटना की ओर माननीय गुप्ता जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है, वह वाकई में बड़ी गम्भीर घटना है। मान्यवर, इस सदन में जब-जब चर्चायें हुई हैं, चाहे महामहिम राज्यपाल के भाषण पर या अन्य किसी भाषण पर, हमेशा ही थर्ड डिग्री मेथड पुलिस अख्तियार करती है और श्रीमन् यह घटना इस तरह की है कि यह आपके परिसर में थर्ड डिग्री मेथड यहाँ इस्तेमाल हुआ। जो उन्होंने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली थी, उसके बारे में आपको, सदन को, सबको निर्णय लेने का अधिकार है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जो समिति की रिपोर्ट वगैरह का हवाला माननीय गुप्ता जी ने दिया, उसका निश्चित मत यही था कि सदन के अन्दर पुलिस नहीं आयेगी। इसीलिए कौंसिल हाउस गार्ड की संख्या बढ़ाई गयी कि पुलिस नहीं बुलाई जायगी, जब तक कि आप जरूरत नहीं सम-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

झेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर पुलिस वाले आकर माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जाया करते थे, वह सब सारी परिस्थितियों पर विचार करके समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि सदन के अन्दर पुलिस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। श्रीमन्, यह जो दर्शक दीर्घायें हैं, ये भी आपकी परिधि में हैं। ये भी इसी सदन का पार्ट हैं। क्या उसके अन्दर थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है ? अगर नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई थर्ड डिग्री मेथड इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ आप या स्वयं यह सदन कोई कार्यवाही कर सकता है या यह हमारी ताकत से बाहर है ?

श्री भीखा लाल—

जो बातें कही जा चुकी हैं, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। यह पुलिस का यहाँ आना, आपके आदेश पर ही होगा। यह नियमित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि दर्शक दीर्घाओं में पुलिस सादे कपड़ों में बैठी रहे और वह यही काम करे जो थाने और चौकियों में हुआ करते हैं। यह आपके कार्य-क्षेत्र की बात है और सदन की गरिमा की बात है। इसमें जिन दो लड़कों ने सदन की कार्यवाही में विघ्न डाला, उसमें सजा देने का अख्तियार सदन को है।

कल जो उन लड़कों को पीटा गया तो उनकी डाक्टरी रिपोर्ट की फोटो स्टेट कापी मेरे पास मौजूद है। राम शंकर सिंह को 5 चोटें आयीं हैं और दूसरे लड़के शिवनन्दन के एक चोट आयी है। तो इस तरह की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये।

* संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर; वैसे यह मामला कल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया था और आपने कहा था कि आप इसको दिखलवा रहे हैं जाँच करवा रहे हैं। चूंकि मामले की जाँच आप करवा रहे हैं इस वजह से इसकी ज्यादा टीका-टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक आरोप राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने यह लगाया कि किसी प्रकार की यहाँ रिपोर्टिंग करवायी जाती और अधिकारियों को भेजी जाती है। तो मैं इसका पूरी शक्ति के साथ, इसका पुरजोर खंडन करता हूँ। इस तरह की कोई चीज नहीं है यह आरोप बिल्कुल असत्य और निराधार है। दूसरी बात यह कही गयी कि किसी तरह की अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ पर सदन के कार्य-संचालन में बाधा पड़ती है तो उससे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी इंकार नहीं किया कि उस समय सदन के कार्य में बाधा पड़ती है तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस भी आवे तो वह चीज, वह पूरे तरह से परमीसिबिल है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह नहीं कहा।

श्री रियासत हुसैन—

किसकी परमीशन से आ सकती है यह मैं जानना चाहूँगा।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मंत्री जी बैठ गये हैं। मैंने जो बिंदु उठाया है वह यह है कि जिस समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपरिहार्य परिस्थिति हो उस समय आपके आदेश से पुलिस आ सकती है। लेकिन क्या किसी एंप्रीहेंशटन में ऐसा किया जा सकता है, किसी संभावना से यह किया जा सकता है कि वह लाइन लगाकर खड़े हो जायँ। आपके नियंत्रण के बाहर हो जाय उस स्थिति में आप बुला सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति की संभावना में पहले से पुलिस खड़ी हो जाय इसका क्या औचित्य है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरी बात गुप्ता जी ने सुनी नहीं उसके पहले ही आपत्ति उठा दी। मैं यही बात कहने जा रहा था। मान्यवर, यहाँ पुलिस आये या न आये आप जब तक उस पर निर्णय नहीं लेते हैं तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप जब निर्णय करेंगे तब हो सकता है। मान्यवर, मैं आपकी पीठ से इस संबंध में जो निर्णय दिया गया है तो निर्णय 83 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"सदन के परिसर के अंदर होने वाली अव्यवस्था को पुलिस रोक सकती है। अगर परिसर के अंदर कोई बात हो रही हो और वह कानून के विरुद्ध हो तो पुलिस सक्षम है उसके लिये कार्यवाही करे।" मान्यवर, कहीं नहीं लिखा है कि न बुलाया जाय। पुलिस सक्षम है, कार्यवाही कर सकती है। मान्यवर, मामला आपके विचाराधीन है आप इन्क्वायरी करा रहे हैं तो इन्क्वायरी से तथ्य सामने आयेंगे। जो आप समझेंगे उचित निर्णय देंगे। यह प्रश्न कल भी उठाया गया था लिहाजा आज आप इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में न स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

कल सायंकाल माननीय गुप्त जी ने मेरे समक्ष यह बात कही थी मैंने यह निर्णय दे दिया था कि सारे मामले को मैं देख रहा हूँ। इसकी जांच कराऊँगा कि क्या किस्सा है ? किसकी घड़ी चली गयी या किसको चोट आयी और किसने क्या किया ? उसके बाद मैं सदन को सूचित करूँगा। मैंने कल ही इसका निर्णय दे दिया था। तो इसी आशय को लेकर औचित्य के प्रश्न का कोई मामला इस प्रकार का नहीं है जिसको मैं स्वीकार कर लूं। मामले की जांच हो रही है उसके बाद इसे सदन के सम्मुख रखा जायगा और उसके बाद निर्णय हो सकेगा। अतः इस प्रश्न को मैं उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस पर हमें कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—

क्यों, यह तो समाप्त हो गया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से भिन्न राय देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

जब इसकी रिपोर्ट आ जायगी तो मैं आपको कांफीडेंस में ले लूंगा। मुझे बता दीजियेगा।

## बाल्टी बाबा, अध्यक्ष राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा प्रबन्ध निदेशक को पीटे जाने एवं अध्यक्ष विधान सभा को सम्मोहित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके कहने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपका यह औचित्य का प्रश्न आया है, उसमें लिखा है कि जादू के करिश्में से अध्यक्ष विधान सभा सम्मोहित हो गये, उसमें लिखा है विधान सभा का एजेन्डा नहीं छपने देंगे तो, इस प्रकार जहाँ तक विधान सभा अध्यक्ष का मामला है, मुझ पर जादू का कोई असर नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

इसीलिए औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष विधान सभा को क्यों लाते हैं इसमें ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, बाल्टी बाबा ने, जो अध्यक्ष, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम हैं, उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले प्रबन्ध निदेशक श्री पी० के० शर्मा को बुरी तरह पीटा, उनको धमकाया, उनका झगड़ा इस बात का हुआ कि 12 हजार रुपये, जो बिजनेस प्रमोशन के हैं, उनको एम० डी० खर्च करे, या अध्यक्ष खर्च करे, उनकी पी० के० शर्मा की रिपोर्ट किसी थाने मेंनहीं लिखा गयी, श्री शर्मा परिवार सहित शहर छोड़कर आतंक और दहशत की स्थिति में पलायित हैं । औचित्य का प्रश्न मान्यवर, इस बिन्दु पर बनता है कि बाल्टी बाबा ने यह भी कहा कि मुझे असेम्बली नहीं निकाल सकी, तुम मुझको क्या निकालोगे और जादू मन्तर से अध्यक्ष को सम्मोहित कर लिया है । माननीय अध्यक्ष का रहना, इस सदन के संचालन के लिए, वे एक अपरिहार्य अंग होंगे, उनका रहना आवश्यक है । जब आप ही उनके जादू मंतर से सम्मोहित हो जायेंगे तो इस सदन की कार्यवाही नियमित नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष--

मैं हो जाऊंगा, तो आप भी सब लोग हो जायेंगे ।

श्री मोहन सिंह--

इस प्रकार की कार्यवाही इस शहर में वे कर रहे हैं, जिनके उत्पीड़न से 10 सदस्यों के बोर्ड में से 5 ने इस्तीफा दे दिया है । एम० डी० पूरे परिवार सहित पलायित हैं, जो आवश्यक वस्तु निगम की ट्रक है, वह शहर में नहीं निकली है । वहाँ हड़ताल हो गयी है । मान्यवर, इस पर शासन को निर्देशित करें कि इसमें हस्तक्षेप करे और जादू मन्तर वाले बाबा को वहाँ से हटवायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इसके दो भाग हैं, जहाँ तक सम्मोहित होना है, मैं समझता हूं हम लोग एक ही मोहन से सम्मोहित हैं, किसी दूसरे मोहन की जरूरत नहीं है। जो कहा गया कि हजरतगंज थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, तो इन्कवायरी करा दी जायेगी। यह मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न कहीं से बनता नहीं है, किसी धारा या संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सिर्फ बाल्टी बाबा से मैं समझता हूँ, सबसे ज्यादा प्रभावित माननीय मोहन सिंह नजर आ रहे हैं, अध्यक्ष जी सम्मोहित नहीं हुए हैं, मोहन सिंह जी सम्मोहित हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी ने जो यह औचित्य का प्रश्न उठाया है, जिसका विवरण दिया है, मैंने उसको देखा। जहाँ तक नियम 300 (2) का सवाल है, सदन के समक्ष किसी भी कार्य से सम्बन्धित यह माभला नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमारी नियमावली है उसके नियम 289 (क) के अनुसार किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप लगाने से पहले यह आवश्यक है कि वे सदस्य मुझे और सम्बन्धित मन्त्री को इसकी पूर्व सूचना दें। इन तथ्यों को देखते हुए मैं इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की आज्ञा नहीं देता हूँ।

## श्री हर गोविन्द वर्मा एवं श्री जमुना प्रसाद के सदन से निलम्बन के शेष अवधि को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, दुर्भाग्य से परसों, 23 मार्च को, कुछ माननीय सदस्य भावावेश में आकर, उत्तेजना में आकर, इस माननीय सदन के आँगन में आ गये थे। मान्यवर, उनके इस कार्य के लिए उन्हें इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है।

मेरा निवेदन है कि मान्यवर, 2 दिन गुजर चुके हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि उन्हें उस दण्ड से मुक्त कर दिया जाय।

मुख्यमन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो उप नेता विरोधी दल का आग्रह है, मैं उनका आदेश भी मानने के लिए तैयार हूँ कि उन लोगों का दो दिन घटाकरकम कर दिया जाय। लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, कि सदन को चलाने में जहाँ तक सत्ता दल या उसके नेता का सम्बन्ध है।

उससे किसी तरह भी कम हमारे सामने जो बैठे हुए नेता है उनकी नहीं है। हम दोनों का सहयोग एक दूसरे को इस तरह होना चाहिये कि सदन आदर्श रूप से चले और जो लोग आपके कहने और आपके प्रभाव से निकाले जाने के बाद आने का हक प्राप्त कर लेते हैं, उनको प्रभावित करे कि वह निकाले जाने का अवसर दें। ऐसी घटना रोज होती है इससे सदन की गरिमा घटती है। मैं उप नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मोती लाल देहलवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसका अनुमोदन नेता सदन ने भी किया है, यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मुख्यमन्त्री ने विरोधी दल के नेता के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की है। उसके सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज कौन से ऐसे कारण हैं जो आज माननीय विधायकों को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है ? आपके द्वारा मन्त्रियों को कई बार इस प्रकार का निर्देश दिये गये कि विधायकों के प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का सही प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आपका जो आदेश होगा उसका मैं पालन करूँगा। आपके निर्देश के बाद भी उस पक्ष से मन्त्रियों की ओर से सही उत्तर नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जिससे विधायकों में उत्तेजना होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्रियो से कहें कि आपके पीठ से दिये गये निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको टोक दिया था। जब इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं तो ऐसा वातावरण होना चाहिए कि उनका पालन हो सके। भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एक दूसरे के प्रति क्या कर्त्तव्य है, इसको देखना चाहिये ताकि सदन की कार्यवाही ठीक से चल सके।

## उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (अध्यक्षों द्वारा समुन्नति प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया) नियमावली, 1983 †

नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2361/37-2-1983, दिनांक 21 जनवरी, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (अध्यक्षों द्वारा समुन्नति प्रभार के अवधारण की प्रक्रिया) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 55 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

## उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन 1980-81 ††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर का तेईसवाँ

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 को कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

पारितोषिक चिट और धन परिचालन योजना ( रोक ) उत्तर प्रदेश नियमावली, 1980 †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी अनुमति से वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की अधिसूचना सं० आडिट 1433/दस 605 (166) 75, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित पारितोषिक चिट और धन परिचालन योजना (रोक) उत्तर प्रदेश नियमावली, 1980 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की 23-क धारा की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (वाणिज्यिक) †

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 ( सिविल ) एवं वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष ( 1980-81 ) ††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन (सिविल) एवं वित्त लेखों एवं विनियोग लेखे वर्ष (1980-81) उत्तर प्रदेश सरकार को सदन के पटल पर रखता हूँ।

29 सितम्बर 1977 को कानपुर में हुए सिया-सुन्नी दंगे की एकल सदस्यीय रिपोर्ट को पटल पर रखे जाने पर आपत्ति

(संसदीय कार्य मन्त्री के खड़े होने पर)

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आगे बढ़ गया हूँ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसी पर है।.....

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर पेश हो जायेगा तो गलत तथ्य आ जायेंगे। कानपुर में जो शिया-सुन्नी दंगा हुआ उसकी जो रिपोर्ट सी0 डी0 पोरख साहब ने दी, 45 पेज की है। इसमें अन्तिम टिप्पणी जो है, उसका अवलोकन करें, लिखा है कि मैंने जो रिपोर्ट लिखाई थी वह 27 जून, 1980 को सरकार को भेज दी गयी थी। मूल रिपोर्ट और उसकी तीन प्रतियों के बारे में बताया गया है कि वह सचिवालय में यथास्थान पर नही मिल रहीं है। मैंने इसकी कोई प्रति नहीं रखी थी। अनुरोध करने पर लखनऊ से सम्पूर्ण अभिलेख, जिन्हें कलक्टरेट में भेज दिया गया था, मंगाये गये। यह रिपोर्ट मेरी टिप्पणियों और उपलब्ध अभिलेख के आधार पर तैयार की गई है जिसके लिए शासनादेश संख्या 2479-आर/आठ-5-1-77, दिनांक 6 मई, 1981 के के अनुसार समय दिया गया था।

मान्यवर, यह रिपोर्ट, जाँच आयोग जो बना था, 29 सितम्बर, 1977 को कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे के संबंध में था। 27-28 सितम्बर को यहाँ लखनऊ में शिया-सुन्नी दंगा हुआ था और उसी की प्रतिक्रिया में यह हुआ था। उस जमाने में जो आप के गृह सचिव हैं, लखनऊ के जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी और जब वे गृह सचिव बने तो सारे कागजात सुपुर्द किये गये। सारे कागजात उन्होंने गायब कर दिये और उसके बाद रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण तथ्यों के ऊपर आधारित यह नहीं है और जानबूझ कर सारे तथ्यों को गायब कर दिया गया है, तो उसको इस सदन के सामने रखना कहाँ तक उचित है। इस संबंध में मैं चाहता हूँ और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह गम्भीर स्थिति है, श्रीमन, टकरू के आचरण के संबंध में सदन की कमेटी बननी चाहिए; जो इन अभिलेखों के गायब होने के संबंध में रिपोर्ट के प्रस्तुत होने से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अगर आप उसके पहले पृष्ठ को देखें, जो देर के कारण हैं, वह भी दर्शाये गये हैं, लिखा है क्यों देर हुई, मुद्रण में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन प्राब्लम्स थीं, सारी चीजें हैं, मान्यवर, चूँकि यह माननीय सदस्यों को मिल गयी है, किसी भी समय इस पर चर्चा या किसी चीज की माँग कर सकते हैं, इसलिए इस समय इस को प्रस्तुत करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती।

श्री रियासत हुसैन—

चर्चा की माँग है इसके ऊपर।

श्री अध्यक्ष—

मोहन सिंह जी ने जो कहा है, चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस समय तो रिपोर्ट को रखने की बात है। इस समय इस को उठाने की आज्ञा मैं नहीं देता हूँ।

29 सितम्बर 1977 को कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे की एकल सदस्यीय रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं 29 सितम्बर, 1977 को कानपुर में हुए शिया-सुन्नी दंगे की एकल सदस्यीय रिपोर्ट को ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित कमीन्शस आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष—

दिनांक एक फरवरी, 1983 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संबंध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19 (8) के अन्तर्गत पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—

प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके पत्र संख्या 1820/व0 स0/सं0/67(सं0)/83, दिनांक मार्च, 10, 1983 के लिए धन्यवाद। आप द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (विधेयक संशोधन), 1983

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (विधेयक संशोधन) 1983, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 1983 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 24 मार्च, 1983 को वापस प्राप्त हो गया।

उतरौला-तुलसीपुर मार्ग के राप्ती नदी पर पिपरा घाट पर पुल बनाने के संबंध में याचिका

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से गोंडा जनपद में उतरौला तुलसीपुर मार्ग के राप्ती नदी पर पिपरा घाट पर पुल बनने के संबंध में श्री इबने हसन, एडवोकेट, मनकापुर रोड, उतरौला, गोंडा तथा श्री श्याम मनोहर लोहिया, चौक बाजार, उतरौला, गोंडा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 4 से 6 अप्रैल तक के संशोधित कार्यक्रम का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

मैं यह सूचना देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1983 की बैठक में यह सिफारिशें की हैं कि 7 अप्रैल, 1983 को विधान सभा का उपवेशन न हो, और उसका दिनांक 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का संशोधित कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :—

दिनांक 4 अप्रैल 1983 को (1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा

† छापी नहीं गयी।

द्वारा पारित हुआ, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं यथास्थिति उसका पुनः पारण–आधा घंटा (2) विद्युत विधि उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण-अपराह्न 5 बजे तक (3) टिहरी बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली भयावह परिस्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के संबंध में श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–आधा घंटा। दिनांक 5 अप्रैल, 1983 को (1) असरकारी दिवस-अपराह्न 5 बजे तक (2) उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982, (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा (3) जनपद जालौन के कोंच नामक स्थान पर गोबध के लिये हजारों पशु बाहर ले जाने के संबंध में हुई आम सभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में श्री शंकर सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा—एक घंटा। दिनांक 6 अप्रैल, 1983 को (1) असरकारी दिवस-अपराह्न 5 बजे तक (2) श्री गांधी आश्रम, गोरखपुर के कार्यकर्ताओं पर नियोजन ढंग से दिनांक 1, फरवरी, 1983 को पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती एवं उन्हें जेल में बन्द कर देने के संबंध में श्री माता प्रसाद पांडेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घन्टा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

## श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में सदन द्वारा दिनांक 16 मार्च, 1983 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मुझे वर्तमान सत्र में ही उक्त निर्वाचन हेतु कोई तिथि निर्धारित करनी थी। तदनुसार मैंने मंगलवार, 5 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। अतः उक्त निर्वाचन अब मंगलवार, 5 अप्रैल, 1983 को प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिये नाम निर्देशन पत्र नियमानुसार सोमवार, 4 अप्रैल, 1983 को मध्याह्न 12 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। नाम-निदेशन पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेजा जायेगा। अबतक प्राप्त नाम निर्देशन निरस्त समझे जायेंगे।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय श्री सत्यपाल सिंह जी की, कच्चे माल की कमी के कारण फिरोजाबाद, काँच उद्योग ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में है। माननीय श्री जटाशंकर सिंह, श्री थम्मन सिंह गहलौत, श्री मोतीलाल देहलवी जी की भी सूचना यही है। माननीय श्री मोहन सिंह जी की, श्रीमती भगवती देवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आगरा के निवास पर भूतपूर्व आयुक्त श्री देशराज सिंह एवं मुसलमान गुण्डा तत्वों द्वारा हमला किये जाने के संबंध में है। माननीय सर्वश्री कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी एवं श्री शिवानन्द नौटियाल जी की, रामगंगा परियोजना कालागढ़ में कालागढ़ नगर से सम्बन्धित है। श्री मित्रसेन एवं माननीय श्री मसरूर जाफरी जी की, ग्राम भीखमपुर, जनपद गोण्डा में भूमिहीन हरिजनों की खड़ी फसल पर सामंतों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में है। माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की, हमीरपुर जनपद के वकीलों को थानाध्यक्ष द्वारा पीटे जाने के संबंध में है। माननीय श्री सरदार सिंह जी की, बुलन्दशहर की अदालत में असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में है। माननीय श्री कुबेर भण्डारी जी की, देवरिया में सीलिंग से निकली हुई भूमि को असरदार लोगों द्वारा हड़पने के संबंध में है। माननीय श्री शंकर सिंह जी की, प्रदेश के सभी जनपदों में एन्टीरेविक बैक्सीन के उपलब्ध न होने के संबंध में है। माननीय श्री प्रदीप कुमार यादव जी की सूचना जनपद बहराइच में ईंट भट्ठा उद्योगों के लाइसेंसों का नवीनीकरण निरस्त किये जाने के संबंध में है। माननीय श्री हरिवंश सहाय और श्री नंद किशोर सिंह जी की, देवरिया में दस रुपये क्विन्टल गन्ना बेचे जाने के संबंध में है। माननीय श्री तपेश्वर जी की, आजमगढ़ में भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख की हत्या किये जाने के संबंध में है। माननीय श्री, राम गोविन्द, श्री रियासत हुसैन और माननीय श्री अकबर हुसैन जी की, इलाहाबाद में एडवोकेट जनरल के कार्यालय में चल रही हड़ताल के संबंध में है। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, लखीमपुर के वकील एवं कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा कार्यालयों का बहिष्कार किये जाने के संबंध में है।

मैंने इनको देखा है। जहाँ तक माननीय श्री मोहन सिंह जी की सूचना का संबंध है उसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। माननीय श्री राम गोविन्द, माननीय श्री रियासत हुसैन एवं माननीय श्री अकबर हुसैन जी की सूचना को नियम 301 में स्वीकार किया है। जहाँ तक माननीय श्री प्रदीपकुमार यादव जी का सम्बन्ध है वह नियम 51 में शाम तक उस पर मैं विचार करूंगा। सुनने के लिये जो मैंने निश्चय किया है उसमें माननीय श्री सत्यपाल सिंह यादव, माननीय श्री जटाशंकर सिंह और माननीय श्री थम्मन सिंह जी की है। दूसरी, माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की है। तीसरी, माननीय श्री शंकर सिंह जी की है। चौथी, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्तजी की है। इनको सुनने के बाद ही, मैं आपना निर्णय दे सकूंगा। आप लोग केवल ग्राह्यता के बारे में कहें।

* श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम-56 के अन्तर्गत जो समस्या उठाई है, वह उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण घटना है। मैं, इसकी लोकमहत्ता और अविलम्बनीयता के ऊपर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मान्यवर, फिरोजाबाद में कांच का सबसे बड़ा रोजगार होता है लेकिन आज वहाँ यह स्थिति हो गई है कि डेढ़ सौ उद्योग कोयला और अन्य कच्चा माल न मिलने के कारण बिलकुल ही बन्द पड़े हुए हैं। इससे न केवल कांच व अन्य उद्योग बन्द हुए हैं अपितु सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ रहा है कि वहाँ जो एक लाख श्रमिक काम करते थे, इस काँच उद्योग के बन्द हो जाने के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है। जो मजदूर या श्रमिक रोज काम करके अपना पेट पालते थे आज एक महीने से इस उद्योग के बन्द हो जाने के कारण, उसके सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसका फिरोजाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी ज्वाला फैलेगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज जो फिरोजाबाद का काँच का उद्योग है इसमें 20 प्रतिशत कोयले की कटौती कर दिये जाने के फलस्वरूप, जहाँ 24 हजार टन कोयला प्रति माह ख़र्च होता था वहाँ पर केवल 12 हजार टन कोयला मिल पाया। यही नहीं बल्कि सोडियम नाइट्रेट और बोरेक्स भी उपलब्ध न होने के कारण यह काँच का उद्योग बिलकुल बन्द पड़ा है।

श्री सत्यपाल सिंह—

मैं कहना चाहूँगा कि यह समस्या अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व की इसलिये है कि एक लाख से अधिक लोगों का जीवन इस पर निर्भर है और उनके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसमें प्रदेश की सरकार ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया है जिससे कि श्रमिकों की इस समस्या का समाधान हो और कांच का उद्योग चल पाये। अनुरोध करता हूँ कि आज सदन का कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा करायें और सरकार को निर्देश दें कि इस पर वक्तव्य दे।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से हमारे मा० मिश्रा जी मुख्य मन्त्री हुए हैं, इस प्रदेश की पुलिस इनके नियन्त्रण के बाहर चली गयी है और आज सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर अमानवीय ढंग से काम कर रही है। इस प्रकार पुलिस के अमानवीय व्यवहार के कारण हमीरपुर जनपद में भरुआ सुमेरपुर के थानाध्यक्ष ने चौराहे पर खड़े होकर एक सम्मानीय वकील के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ गाली-गलौज की और डंडों से पिटाई भी की। 5 दिन से हमीरपुर जनपद के सभी वकीलों ने कचेहरी का बहिष्कार कर रखा है। परिणाम यह हुआ है कि 5 दिन से जो कचेहरी में मुकदमें हैं, पेण्डिग पड़े हुए हैं और उसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक परिणाम निकला है कि 5 दिन हो गये हैं, शासन को सम्पूर्ण जानकारी है, वहाँ की बार काउन्सिल ने तार द्वारा सूचना दी है। समाचार-पत्र

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े ही विचित्र ढंग से यह घटना निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। 70 वकील कमिश्नरों ने त्याग-पत्र लिखकर जज महोदय को सौंप दिये हैं और जो उत्तर प्रदेश की बार काउन्सिल है और क्षेत्रीय कानपुर की बार काउन्सिल है, उसने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर शासन पुलिस कर्मियों को मुअत्तल नहीं करता है, तो कल से उत्तर प्रदेश के सभी वकील आजमगढ़ के समान कचहरियों का बहिष्कार करने वाले हैं। यह घटना सम्पूर्ण प्रदेश को प्रभावित कर रही है और आज सम्पूर्ण हमीरपुर जनपद में उत्तेजना फैल गयी है। आपके माध्यम से आज लोक महत्व की इस गम्भीर घटना पर मा0 मुख्यमन्त्री जी का वक्तव्य चाहता हूँ और आपसे निवेदन है कि आज शाम तक वक्तव्य दिला दें ताकि वहाँ पर शान्ति-पूर्ण स्थिति कायम हो सके।

*श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, आज मैंने जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है, उसका जन-जीवन से संबंध है। जनजीवन समाज के ऊंचे वर्ग का नहीं बल्कि जो समाज का शोषित वर्ग है, उससे सम्बन्धित है। अभी दो रोज पहले ही एक कार्य स्थगन प्रस्ताव मैं लाया था कि इस प्रदेश में नाइट्रोजन और आक्सीजन गैस की कमी हो गयी है।

आज समस्या यह है कि जो "एण्टी रैबिट वैक्सीन" होती है, जब कुत्ते, स्यार, भेड़िया इत्यादि काट लेते हैं, उसके बाद उपयोग में लायी जाती है, वह उपलब्ध नहीं है। एक बार इस तरह का जानवर काट ले और अगर यह वैक्सीन न लगायी जाय तो वह स्थिति आ जाती है कि आदमी पागल हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है, मौत ही उसका एक मात्र चारा रह जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने सम्पूर्ण प्रदेश की जनता को ईश्वर के सहारे छोड़ रखा है, कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है।

पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही स्थान है नैनीताल जहाँ पर यह वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन मुख्यालय वालों के बार-बार इन्डेंट भेजने पर भी यह वैक्सीन उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण देहात में रहने वाली जनता काफी परेशान है। क्योंकि शहरों में तो बड़े लोग बसते हैं, जिन्हें कुत्ते और भेड़िये नहीं काटते, बल्कि वह कुत्तों का मुँह चूमते हैं। लेकिन देहातों में रहने वालों अंधेरों में रहने वालों को तो कुत्ते भी काटते हैं और भेड़िये भी। तमाम बाप अपने बच्चों को लिए हुए, जिन्हें कुत्तों ने काटा है, अस्पतालों के सामने घूमते नजर आते हैं, मगर उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है क्योंकि वहाँ वह वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो क्या सुने, तो मान्यवर यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, हजारों लोग इससे परेशान हैं, इसलिये सदन की कार्यवाही रोक कर शासन को यह निर्देश दें ताकि वह इस वैक्सीन को मुख्यालयों में शीघ्र उपलब्ध कराई जाय।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मुख्य मन्त्री जी की बगल में जो कुल जगत भीम उनके ऊपर आक्रमण की स्थिति में घेरे हुए बैठे हैं, इनसे उनकी रक्षा की जाए। (हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आज पुलिस के आतंक से प्रदेश में स्थिति अत्यधिक भयंकर हो गयी है। इस प्रदेश की पुलिस आसामाजिक तत्वों के सामने तो अपने को सरेण्डर किये रहती है, परन्तु प्रतिष्ठित आदमियों का जीना दूभर किये हुए है, मान्यवर, इस सम्बन्ध में आजमगढ़ एवं हमीरपुर की स्थिति पर यहाँ चर्चा हुयी और मान्यवर, लखीमपुर में आज 5 दिन हुए जिले और तहसील के सभी वकील न्यायालयों का बहिष्कार किये हुए हैं और मान्यवर, यही नहीं कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। हुआ मान्यवर, यह कि मोहम्मदी तहसील के एस0 डी0 एम0 को पुलिस थाने में जब बुलाया गया तो तीन वकील सिर्फ यह जानकारी के लिए गये कि इन्हें क्यों बुलवाया गया है, बस इसी पर इन तीनों वकीलों को भी खूब मारा पीटा गया और जबकि मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का यह नियम है कि इनको हथकड़ी नहीं लगायी जायेगी और न इन्हें जेलखाने में बन्द किया जायेगा, पर इसके विरुद्ध इन लोगों को मुहम्मदी से लेकर लखीमपुर तक हथकड़ी डालकर लाया गया। जिसके कारण सभी वकील वहाँ के हड़ताल पर हैं और इसे पूर्व की हुयी घटनाओं को लेकर सारे वकील प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाना चाहते हैं, इसलिए मान्यवर, लोक महत्व का मामला है, इस पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करावें। दूसरे मान्यवर, यदि इस पर आप संसदीय कार्य मंत्री महोदय को बुलवाएँगे तो वह एक साधारण चर्चा घोषित कर समाप्त कर देगें जबकि हमारा यह संसदीय अधिकार है कि ऐसी लोक महत्व की घटनाओं को आपके सामने लायें और आप उसकी ग्राह्यता और गम्भीरता को देखते हुए निर्णय लें, इसलिए हम चाहते है कि आज बजाए संसदीय कार्य मन्त्री के माननीय मुख्यमन्त्री जी यहाँ पर बैठें हैं, उन्हें इस पर बुलवा दीजिए।

लखीमपुर के वकील सड़क पर आ गये हैं मेरी प्रार्थना है कि वजाय संसदीय कार्य मन्त्री के आज इस पर मुख्य मन्त्री जी बोलें क्योंकि आज वे यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक आयुक्त श्री देशराज सिंह एवं उनके साथ कुछ गुण्डों ने श्रीमती भगवती देवी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के निवास स्थान, आगरा पर हमला किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आप लोग बैठिये।

संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर)

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, मैंने सबको अस्वीकार किया है, केवल श्री सत्यपाल सिंह की सूचना के विषय को स्वीकार किया है। माननीय मोहन सिंह की सूचना को शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जहाँ तक राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का सम्बन्ध है, उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। माननीय शंकर सिंह की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहे हैं और माननीय सरदार सिंह की सूचना को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

(सर्वश्री मोहन सिंह, मित्रसेन, राजेन्द्र अग्निहोत्री, राजेन्द्र कुमार गुप्त एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस तरह से सबको नहीं सुन सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था की बात नहीं है। अच्छा बोलिये क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आज इस आदरणीय सदन में जो परम्परा पड़ी हुई थी आपने माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था कर रखी थी कि उनको आप सुनेंगे, आज उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गयी हैं। जिस समय कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखा जाता था उसमें आज तक यह था कि शासन की ओर से ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया जाता था। आज माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने अपना नाम पुकारे जाने के बाद भी वह खड़े नहीं हुए। मान्यवर, यह शासन की हकीकत है कि यह कृत समस्याओं की उपेक्षा का परिचायक है। सरकार ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, समस्याओं के करीब पहुँचने के लिये कोई बात नहीं की, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, संसदीय कार्य मन्त्री की ओर मैंने देखा है, स्वयं निर्णय करके उन्हें उत्तर देना है या नहीं, यह वह निर्णय कर सकते हैं। आखिर में मुझे अधिकार है कि मैं उसको स्वीकार करूं या मना करूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्रा—

संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारा ही नहीं गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं, पुकारा गया था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मा० अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मित्रसेन —

आपने मुझे बुला लिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने जेल मन्त्री को बुला लिया है ।

1983–84 के आय-व्ययक जेल एवं मुस्लिम बक्फ मन्त्री में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) तथा अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,79,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री से) आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री —

मेरा आपसे निवेदन है कि हमीरपुर जनपद के बारे में सूचना दिया था, आपने कहा कि शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है । शासन इस पर क्या विचार करेगा । इस प्रकार का आपने कोई संकेत नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठें ।

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

मान्यवर, जहाँ तक जेलों का प्रश्न है, यह न्याय प्रशासन और कार्यपालिका के बीच की एक अभिन्न कड़ी है। आजादी के बाद बन्दीगृहों को सुधारगृह के रूप में बदलने के लिए शासन ने उनके सुधार के लिए प्रयास किया है । जो बन्दी हैं उनका चरित्र सुधरे इसके लिए प्रयास किये गये हैं । दूसरी ओर उनके लिए खेलकूद का भी इन्तजाम किया गया है और धार्मिक

लेक्चरों का भी इन्तजाम किया है। उनके चरित्र को बनाने के लिए लिखा पढ़ी के लिए वहाँ पर शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे उनका मनोबल ऊँचा हो सके। उनके भोजन के लिए भी मुकम्मल इन्तजाम किया गया है।

मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि 1980 तक हजामत बनाने के लिए जेलों में कोई इन्तजाम नहीं था, लेकिन 30 नाईयों का इन्तजाम किया गया है और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जेलों के अन्दर सफाई करने के लिए 143 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा कुछ नये पद भी सृजित किये गये हैं और आगे आने वाले वर्षों में 160 और कर्मचारियों की भर्ती करने का सुझाव है। खाने और भोजन की व्यवस्था में भी सुधार लाने की चेष्टा की गयी है और अभी तक नाश्ते में सुबह एक चाय दी जाती थी और अब शाम को भी एक चाय देने की व्यवस्था कर दी गयी है। मान्यवर, बिजली से चलने वाली आटा चक्कियों की व्यवस्था जेल के अन्दर ही कर दी गयी है और मान्यवर, कैदियों के लिए कम्बलों की बहुत कमी रहती थी। पिछले साल 85 लाख रुपये के कम्बलों को खरीदकर इस कमी को पूरा किया गया है। जो बजट हम लाये हैं उसमें भी 20 लाख रुपये की व्यवस्था कम्बलों के खरीदने के लिए की गई है। बन्दियों को नहाने के लिए नहाने के साबुन की व्यवस्था की गयी है, जिससे वह साफ सुथरे रह सकें। इस मद पर पिछले साल 13 लाख का खर्च किया गया था और आने वाले वर्ष में 4 लाख 71 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त जो लेटने के लिए मूंज की चटाई दी जाती थी। उसकी जगह पर बन्दियों के लिए दरियों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए इस वर्ष हमने 4,26,000 रुपये का प्राविधान किया है। इस सिलसिले में काफी कार्य कर चुके हैं। यही नहीं मान्यवर, जो हमारे अन्डर ट्रायल कैदी होते हैं उनमें कई बन्दियों की संख्या ऐसी होती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है उनके पहिनने का कपड़ा फटा और पुराना होता है जिससे वह अजीब से लगते हैं। मान्यवर, अन्डर ट्रायल कैदियों के लिए अब तक वस्त्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष उनके लिए कपड़ा खरीदने के लिए 22 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। ताकि जो हमारे अन्डर ट्रायल कैदी आयें उनके लिए कपड़ा दिया जा सके और वे साफ सुथरे माहौल में रह सकें।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकम सिंह पीठसीन हुए।)

खुराक के विषय में पहले के मुकाबले में इस वर्ष ज्यादा व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अस्पतालों का भी नवीनीकरण हमने किया है और बराबर जेलों के अस्पतालों में दवाओं आदि की तरफ तवज्जह दी जा रही है। हमने इस तरह से 7 जेलों के अन्दर एम्बुलेन्स की व्यवस्था भी की है ताकि उनमें यदि इस तरह की कोई दिक्कत आये तो उससे काम चलाया जा सके। ये 5 सेन्ट्रल जेल हैं और 2 कैंप जेल हैं। दवाओं पर खर्च होने वाली रकम में भी इस वर्ष इजाफा किया गया है और इस तरह से 34 लाख रुपये का प्रावि-

धान जेलों में दवाओं के लिए किया गया है । यही नहीं, खेती-बाड़ी में भी हमने अपनी जेलों में बहुत तरक्की की है । सब्जी के सिलसिले में हमारी जेलें अपनी जरूरत से भी ज्यादा सब्जी पैदा कर लेती हैं । हमारी जेलों में जो बन्दी आते हैं उनमें अधिक तादाद गाँव, देहात और किसानों की होती है । इसलिए उनको खेती बाड़ी में भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था जेलों में की गई है जिससे वे अच्छे किस्म की सब्जी और खेती-बाड़ी पैदा कर सकें । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर राज भवन में एग्रीकल्चर की जो नुमाइश हुई थी सब्जियाँ भी उसमें आयी थी उसमें पहले नम्बर की शील्ड हरदोई की जेल को सब्जी उगाने पर मिली थी । इससे पता चलता है कि हमारे बन्दी जेलों के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक ही नहीं बल्कि अच्छे किस्म की सब्जी पैदा करते हैं । हम अपने बंदियों को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं ताकि जब वे जेलों से निकल कर बाहर समाज के बीच में जायें तो वे अपने खेतों में सब्जी और गल्ले की पैदावार नये तरीके से कर सकें ।

श्री रिसायत हुसैन—

श्रीमन्, जो इनाम मिला है ·····

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री जी बैठ नहीं रहे हैं, इसलिए कृपया आप बैठें । या तो आप बैठें या मन्त्री जी बैठें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं ही बैठ जाता हूँ । खतरनाक मंत्री हैं । नहीं तो जेल भेज देंगे ।

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

मान्यवर, जेलों के अन्दर दस्तकारी लगाने की जो इन्डस्ट्री थी उसका एक विशेष मकसद था । ताकि जब ये लोग पुनः समाज में जाँय तो अपनी दस्तकारी से कोई न कोई काम वे सीखे रहेंगे, प्रशिक्षित रहेंगे तो उनको रोजगार का भी मौका मिल सकेगा । इसी गरज से हमने जेलों में नई-नई इन्डस्ट्री लगाने की चेष्टा की है । इस बात की कोशिश की गई है कि जिस जिले में घरेलू दस्तकारी के लिए जो मशहूर हो उस जिले में उसी किस्म की इन्डस्ट्री स्थापित की जाय ।

ताकि बन्दी उस काम को सीख सकें और बाहर निकलने के बाद वे समाज के दूसरे लोगों के बीच में जाकर अच्छे नागरिक बन सकें । इस ओर हमने पिछले साल 90 लाख 94 हजार रु० का प्रोडक्सन किया था लेकिन उसको बढ़ा कर इस साल 2 करोड़ 45 लाख 23 हजार रु० का प्रोडक्शन किया है । जेलों में जो हम काम कराते हैं उसमें हमने 80-81 में करीब 76 हजार रु० वेज के नाम पर कैदियों को दिया था लेकिन यह हर्ष की बात है कि इस वर्ष हमने 13 लाख रु० वेजेज के नाम पर बंदियों को दिया है । यह बहुत बड़ा काम हुआ है । हम बंदियों का स्तर उठाना चाहते हैं और उनको नये-नये काम सिखाना चाहते हैं ताकि बाहर निकल कर वे अपने पैरों पर खड़े हो सके । इस तरह हम समाज का जो सड़ा अंग है उसको समाज में जोड़ देना चाहते हैं । समाज में पुनः वापस जाने के बाद अच्छे इनसान बन सकें, अच्छे शहरी बन सके इस ओर बराबर हमारा कदम बढ़ता चला जा रहा है ।

हमको जेलों की ओर कर्मचारियों के सुधार के लिए उनकी बिल्डिगों के सुधार के लिए पिछले वर्ष 7 लाख 58 हजार रुपया मिला था उसको हमने 7 जेलों में खर्च करने के लिए काम किया। इस वर्ष जेलों और स्टाफ क्वार्टरों के सुधार के लिए बजट में 70 लाख का प्राविधान किया है जो जेलों के बजट का तारीख में सबसे ज्यादा प्राविधान है। यही नहीं 113 करोड़ रुपये का प्रस्ताव हमने 8वें वित्त कमीशन के पास जेलों में सुधार करने के लिए माँगा है ताकि जेलों और अधिकारियों और कर्मचारियों के क्वार्टरों में सुधार किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता—

2.45 बजे अनुदानों पर मतदान होना है, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अब्दुल रहमान खाँ नश्तर—

मान्यवर, 1980 में 31 जेलों में फ्लैश लैट्रीन का बन्दोबस्त था आज उसकी तादात 40 हो गयी है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष 83-84 में उत्तर प्रदेश की 66 जेलों में फ्लश लैट्रीन्स की व्यवस्था हो जायेगी। यही नहीं अभी तक सिर्फ दो जेलों में विद्युतीकरण किया था जो इस वर्ष बढ़ कर 29 जेलों में हो गया है जो शेष जेलें रह गयी हैं उसमें भी विद्युतीकरण का इन्तजाम 1983-84 में पूरा हो जायेगा।

मान्यवर, हमने अधिकारियों और कर्मचारियों की तरक्की के मौके फराहम करने के लिए भी जगहें बढ़ाई हैं। हमने 30 जगहें बढ़ाई हैं जिनमें 17 एडीशनल सुपरिनटेंडेंट जिन पर अभी तक हमारे सी० एम० ओ० काम देखा करते थे जो पार्ट टाइम सुपरिनटेंडेंट हुआ करते थे। तो इस प्रकार हमने 30 जगहें बढ़ाई हैं जिससे नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों का तरक्की का मौका मिलेगा।

यही नहीं अभी तक घुर्मा और सितारगंज जेलों में काम करने वाले कर्मचारी मुस्तकिल नहीं थे हमने उन तमाम कर्मचारियों को मुस्तकिल करने की कार्यवाही कर दी है। जो वार्डर हमारे जेलों में काम करते थे जिनको बन्दी-रक्षक कहते हैं, उनको 10 घंटे और 12 घंटे से अधिक काम करना पड़ता था क्योंकि उनकी तादात कम थी उसमें हमने 1615 नये पदों को बढ़ाया है जिससे स्टाफ की कमी पूरी हुई है। और अब उनको अधिक समय तक काम नहीं करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि छुट्टी के दिन या इतवार के दिन भी लोगों को काम पर आना पड़ता है। इसके एवज में हमने यह निर्णय लिया है कि अब साल में 12 माह के स्थान पर 13 माह का वेतन अर्थात् एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा। इसके अलावा धुलायी भत्ते को भी बढ़ाया गया है। कर्मचारियों ने अपने एसोशिएशन द्वारा जो माँगें शासन को भेजी हैं, उनमें जो न्यायोचित माँगे हैं उन पर भी शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष लगभग 1900 मामले प्रोबेशन के बोर्ड के सामने आये जिन पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी मामले नहीं आये। जेलों के निरीक्षण करने के लिये 325 जेल विजिटर्स रखे गये हैं जो निरीक्षण करके समय-समय पर सुधार हेतु अपने सुझाव देंगे और शासन उन पर विचार कर निर्णय लेगा।

जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन-जिन जेलों में रहे हैं उनकी याद बनी रहे, इस हेतु भी हमने यह फैसला लिया है कि जेलों में उनकी यादगार बनाये रखने के लिये जेल में ऐसी तख्तियाँ बनायी जायें जिन पर उनके नाम लिखे हों। इस चालू वर्ष में 14 ऐसी जेलों को चुना गया है जिनमें यह कार्य शुरू होगा। अगले वर्ष के लिये भी 6 के नाम और आ गये हैं। धीरे-धीरे यह काम भी पूरा किया जायेगा।

अब मैं कुछ बातें वक्फ के बारे में कहना चाहता हूँ। वक्फ डिपार्टमेंट एक बहुत छोटा-सा विभाग है। हमारे पास अब तक कुल 18,188 औकाफ रजिस्टर्ड हैं जिसमें 15,864 सुन्नी वक्फ हैं और 2,324 शिया वक्फ हैं। इनसे आमदनी 4 लाख 50 हजार सुन्नी औकाफ से है और केवल 90 हजार शिया औकाफ से है। कुल मिलाकर करीब साढ़े 5 लाख आमदनी होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे औकाफ भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और जो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और उसकी आमदनी ले रहे हैं। सन् 1976 में अन रजिस्टर्ड औकाफ को रजिस्टर करने का काम सरकार ने शुरू किया। अब तक 24 जिलों के अन रजिस्टर्ड औकाफ को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। इन जिलों में निरीक्षण करने और देखने के बाद पता चला कि करीब 72 हजार अनरजिस्टर्ड औकाफ हैं। छानबीन होने के बाद 27,640 औकाफ ऐसे हैं जिनका नोटिफिकेशन होना बाकी है।

इसके अलावा अभी 12 जिले और हैं जिनमें कार्यवाही हो रही है। शेष जिलों में भी अगले वर्ष तक कार्यवाही पूरी की जायेगी। इन सब कार्यों के करने के लिये ही धन की माँग की गयी है ताकि हम अनरजिस्टर्ड औकाफ को रजिस्टर्ड कर सकें और जब यह कार्य पूरा हो जायेगा जो तो आमदनी हमें करीब साढ़े 5 लाख की है वह बढ़ कर करीब 40-50 लाख रुपये हो जायेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ औकाफ की जायदाद के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं, इसलिये हमने एक शासकीय आदेश के जरिये उनकी जायदाद की बिक्री पर पाबंदी लगा दिया है।

मान्यवर, यह दो विभागों के मामले मैं सदन के सामने रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसमें कोई कटौती के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है चूँकि यह छोटे-छोटे अनुदान हैं, इस-लिये इसको स्वीकृती प्रदान करने की कृपा करेंगे और जो माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं वह दें जिससे हमें और विभाग को लाभ हो सके और शासन उन सुझावों पर अमल करने की चेष्टा करेगा।

* श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 14 गृह विभाग (कारागार) में संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग में संपूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज जो बजट मंत्री जी ने पेश किया है उसकी धनराशि में कमी करने का एक प्रारूप है, संविधान के अनुरूप है, उसी के तहत मैं यह काम कर रहा हूँ लेकिन सही बात यह है कि जो आपने अपना बजट पेश किया है जिस विभाग के बारे में बजट पेश किया है जिस विभाग के बारे में बजट पेश किया है उसके बारे में विचार किया जाता है तो दिल भर जाता है और आंसू आ जाते हैं, यह ऐसा क्यों है। मान्यवर, जिस महापुरुष और कर्मवीर कृष्ण का जन्म जेल में हुआ है और जेलों में ऐसे-ऐसे लोग गये जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई, देश भक्ति का काम किया जिससे आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मान्यवर, देश आजाद हुआ, तो महापुरुषों के निवास स्थान और कृष्ण की जन्म भूमि पर इतना पाप हो और उस विभाग में भ्रष्टाचार हो और उस विभाग के नाम पर पैसा लेकर कर्मचारी, मंत्री अपनी जेब में रखें तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। मान्यवर, इस विभाग में जो कारागार अधीक्षक होते हैं उनकी सेवा नियमावली में लिखा है कि आई0 ए0 एस0 आफिसर जो सेलेक्शन ग्रेड का कंफर्म होगा वही कारागार महानिरीक्षक होगा। लेकिन आज समस्त मान्यताओं को समाप्त करके ऐसे लोगों को इस पद पर रखा है जो आई0 ए0 एस0 में कंफर्म नहीं हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, इसलिये इसकी ओर शासन ध्यान दें।

मान्यवर, यही नहीं मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि 54 लाख रुपये स्पिनिंग प्लांट के नाम पर पिछले वर्ष प्राविधान किया गया था कि इससे तीन कारखाने लगायें जायेंगे। लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ और उस रुपये को निकालकर हेराफेरी कर दिया है, इसलिये मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि 54 लाख रुपया जो निकाला गया है उसका क्या हुआ और यह रुपया कहाँ गया।

मान्यवर, जिस समय जेलों के कर्मचारी हड़ताल पर थे तो भूतपूर्व मंत्री श्री राम सिंह खन्ना जी ने उनसे एक समझौता किया था जिसमें था कि कोई भी जेल कर्मी दंडित नहीं किया जायेगा, लेकिन आप देखें उस समय के तीन जेल कर्मी आज भी काम पर नहीं लिये गये हैं बांदा जिले में और न कोई वैधानिक कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, इतना ही नहीं अभी अभी जो जेल सप्ताह हुआ था उसमें एक प्रदर्शनी लगी थी जनवरी में, मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि मा0 जेल मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था।

माननीय मुख्य मंत्री ने उसका समापन क्रिया और गृह सचिव ने साग-भाजी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें जो प्रदर्शित सामान थे, वह सामान जेल के अपराधियों द्वारा बनाए हुए नहीं थे। जब कि वह कहीं और से खरीदकर उनके नाम से प्रदर्शित किये गये। यदि मंत्री जी कहते हैं कि उन्हीं के बनाए हुए थे, तो वह यह बताएँ कि बस्ते, बिस्तरबन्द और प्लास्टिक के खिलौने कहां से बनवाये गये थे ? केवल यह कहना कि हमारे जेलों में सुधार हुआ है और जेलों में जो सुधार हुआ है उससे उनकी वृत्ति ठीक हो रही है, तो वह केवल दिखावा और छलावा मात्र है। जेल में रहकर सुधार की जो बात हम करते हैं, उसका मतलब है कि उस अपराधी को पुनः हम एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बताना चाहते हैं, नागरिक बनाना चाहते हैं, जिससे वह समाज के लिए उपयोगी हो सके। केवल 12 रुपया देकर और विविध समयों पर कुछ देकर यह सोचा जाए कि वह ठीक

हो जायेंगे तो यह सम्भव नहीं है । जब तब जेल कर्मचारियों में यह भावना नहीं होगी कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपराधी बन गये हैं, वह सुधर जायं, उसको सुधारा जाए, जिससे कि वह जेल से वापस आने के बाद समाज के लिए अभिशाप न होकर समाज के एक अच्छे नागरिक बन जाएँ, तब तक यह होने वाला नहीं है । इसलिए हमारे जेलमन्त्री जी इस बात की चिन्ता करें कि जो जेल में अपराधी हैं उनकी वृत्ति को कैसे बदला जाए, जिससे वह समाज में जाकर पुनः अच्छा सामाजिक जीवन प्राप्त कर सकें ।

एक तरफ तो जेलों में ऐसे लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दूसरी तरफ जेलों के कर्मचारियों के ऊपर कितना बड़ा अंकुश लगा हुआ है । पश्चिमी बंगाल में जेल के कर्मचारियों का वेतन पुलिस कर्मचारियों के वेतन के बराबर है, हरियाणा और पंजाब में पुलिस कर्मियों से अधिक है, लेकिन हमारे प्रदेश में उसकी कोई तुलना नहीं है । जेलकर्मी 92 दिन छुट्टियों में काम करते हैं 52 दिन रविवार में, 12 दिन द्वितीय शनिवार की छुट्टी में और शेष करीब 30 दिन ऐसे हैं, जिनमें सब कर्मचारियों को अवकाश मिलता है, लेकिन उनके अधिकारी उसमें से 10/20 दिन का वेतन काटकर उनको दो–एक दिन का केवल वेतन देते हैं । इसलिए जो कर्मचारी 92 दिन आपकी सेवा में रहे, उसे एक महीने का वेतन देना भी आप मंजूर नहीं करते हैं, जबकि विधान में लिखा हुआ है कि उनकी एक महीने का वेतन मिलना चाहिए । इस बारे में मंत्री जी ध्यान दें । इसी बारे में कहना चाहूँगा कि वाराणसी में एक सेन्ट्रल जेल है, वहाँ मैं एक बार साल भर पहले गया था, वहां के लोगों की यह एक आम शिकायत है.....

श्री अधिष्ठाता—

रूद्र प्रताप जी आप बैठें, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन में वैसे ही हाजिरी कम है, वह समानान्तर सदन यहाँ न चलायें ।

श्री रियासत हुसैन—

भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी पीछे छिपकर इसलिए बैठ गये हैं कि उन्हें यह जेल मंत्री कहीं जेल में न भेज दें ।

श्री अधिष्ठाता—

तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक समय में एक ही सदन चले, तो आपकी अनुकम्पा बनी रहेगी ।

श्री रूद्रप्रताप सिंह—

यह जो जेल कर्मचारी हैं इनकी आर्म्स के लाइसेंस मिलने की सुविधा मिल गई है रिवाल्वर और बन्दूक के । चूंकि उनको नित्य अपराधियों के साथ रहना पड़ता है तो शासन इस बात के भी आदेश करे कि उनको कन्ट्रोल रेट पर आर्म्स दुकानों से मिलेंगे ।

अगर नहीं मिला है, तो आप सोचें कि वे अपराधी के बीच में रह कर अपना तो जीवन पैसे के लिए खराब ही कर रहे हैं उनके बाल-बच्चों की जिन्दगी भी खराब होती है, अगर उन अपराधियों द्वारा वे मार दिये जाते हैं, तो उनका जीवन खराब हो जायगा, तो मान्यवर उनके लिए भी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए और जिस अधिकारी और कर्म-

चारियों की गलती से अभी तक उनको सुविधा नहीं मिल पायी, उनके बारे में माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे। मान्यवर, हड़ताल वाली बात मैंने बीच में कह दिया था, अभी मुझे जानकारी दी गयी है कि हड़ताल में एक डिप्टी जेलर थे, अमन लाल वर्मा, उन्हें हड़ताल में तनुज्जली दी गयी थी परिणाम यह हुआ कि उनको अपने पुराने पद पर रिवर्ट कर दिया गया था जब कि यह स्पष्ट तय हुआ था कि किसी को किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायगा। वह एक महीने से लापता हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मंत्री जी को इस पर ध्यान देकर उसे अपना पद वापस दे दें।

श्री मुहम्मद आजम खाँ—

उसी तरह से जिस तरह से मंत्री जी को पद वापस मिल गया, उसी तरह से उनको भी पद मिल जाना चाहिए।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, जेलर के पद पर जो नियुक्त होती है, उसमें ऐसा है कि 50 प्रतिशत तो नियुक्ति कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा होती है और पचास प्रतिशत लोक सेवा आयोग से होती है। तो इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिक उम्र वाले अधिकारी जो हैं, बहुत बाद में तो प्रोन्नति पाते हैं और थोड़े ही दिनों के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं। आपके यहाँ जेलर के नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी 3-4 वर्ष के बाद जेलर के पद पर पदोन्नति होती है, और उसके बाद लोक सेवा आयोग से जब लोग आ जाते हैं, तो वे पुन. वापस हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पदोन्नति का जो नियम है, कि 10 वर्ष की सेवा पर उनको पदोन्नति दे दी जाय। मेरा माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि 10 वर्ष की सेवा पर, 50 प्रतिशत पद जेल विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भरा जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

* श्री मंजूर अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा जेल मंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा, चूँकि जेल मन्त्री जी को शायद जेल में रहने का मौका न मिला हो, मुझे रहने का मौका मिला था। मंत्री जी शायद थोड़े दिन जेल में रहे होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा दिन जेल में रहने का मौका मिला था। तो जेलों की जो हालत है, उसको हम, आप सभी जानते हैं। उससे हम आमदनी की तरफ बढ़ सकते हैं, यानि हम प्रदेश के लोगों को सुधार सकते हैं और अगर यथा स्थिति को चला कर बुनियादी तबदीली आज कोई जेल में नहीं आ पा रही है। जेल की जो हालत पुरानी थी, वही है, न तो कर्मचारियों की हालत सुधरी, न जेलों में कहीं उत्पादन की कोई शक्ल दूसरी हो पाई। मेरी दरख्वास्त है कि चाहे फ्री का आदमी, चाहे आज पूरब हो या पश्चिम मेरे अपने ख्याल से 15-16 रुपये रोज से कम मजदूर नहीं मिलता और जेल में आदमी की जहाँ सुधारने की बात है, उधर भी कोई एक इंच भी कदम नहीं उठाया जा रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मेरा आपके द्वारा जेलमंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा कि आज कम से कम जो हवालाती हैं, 15-20 दिन तक रहने वाले काम तो सभी करते हैं जेल में, मगर कागज में कोई ऐसी बात नहीं है कि हवालाती से कोई काम लिया जा सके।

खाली रहने वाला आदमी कैसे अपना वक्त काटेगा जो 15-20 दिन से अधिक और बरसों हवालाती रहे हैं मेरी दरख्वास्त है कि उनसे काम लिया लाय और उनको काम की ट्रेनिंग दी जाय जिससे वह बाहर आकर अपने और अपने देश के लिये कुछ पैदा कर सकें। जो हवालाती कैदी हैं वह लोग भी कम से कम जेलों द्वारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन उत्पादन में उनको लगाया नहीं जाता है। जेलों में कंबल, साबुन, तेल वगैरह यह सारी आपको बाहर से लानी पड़ती हैं जेल में नहीं बनती हैं जितनी बनती हैं उतनी से पूरा नहीं हो पाता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा मैंने मेरठ से लेकर आपकी देवरिया और बस्ती तक की जेलों को देखा है। सिपाहियों के रहने के क्वार्टर आपके अंग्रेजी जमाने के हैं। मेरठ की जेल के जो सिपाहियों के क्वार्टर्स हैं उनमें आप कुत्ते या बकरी नहीं बांध सकते हैं। वह जर्जर हो गये हैं। तो उनके क्वार्टर्स की मरम्मत होनी चाहिये। देश कहां से कहां पहुँच गया है लेकिन आज तक क्वार्टर नहीं बन पाये हैं। न तो जेलों की चहारदीवारी को आप पुख्त करा पाये हैं। क्वार्टर टपक रहे हैं। सन् 47 के बाद मेरठ जिले में अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। लेटरिन में थोड़ा सा फर्क आया है कूंड़े की जगह पर खुड्डी आ गयी है लेकिन फ्लश लैटरिन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। अगर फ्लश लैटरिन हो जायँ तो यह काम करने वाले लोग दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं। साबुन बना सकते हैं, तेल बना सकते हैं, और छोटे-छोटे लघु उद्योग जेलों द्वारा चलाये जा सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जेलों में जो कर्मचारी हैं तो कम से कम सिपाहियों को आपने देखा होगा कि उनकी शक्ल में और कैदियों की तथा हवालातियों की शक्ल में कोई फर्क नहीं है। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखायी की शासन की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये। जेलों का इंतजाम नये ढंग से होना चाहिये। जो जेलों में खाने की व्यवस्था है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री मंजूर अहमद—

कैदियों और हवालातियों की जो लूट खशोट है उसमें कोई कमी नहीं आयी है। मैं चाहूँगा कि इसकी तरफ भी ठीक से इंतजाम होना चाहिये। इन अल्फाजों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूँ कि जेलों में कुछ नयी व्यवस्था और नये ढंग से नया काम होना चाहिये।

* मुहम्मद आजम खाँ—

मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। मन्त्री जी की खिदमत में एक कता अर्ज करूँगा उसके बाद अपनी बात कहूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैदे हयातो बन्दो गम असल में दोनों एक हैं।
मौत से पहले आदमी गम से निजात पाय क्यों।
दिल ही तो है न सन्गो खिश्त दर्द से भर न आये क्यों।
रोयेंगे हम हजार बार, कोई हमें सताये क्यों।

मान्यवर, जेलों की हालत क्या है, जेलों का सुधार कैसे होगा उसके लिये हम सब मिलकर यह दुवा करें कि 2-3 साल की बा-मशक्त कैद माननीय मंत्री जी को मिले ताकि मंत्री जी को कैद में रहने वाले लोगों की तकलीफों का अहसास हो सके। चूँकि जेलों के बारे में बहुत कहा गया है इसलिये मैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सिलसिले में कहना चाहता हूँ। इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड के सभी लोग बेजार हैं। माकया यह है कि यह इतना बद नसीब महकमा है, इसके इतने बुरे हालात हैं कि इस तरह खुसूसी तवज्जह देने की जरूरत है। मश्विरके तौर पर मैं कहना चाहता हूँ यह ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसका मकसद सिर्फ यह है कि वह अरबों रुपयों की जायदाद को बेचने का काम करे और प्रदेश भर से जितने लोग आयें उनसे रिश्वत तय करे। आप कभी पूछें वहाँ जाने वाले लोगों से गैर अखलाकियत की वहाँ कोई इंतेहा नहीं हो सकती।

इतनी लम्बी सफेद दाढ़ी वाले लोग दफ्तर के बाहर बैठे होते हैं, उनसे कोई यह पूछने वाला नहीं होता कि आप यहाँ क्यों आये हैं। बदअखलाकी का हाल यह है कि आपका हर कलंक किरजैम बना हुआ है, तीन-तीन बार सलाम कीजिए, तो सलाम का जवाब तक नहीं मिलता, किसी किस्म की पकड़ आपकी अपने महकमें में नहीं है। जायदादें रिश्वत लेकर बेची जा रही हैं। अरबों रुपये के कब्रिस्तान, मस्जिदें, और मजिस्दों से मुतालिक जागीरें, जो वक्फ हैं, उनको आपके महकमे द्वारा रिश्वत लेकर इस आजाद हिन्दुस्तान में बेचा गया। सबसे पहले हम अपनी गिरेबान में मुँह डालकर देखें कि हमने उस मिल्लत के साथ, उसके साथ, वक्फ के साथ क्या किया है, हम दूसरों की शिकवा तो करते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि कितनी कब्रिस्तानें हमने बेची, कितनी मस्जिद की दीवारों पर हमने घर बना लिये।

मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे, तो बहुत बड़ा करप्शन आप पकड़ेंगे। यह मेरी मिसाल रामपुर के कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में थी। मैंने रामपुर कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन के बाबत खत लिखा, उसमें तमाम कागजात जो कानूनी तौर पर जरूरी थे, तैयार करके भेजे। इस कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में होना था, जो कि हो गया। लेकिन, हुद्दे रकबा गलत हो गयी, इस बीच आपके पार्टी के मेम्बर पार्लियामेंट का एक खत आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि वह जमीन गुंडों ने हथिया रखी है, इस पर मुकदमा चला, अदालत ने कब्रिस्तान होने का फैसला दिया, लेकिन आपकी पार्टी के मेम्बर पार्लियामेंट उसे जाती जायदाद बता रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि सेक्रेटी वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ फैसला दिया। आपके ही महकमे का जब जाबता यह है कि अगर हुद्दे रकबा गलत हो जाय, तो कमेटी को एक फर्द हलफनामा दे दे हुद्दे रकबा ठीक कर दिया जा सकता है इस मामले में भारी रकम का लेन देन हुआ, करप्ट प्रेक्टीस का इस्तेमाल हुआ। लिहाजा बजाये इसके कि हुद्दे रकबा ठीक की जाती,

केस को इन्क्वायरी के लिए भेज दिया गया ।

मैं इल्जाम के तौर पर नहीं कह रहा हूँ । मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि वे सारी चीजें, वे सारी फाइलें जो वक्फ बोर्ड में 10–15 साल से पड़ी हुई हैं, जिन पर 5–6 महीने की गर्दिश पड़ी हुई है, कोई फैसला नहीं हो रहा है, लोग 15-15 दिन तक फाइल के पीछे पड़े रहते हैं, कभी इस दफ्तर में जाती है, कभी दूसरे दफ्तर में जाती है । तो, सबसे पहला काम यह है कि इन फाइलों को आप निपटाने की कोशिश करें, आप यह देखें कि जो शिकायत होती है, उसका निवारण क्यों नहीं हुआ । मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड में वही लोग मेम्बर हैं, जिनकी जाती दिलचस्पी है । वे लोग आपस में मिलकर वक्फ की प्रापर्टी खा रहे हैं, उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड के कार्यकलापों की ओर आप ध्यान दें । मैं दावे के साथ कह रहा हूं वक्फ बोर्ड द्वारा जितनी वक्फ प्रापर्टी है, उनकी देख-रेख के बजाय उनके साथ खिलवाड़ करने के अलावा दूसरा काम नहीं किया जा रहा है । वक्फ बोर्ड का मेम्बर एक लूज, अपंग और 35 साल के बाद सर्विस से रिटायर बूढ़ा आई० ए० एस० है । ऐसा शख्स जिसने तमाम उम्र मिल्लत, खिदमत और हुकूमत की चापलूसी करने में गुजारी है, जिसकी तमाम उम्र मिल्लत की मिशाइल हल करने में गुजारी है आखिर उसमें मिल्लत का यह बदनसीब महकमा वक्फ बोर्ड क्यों कर महरूम रह जाता । अल्ला ताला को भी अपने इस बन्दे का मशकूर होना था लिहाजा यह बन्दा-ए-मोमिन सरकारी खिदमत करने के बाद मिल्लत के ऐसे इदारे को तबाह करने के लिए दुबारा खिदमतगार बन गया ।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अरबों रुपये की प्रापर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, उसको यह तबाह करने पर लगे हुए हैं, मेरा मुतालबा है कि आप बोर्ड को तबदील करें और नया बोर्ड गठित करें, जिससे वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी महफूज हो सके । आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप रोज अध्यादेश लाते हैं, गैर जम्हूरी अध्यादेश लाते हैं और पास कराते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा अध्यादेश नहीं ला पाये, जिससे इस बोर्ड के करप्शन को रोका जा सके । इसको रोकने में आप नाकामयाब हैं, यह विभाग आपकी पकड़ के बाहर हो गया है ।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मुस्लिम वक्फ और जेल मन्त्री के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आज वक्फ के बारे में चर्चा चल रही है । इसमें दो राय नहीं कि वक्फ जिन लोगों ने किया था वह इसलिये किये थे कि इसका पैसा अच्छे काम में लगेगा । लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम लोग आपस में लड़कर उस वक्फ को बरबाद कर रहे हैं । मैं चूंकि वक्फ बोर्ड का मेम्बर हूं मैं देखता हूं कि उन मीटिंगों में मामलात आते हैं वह बहुत अच्छे नहीं होते हैं । मान्यवर, इस सदन में कहते हुये शर्म आती है मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि आप वक्फ बोर्ड को तोड़कर नया बोर्ड बनाये तो अच्छा होगा । इसलिये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ जिन लोगों ने किया था उनकी एक अच्छी भावना थी और वह चाहते थे कि उसकी इनकम से अच्छा काम होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि वक्फ की प्रापर्टी कब्रिस्तान, मस्जिद और बिल्डिंग की सुरक्षा के लिये ऐसा नियम बनाये जिससे उसको ठीक

रखा जा सके । मान्यवर, 1980 में मुरादाबाद में 2 मस्जिद को मन्दिर में तबदील कर दिया लखनऊ की मस्जिद को शहीद कर दिया लेकिन बुनियादी तौर पर कोई कानून नहीं था इसलिये इसको वापस नहीं किया गया ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अर्ज करूँगा कि रेन्ट कन्ट्रोल के तहत वक्फ की प्रापर्टी को मुस्तिकिल कराये । मान्यवर, बहराइच में मौलाना आजाद कालेज बहराइच में एक बहुत बड़ी दरगाह उसके मातहत चल रहा है । उसको माइनारटी का दर्जा दिया जाय । इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि वक्फ का सेक्रेटरी ऐसा आना चाहिये जो नौजवान हो और उसके अन्दर काम करने की क्षमता हो अच्छा काम कर सकें । मान्यवर, वक्फ की प्रापर्टी को लोग हड़प रहे हैं । मैं अर्ज करूंगा कि वक्फ इसलिये लोगों ने किया था कि उनके यतीम बच्चे, खानदान वाले, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर इसकी आमदनी खर्च की जायेगी लेकिन ऐसा न होकर लोग उसको जातीय मिलकियत बना रहे हैं । मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी कदम उठाकर उसकी हिफाजद करने के लिये नियम बनाये जिससे वह बनी रहे और आपस में जो खींचाखांची है उसको रोका जा सकें । मान्यवर, जो मन्त्री जी ने अध्यादेश पास कराया है कि कोई भी वक्फ की प्रापर्टी फरोख्त नहीं हो सकती है । मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम किया है । इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर मन्त्री जी को जेल का अनुभव नहीं रहा है तो कम से कम डाक्टर सम्पूर्णानन्द जो हम आप सब के नेता रहे हैं उन्हीं से कुछ सीखकर, जिस व्यक्ति ने बन्दिओं की मनोभावना को समझा ।

मान्यवर, प्रवृत्ति को समझें, उनकी आकांक्षाओं को समझें और उसके बाद सुधार गृहों की स्थापना की । जेलों के अन्दर उद्योगों की स्थापना की लेकिन आज उतने सुधारों के बाद उनसे कोई नसीहत न लेकर आपके जमाने में, जब आप जेल मन्त्री हैं, नैनीताल में जिस तरह से आप के जेल अधीक्षक द्वारा किया गया, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे अपने कार्यकाल में जहाँ पर भी वे रहें उसी तरह का अमानवीय व्यवस्था बन्दियों को दिया । उसकी शिकायत की गयी लेकिन आप की नजर नहीं उठी और आप के उच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गयी । इस तरह से जो कार्यकलाप हैं, उसके मूकदर्शक न रहें, यह हमारा अनुरोध है । जेल विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं, जो नियुक्त करते हैं, उनके विषय में देखें । जो महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं, 4–6 साल को देखें, मैं बताना चाहता हूँ कि एम० एस० ढेसी हैं, 8 महीने का कार्यकाल समाप्त किया, रिटायरमेन्ट के नजदीक थे, अधीक्षक बनाये गये, के० पी0 बहादुर बनाये गये, क्या दो साल के लिये बनाये गये, रिटायरमेन्ट लेना पड़ा । बर्तमान में जो हैं पी0 डी0 चतुर्वेदी शायद हैं, 3 महीने हुए आये और 3 महीने बाद रिटायरमेन्ट है । जिन्दगी और सेवा से जब रिटायरमेन्ट होता है तो उन्हें आप अपने विभाग में स्वीकार करते हैं । क्या आप

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की भी मनोवृत्ति हो रही है कि आप अपने विभाग से रिटायरमेन्ट ले रहे हैं। जो अधिकारी लेते हैं, देश और प्रदेश में अनेकों विभाग हैं, ऐसे लोगों को वहाँ भेजिये। आखिरी दिनों में वे जेल के बारे में देखें या अपनी जिन्दगी के बारे में देखें कि अपना बुढ़ापा कैसे काटेंगे।

एक भ्रष्टाचार का उदाहरण देना चाहता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। शायद आप कार्यवाही न कर पायें, क्योंकि आप भी रिटायरमेन्ट के नजदीक पहुंच रहे हैं, डाक्टर डी0के0 दीक्षित हैं, डाइरेक्टर आप जेल इण्डस्ट्रीज, इनके विषय में मैं आप से जानना चाहता हूं कि आप के विभाग के अन्दर इनकी शिकायतें चल रही हैं, बड़ी गम्भीर चल रही हैं, उनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके बारे में आरोप इस तरह के हैं कि पिछले साल, जब माननीय खन्ना जी, जो आज हमारे विकास विभाग के मन्त्री हैं, के जनपद में तशरीफ ले गये थे और बरेली गये थे। ठेकेदार के यहाँ रात्रि विश्राम किया और शराब पी। वहाँ उसी की औरत के साथ छेड़खानी की और यह शिकायत अभी तक लम्बित है और आप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप उसी को एक्स्टेंशन देने जा रहे हैं। इस तरह के आरोप हों, भ्रष्ट अधिकारी हो, जब वह जेल के अन्दर होंगे तो मैं समझता हूं कि किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए जब आप जवाब दें तो इस पर अवश्य प्रकाश डालें कि एक्स्टेंशन दे रहे हैं या नहीं .....

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री सत्यपाल सिंह—

जेल कर्मचारियों के बारे में, जिस समय शिकायत होती है, आप ध्यान नहीं देते, जिस समय आन्दोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, हड़ताल पर बैठते हैं, उस समय आप विचार करते हैं। जेल और पुलिस की ड्यूटी बराबर ही नहीं बल्कि जेल वालों की अधिक है, इसलिए जो मांगे हैं उन पर विचार करें, लेकिन नहीं करते हैं। जो जेल विजिटर्स की नियुक्ति की हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सत्यपाल सिंह—

विरोधी पार्टी के लोग थे, एस0एल0ए0 आदि थे, उन सब की राय से नियुक्ति करते लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों के कहने से और उनके इशारे से जेलों के विजिटर्स नियुक्त किये। जो प्रोबेशन देते हैं बन्दियों को, इसमें कोई एक नीति तय करें। जो लम्बे समय तक जेलों में रहते हैं समान नीति से उनको प्रोबेशन नहीं मिलता। इस पर भी आप विचार करें।

*श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कारागार और मुस्लिम वक्फ के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

केवल अवसर ही दिया है। अब आप खिलाफ बोलें या समर्थन में।

श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, इस कारागार विभाग के बजट का समर्थन करते हुये, मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी

ने कारागार में बन्दियों के सुधार के लिये जो सुविधायें घोषित की है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। कारागार में समाज से निष्कासित व्यक्ति जाता है। समाज विरोधी व्यक्तियों के लिये तथा उनके सुधार के लिये कारागारों की आवश्यकता पड़ी। वह व्यक्ति जिसे किसी अपराधिक कारणों से जेल में जाना पड़ता है, उसको वैसे वातावरण में रहना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको वहाँ अधिक से अधिक सुविधायें मिलें जिससे वह अपने जीवन में सुधार कर सके। जैसाकि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कारागार में ही कृष्ण का जन्म हुआ। कारागार में ही बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी गयी। देश और समाज को जागरूकता की प्रेरणा देने वाले तमाम महापुरुष जेल में ही हुये। अगर समाज को नई दिशा देना है तो जो भी अपराधी जेल जाते हैं इस तरह की सुविधायें दी जानी चाहिये जिससे उनमें सुधार हो सके। 11 करोड़ का बजट जो प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मेरी समझ से कटौती का प्रस्ताव नहीं आना चाहिये था। बजट बढ़ाया जाना चाहिये जिससे जेल जाने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी जिन्दगी नये सिरे से जीने के अवसर मिल सकें। ढाई करोड़ रुपये का औद्योगिक उत्पादन होता है। केवल पांच हजार एकड़ भूमि वहाँ उपलब्ध है। अगर यह कृषि भूमि बढ़ा दी जाये तो बन्दी खेती के नये तरीके सीख सकेंगे, साग-सब्जी उगाने के नये तरीके सीखेंगे। इस प्रकार जब वह छूटकर जायेगें तो समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। कारागार विभाग द्वारा उद्योगों को बढ़ाया जाना चाहिये। दो शब्द बहराईच के बारे में भी कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जनपद के कारागार के सुधार के लिये उन्होंने काफी कुछ किया है। मैंने जेलों का निरीक्षण किया काफी सुविधायें नजर आई। निर्माण कार्य हुये हैं, सौचालय और पानी की सुविधा प्रदान की गयी है। बहराईच में जैसा कि सिद्दीकी साहब ने कहा सुन्नी बक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा ट्रस्ट दरगाह शरीफ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर एक कालेज चल रहा है दरगाह-शरीफ के मातहत, उसको डिग्री कालेज किया जाना चाहिये। दरगाहशरीफ को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाये। वहां के हेडमिनिस्ट्रेटर हैं, निजामुद्दीन खां, उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें है, उनको तत्काल हटाया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

बापका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुन्दर सिंह—

उनके खिलाफ जनता की व्यापक शिकायतें मिली हैं। दरगाहशरीफ, बहराईच हिन्दुस्तान में कौमी एकता का प्रतीक है। वहाँ हिन्दू और मुसलमान बराबर संख्या में जाते है। देश में इस प्रकार का कोई दूसरा स्थान नहीं है। सभी इबादत करने जाते हैं और चादरे चढ़ाते हैं। बहराईच सुन्नी वक्फ बोर्ड को और बढ़ाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन—

अधिष्ठाता महोदय आपका आभार प्रकट करते हुए जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं। मुस्लिम वक्फ विभाग का 1936 में एक्ट बना। उसके बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1960 में रिपील करके नया बनाया गया जिसकी धारा 39 के तहत प्रदेश के वक्फ रजिस्टर होते हैं। आज इस प्रदेश में 78 हजार वक्फ है उनमें से केवल 11 हजार वक्फ रजिस्टर है।.....

(2 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, अभी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि इन वफ्फों से हमारी आमदनी केवल पौने पाँच लाख होती है। जबकि मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि यह अरबों रुपये की प्रापर्टी है तथा इससे प्रतिवर्ष 44 लाख 55 हजार रुपये की आमदनी होती है हमारे प्रदेश को। यह एक इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है तथा इसकी इतनी बड़ी सम्पत्ति है लेकिन इसका उचित प्रबन्ध वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं हो रहा है। 1976-77 में वक्फ आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा उसी के साथ-साथ आपने उनका दफ्तर भी बनाया तथा उनको कर्मचारी भी दिये लेकिन अभी तक उनकी जो कार्यप्रणाली रही है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैंने जो ये आँकड़े दिये हैं यह केवल 24 जिलों के हैं। आपने इसे तीन भागों में बाँट दिया और प्रत्येक में 12-12 वक्फ कर दिये।

लेकिन मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वक्फ प्रापर्टी एक ऐसी प्रापर्टी है जिनका हमारे प्रदेश के जन-जीवन से ताल्लुक है जिनमें गरीब मुसलमानों की योजना होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं इनके हिफाजत की जाय और जो अन-रजिस्टर्ड हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाय। उनको खोजा जाय। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि 50 जगहों में ऐसे वक्फ बोर्ड काम करते हैं उनको आप रजिस्टर्ड कर तहफ्फुस करें और उनकी जो आमदनी हो उसको व्यवस्थित ढंग से खर्च करें। जो नियम हैं और जो लोग गलत तरीके से मुनाफा करते हैं और जो इसकी जायदाद पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं, इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिये आप कोई योजना बनायें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कारागार विभाग के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री ने बताया कि जेलों में खाने की व्यवस्था कर दी है। मान्यवर, पिछले साल जब गन्ना आन्दोलन हुआ था तो मैं भी जेल गया था, वहाँ मात्र हमें मूली की पत्ती की सब्जी एक हफ्ते तक मिली। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जनपद गोण्डा के डिस्ट्रिक्ट जेल में, जिसके भूतपूर्व मंत्री माननीय श्री खन्ना जी रहे हैं, आजादी के लड़ाई में लड़े श्री मौलाना अबुल कलाम जी को बन्दी बनाया गया था, जिसके अन्दर हर प्रकार का आदमी आता है, मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पर एक राजनैतिक बन्दी वार्ड बनाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मन्त्री जी कहते है कि जेलों में अच्छी व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि माननीय श्री सैय्यद जकीउद्दीन साहब एक हफ्ता जेल में रहकर आ जाँय। देखना यह है कि वे कितने मोटे होते हैं। अगर यदि इससे भी ज्यादा मोटे होते हैं तो ठीक है। अगर यदि पतले हो जाँय तो.....

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप बैठें।

श्री सैय्यद जकीउद्दीन—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जेल और वक्फ के बजट का समर्थन करता हूँ। तथा हमारे सामने बैठे हुए लोगों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। जब से माननीय मन्त्री जी ने इस मन्त्री परिषद् में इस विभाग का कार्यभार सम्भाला है तब से जेल के अन्दर व्यवस्था अच्छी हुई है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं लेकिन सुझाव के रूप में एक चीज कहना चाहता हूँ कि जेल के अन्दर सभी तरह के डकैत आते हैं कोई चोरी करके आता है तो कोई डकैती करके आता है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि जेल के अन्दर इस किस्म की सोशल पिक्चर का इन्तजाम किया जाये, मेरा यह तजुर्बा है कि जितने भी डकैत इन जेलों से आते हैं वे और खराब होकर आते हैं, जिनमें उनसे परिवर्तन आ सके।

जो लोग जेल में जाते हैं, वे लोग जेल से और खराब होकर आते हैं, उनको बताने और समझाने के लिए व्यवस्था की जाय। यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक सुझाव वक्फ के बारे में दूँगा। वक्फ विभाग के अन्दर जो इन्सपेक्टर्स हैं, उन्होंने आपकी वक्फ को बरबाद कर रखा है! सैकड़ों इन्क्वायरीज़ जो इन्सपेक्टर्स को दी जाती हैं, शत-प्रतिशत मामलों में पैसा लेकर वे रिपोर्ट पेश करते हैं। वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं, उसमें मा० विधायक भी हैं, जो अहम वक्फ के मामले हों, वे वक्फ बोर्ड के मेम्बर्स को प्रस्तुत करें। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के बड़े-बड़े जैसे बहराइच में या और जो दूसरे मजार हैं और वक्फ हैं, उनमें जो सज्जादा या एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करते हैं, देखभाल करके ईमानदार लोगों को मुकर्रर करें, तभी वक्फ की जायदाद बच सकती है। इसके साथ ही मैं मा० मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

* श्री गौरी शंकर भैय्या—

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने केवल दो मिनट का समय दिया है, दो मिनट में तो जेल का फाटक भी नहीं खुलता, फिर भी कुछ खास-खास मुद्दों पर कहता हूँ।

मैं उन लोगों में हूँ जो यह मानते हैं कि जेल केवल बन्दीगृह ही नहीं है बल्कि वह एक ऐसी जगह है, जिसके विषय में सामान्य आदमी में यह भय बना रहता है कि अगर खराब काम करेगा तो वहां जाना पड़ेगा। मेरा मत है कि जेल को जेल ही रहने दें, उसे ससुराल न बनायें। यह मेरा तजुर्बा है कि बहुत सुधार की बात जो आप करते हैं, तो 19-20 महीने मैं भी जेल में रहा। पालिटिकल कैदी जब अन्दर जाते थे, तो जेल के अन्य कैदी नारा लगाते थे कि इन्हें बाहर करो, ये अन्दर कैसे चले आये! मानवता का जहाँ तक सवाल है, उस पर आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जेल के कानून में, कठोरता और दण्ड में किसी तरह के सुधार के नाम पर कमी करने का मैं पक्षपाती नहीं हूँ। हाँ, राजनीतिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्दियों के लिए, बड़े अपराधियों के लिये, बच्चों के लिए आप अलग-अलग व्यवस्था कर दें। जो इत्तफाक से जेल चला गया या कोई अपराध कर बैठा उनको अलग कर दें। आप क्लासीफिकेशन तो कर सकते हैं। आज जेल का वातावरण ऐसा है कि एक सामान्य व्यक्ति जब जेल में जाता है तो वहाँ से बड़ा अपराधी बनकर बाहर आता है। आप देखें उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर से पैसा लेकर एक आदमी की मृत्यु का रेट बना हुआ है। किसी को मारना हो, आप 5 हजार रु० दे दीजिए, वे उसका कत्ल कर देंगे। ऐसे लोग जो अपराध करते हैं, पैसा लेकर कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत कानून को या जेल को नहीं करनी चाहिए।

जेल के कर्मचारियों के बारे में कहना चाहूँगा : बार-बार आन्दोलन हो रहे हैं। यह उनके नेता हैं, कन्धे पर बैठकर जिन्दाबाद का नारा लगवा चुके हैं। इसके बाद गर्म-गर्म भाषण हुए, उसकी माँगे पूरी कर दी गयीं। 1948 में जो जेल मैनुअल बनाया। उस समय जेल के सिपाही की और सिविल पुलिस के सिपाही की तनख्वाह बराबर रखी। बाद में सिविल पुलिस के सिपाही की तनख्वाह तो बढ़ाते चले गये, लेकिन उनकी वही रही और उस अनुपात में उसे नहीं बढ़ाया गया। एक अपराधी जब जेल से बाहर रहता है, उसे पकड़ने में तो आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं।

और जो बकरी की तरह अन्दर चले गये अपराधी को अपने डंडे से संभालता है, उसकी भी तनख्वाह वही अलग और जो बाहर सिपाही खड़ा रहता है, उसकी तनख्वाह अलग, जो डंडा लिये रहते हैं उनकी अलग और जो राईफल लिये रहते हैं उसकी अलग। तो वहाँ के इस प्रकार के नियमों में सुधार किया जाए और कर्मचारियों के इस मामले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाए, इनमें कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा मान्यवर मेरा एक सुझाव यह है कि--

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया, कृपया अपनी बात को समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर एक सुझाव पैरोल के सम्बन्ध में जो आजीवन अपराधी हैं, उनके लिए एक बार एक हफ्ते का पैरोल बिना किसी दौड़-भाग के हरेक को मिल जाया करे, इसमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इधर-उधर आदमी दौड़ भाग करता फिरता है, तमाम पैसा खर्च करता है, तब भी उसका काम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि या तो जेल के बाहर या आपके विभाग वाले फार्म दें उसे वहाँ भरा जाए और उसे एक हफ्ते का पैरोल दे दिया जाय इस तरह की व्यवस्था की जाए दूसरे जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दे दिया है कि जो लम्बी अवधि के अपराधी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए यदि उनका वहाँ पर व्यवहार ठीक रहा हो, इसके लिए भी एक फार्म भरवाया जाए जेल आफिस में या आपके विभाग द्वारा और सारी फारमेल्टीज पूरी करके यह व्यवस्था लागू की जाए ताकि जो लोग सुप्रीम कोर्ट से तमाम पैसा खर्च करके आखिर में यह निर्णय ले लेते हैं यदि आप इस पर स्वयं निर्णय ले लें तो तमाम जनता इस परेशानी से बच जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी----

मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं माननीय जेल मंत्री मौजूदा एवं भूतपूर्व दोनों का आभारी हूँ कि जिन्होंने हड़ताल सम्बन्धी आए संकट को कायदे से निपटाया। और जहाँ तक जेल में फ्लश लगने, बिजली व्यवस्था व अन्य सुविधाओं की बात है सब दी जा रही हैं।

एक सदस्य--

मगर खाना तो नहीं दिया जा रहा है। (हँसी)

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

हमारे जो भूतपूर्व माननीय मन्त्री जी हैं उन्होंने जो आश्वासन दिये थे, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए वैसे बहुत से आश्वासन तो पूरे हो गये, परन्तु अभी कुछ शेष हैं, उनको भी पूरा कर दिया जाना चाहिए। साथ ही जेल कर्मियों की सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान दिया दिया जाना परम आवश्यक है क्योंकि जब रात के समय अपराधियों के बीच एक सिपाही अपनी जान पर खेल कर, हर मौसम में चाहे जाड़ा हो या बरसात, रहता और जागता है, पता नहीं वह रात उसकी कैसी बीते इसलिए इनकी समस्त सुविधाएं, आवास सम्बन्धी सुविधाएं भी मुहैय्या की जाएं, साथ ही 18 नवम्बर, 1982 को जो जेल हड़ताल वापस हुई थी उसमें बहुत से लोगों की हालांकि छुट्टियां रेगुलर की दी गयी हैं, परन्तु उस अवधि की उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं दी गयी है, वह दी जाए और जिन कर्मचारियों पर मुकदमें चल रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए।

दूसरे अर्थ-दण्ड सम्बन्धी एक शासनादेश मार्च 82 में शायद निकला था और उसका इक्जीक्यूशन एक साल बाद हुआ, तो इस अवधि में जिन लोगों पर जुर्माने किये गये, उन्हें वापस किये जाएं साथ ही जो यह शासन एक वर्ष बाद लागू होने से जो आदेशों की अवहेलना हुई है, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं लेकिन एक सुझाव मैं अपने यहाँ के वक्फ के बारे में देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बाई का बाग इलाहाबाद में एक मस्जिद है, जिसके मुन्तजिमकार ठीक नहीं हैं जिसकी वजह से कभी बाई का बाग मस्जिद का बम्बा कटता है और कभी बिजली।

बम्बे कट गये, बिजली कट गयी, एक मसजिद है जो कि वक्फ की है, इसको आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अधिक नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, जेल मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट की ताईद करता हूँ और तहेदिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।

* श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और आपने जो मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। अभी भाई गौरी भैय्या ने कहा और जो अपने विचार उन्होंने व्यक्त किये, मैं उससे सहमत हूँ कि अगर जेलों में कैदियों को छूट दी जायेगी उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। यह देखने में आया है कि जो लोग जेल में गये हैं वे वहाँ से छूटने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वे अपना एक गिरोह बना लेते हैं और मिल कर जुर्म करते हैं। पोलीटिकल लोग भी जेलों में रहते हैं

तो उनके रहने से वहां आन्दोलन भी होते हैं जिससे कि जेल के अनुशासन में ढिलाई आती है, इसलिये पोलीटिकल लोगों के लिये जेल में अलग व्यवस्था होनी चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग शिया होते हैं और कुछ लोग सुन्नी होते हैं । सुन्नी वक्फ में सुन्नी ही मेम्बर हो जाता है तो यह नहीं होना चाहिये कि कम्यूनिटी के लिहाज से मेम्बर्स बनाये जायें । आप कृपा करके दोनों को ही वक्फ के मेम्बर में शामिल करने की कृपा करें ।

हमारे जिले की जेल में यानी कि बस्ती की जेल में वाटर सप्लाई का बहुत संकट है । जल निगम द्वारा जो वाटर सप्लाई है वह ठीक नहीं है, पैसा इत्यादि सब जमा हो चुका है परन्तु इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इसलिये आप बस्ती जेल में वाटर सप्लाई की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौटाती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कैदियों के संबंध में, जेलों के संबंध में हमारा प्रदेश सुधार की दिशा में अग्रसर रहा है और हमेशा ही आगे रहा है । इसके संबंध में कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहता हूँ । जो मानव अधिकारों के घोषणा पत्र हैं जिसको ह्यूमन राईट डिक्लेरेशन कहते हैं उसमे कुछ बातें कैदियों के संबंध में कही गयी हैं । उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

एक बात तो यह कि कैदियों को जेल से अदालत ले जाने के लिये उचित व्यवस्था होनी चाहिये । यह बात कही गयी है कि कभी उनको पैदल नहीं ले जाना चाहिये । उनके लिये गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये और साथ ही पर्दा भी जिससे कि कोई उन पर हंसे नहीं और न उनको चिढ़ा सके । परन्तु देखा यह जाता है कि गाड़ियों में ले जाने के बजाय उन्हें पैदल ले जाया जाता है और पर्दे का भी कोई इन्तजाम नहीं होता है ।

दूसरे हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालने के बारे में भी उसके जो नियम की प्रक्रिया है, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है । सबके लिए हथकड़ी और बेड़ी नहीं है तो पूरी तरह से इस बात का पालन होना चाहिये कि कहाँ और कब यह लगायी जानी चाहिये ।

इसके अलावा न्याय विभाग, जेल विभाग और पुलिस विभाग का बहुत घनिष्ट संबंध है । मैं तो कहता हूँ कि जेल विभाग और न्याय विभाग साथ ही साथ होना चाहिये और जेल विभाग और न्याय विभाग का एक ही मंत्री होना चाहिये । बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमानत पर छूट गये हैं, यह दूसरी बात है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अदालतों में बन्द रहते हैं और उनकी जमानतें नहीं हुई हैं उनको कम से कम तीन महीने के अन्दर चार्जशीट, आरोप-पत्र दिया जाना चाहिये जिससे की अदालत में जिनसे उनको ट्रायल हो सके । ट्रायल जेलों में हो तो बहुत ही अच्छी बात है । तो वह बहुत अच्छी बात है । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और जो आउट लाइन दी है उस के लिए प्रसन्नता है और उनके मुताबिक सुधार होगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ—

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। आप इस शब्द को निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गोरे लाल शाक्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। बहुत से सदस्यों ने जो कैदी हैं उनको सुविधायें देने की बात कही लेकिन मैं कहता हूँ कि उनको सुविधायें दी जाये परन्तु जरूरत से ज्यादा न दी जाये। जो लोग जघन्य अपराध करते हैं वही लोग जेलों में जाते हैं, उनको सुविधायें देने की बात ठीक नहीं हैं। साधारण व नेक व्यक्तियों को सुविधाएं बढ़ाने की बात होनी चाहिए। मान्यवर, एक बात में वक्फ के बारे में कहता हूँ कि जो पैसा वक्फ का बाकी है वह लौटा दिया जाये। मैं जिला जेल इटावा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर वहां पर 1-1-83 को कातलाना हमला हुआ। जो बैरिक है उसमें ताला लगा रहता है। इसके बावजूद भी मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ। एस० एस० पी०, डी० एम० और जेल मंत्री ने कह दिया कि कातलाना हमला ही नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नहीं हुआ है तो मुझे गोली से मार दें और अगर साबित न हो तो में इस्तीफा भी दे सकता हूँ और यह घटना सही हो तो जेल मंत्री सहित इन लोगों से मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। सारे सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, कि घटना ही नहीं हुई है। तो मान्यवर, मैं इसकी जुडीशियल इन्कवायरी की माँग करता हूँ या सी० बी० आई० से इसकी जाँच करायी जाये। ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और मुझे सही रपट कर्ता को आम आदमी गलत न समझे। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री धरमपाल—

मानवीय अधिष्ठाता महोदय मुझे जो बोलने के लिए अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर जी कटौती का प्रस्ताव माननीय रुद्र प्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया है, उसको श्री लटूरी सिंह को पेश करना चाहिए था। मैं इस सन्दर्भ में एक शेर कहना चाहता हूँ—

लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है
न जाने कौन सा कांटा मेरी जुबां पर है।

मान्यवर, जेल में हवालाती कैदी और सजा याफता कैदी होते हैं। जो हवालाती कैदी होते हैं उनको अलग रखा जाना चाहिए। इस तरह के कैदी 80 प्रतिशत अदालत से छूट जाते हैं।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि प्रदेश के अन्दर किसी भी जेल में किसी भी ऐसे युवक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उसे जेल में न रखा जाय। उसे बाल सुधार-गृह में रखना चाहिए। इन जेलों में जो जाल बना दिये गये हैं उनको तोड़कर बम्बई के चिल्ड्रेन्स होम की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरह प्रत्येक कमिश्नरी में इस तरह के बाल सुधार गृह बनाये जांय और उनमें मनोवैज्ञानिक लोगों को उनकी देख-रेख के लिये रखा जाय ।

वक्फ् बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ । लखनऊ में एक मुसाफिर खाना वक्फ् बोर्ड का है जिसको कि बहुगुणा जी के जमाने में स्थानांतरित कर दिया गया है । उसके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे आने वाले समय में कोई परेशानी न उठानी पड़े । इसके अतिरिक्त वक्फ् बोर्ड के अन्तर्गत काम करने वाले जो लोग हैं उनको मिलने वाला वेतन किसी भी अन्य संस्था में मिलने वाले वेतन से बहुत ही कम है । अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें । इसके अलावा मान्यवर, हमारे जनपद में एक धार्मिक स्थान है जो कि वक्फ् बोर्ड की प्रोपर्टी है । वहां पर अभी मेला होने वाला है । वहां पर बिजली नहीं है, उसकी व्यवस्था कर दी जाय । मान्यवर, इसके अतिरिक्त वहीं पर वक्फ् बोर्ड द्वारा एक आजाद इन्टर कालेज चलाया जा रहा है उसके लिये जो बजट मांगा जा रहा है तो जिलाधिकारी उस पर अड़ंगा लगा रहे हैं । कृपया इस ओर मंत्री जी ध्यान दें ।...(व्यवधान) ।

(श्री रुद्र प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

* श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, इन बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने मुझे जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और चन्द कुछ और सुझाव देना चाहता हूँ । मान्यवर, पहला सुझाव यह है कि आपकी पूरे प्रदेश में जेलर की 75 पोस्ट हैं जिनमें से केवल 11 स्थायी हैं बाकी पर नियुक्ति अस्थायी तौर पर हुई है । इसे पूरा किया जाय । दूसरे जेलों के लिये 5 लाख रुपये के टूल्स खरीदे गये । उस पर वित्त विभाग ने अपनी असहमति प्रकट की । इस पर जेल मंत्री विचार कर लें । सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हवालातियों से जेल में काम लिया जाता है जब कि नियमावली में यह है कि जिनको सजा होगी उनसे ही काम लिया जायेगा । दो-चार महीने वाले हवालातियों से भी जेल मे कठोर श्रम लिया जाता है । यह मानवीय दृष्टि से ही ठीक नहीं है । जेलों के अन्दर पहले कम्बल और दोसूती विभाग द्वारा तैयार की जाती थी लेकिन आपका यह उद्योग फेल हो गया और उसे अब आप दूसरे विभागों से खरीद कर जेलों में सप्लाई करते हैं । इस ओर मंत्री जी ध्यान दें । यहाँ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी जेलों में हैं उनके लिये रहने की व्यवस्था नहीं है जिससे कि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई नहीं हो पाती है । एक तो उनके बच्चे जेलों में मारे-मारे फिरते हैं दूसरे आने वाले भविष्य से भी वे वंचित रह जाते हैं ।

(इस समय 2 बज कर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए । )

इसलिए मैं चाहूंगा कि कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था यथा शीघ्र करें और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह कम्पलसरी कर दें कि जो जेल का कर्मचारी होगा उसे आवास अवश्य दिया जायेगा अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ।

सहायक जेलरों के पदों पर सिपाहियों का प्रमोशन होता है लेकिन वह रुका हुआ है जो 25 परसेंट होना चाहिये था वह भी नहीं हो रहा है । जो अवकाश पर जाते हैं उसमें वेतन दिया जाता है इसमें 93 दिन का अवकाश होना चाहिये इसलिए इसको आप हटा दें 93 दिन का अवकाश आवश्यक नहीं होना चाहिये ।

फूला देवी, महिला वार्डर बाँदा, सीता राम चपरासी, बांदा तथा छज्जू सिंह सफाई मजदूर रुड़की को कार्य पर से निकाल दिया गया है और आज तक नहीं रखा गया है इस पर विशेष ध्यान दें । शासनादेश के बावजूद भी उनको ड्यूटी में नहीं आने दे रहे हैं इस प्रकार इन कर्मचारियों को हटाने पर आमादा हो रहे हैं ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जो आपके यहाँ हड़ताल हुई उसमें कनिष्ठ लोगों को प्रमोशन दे दिया गया जो सरकार के वफादार रहे लेकिन जो वरिष्ठ लोग थे उनको प्रमोशन नहीं दिया इसलिए इन लोगों का भी ध्यान दिया जाय । हड़ताल के दौरान कुछ फर्जी मुकदमें लोगों के विरुद्ध दायर हुए थे जिनको हड़ताल वापस होने के बाद खतम करने की बात थी लेकिन आज भी बुलंदशहर, बाराबंकी, गोंडा और मिर्जापुर में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर फर्जी मुकदमें चल रहे हैं । मैं चाहूंगा कि उनकी जाँच कराकर वापस लिया जाय ।

बनारस में एक सिपाही लालजी राम ने एक किसान को जो सड़क पर जा रहा था जो रुक कर जेल के पास देखने के लिए खड़ा हो गया उसको बुरी तरह मारा और उसका कम्बल और पैसा भी छीन लिया यह दो महीना पूर्व की घटना है जिसमें एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज हुई है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वह जेल अधीक्षक की रोज पूजा करता है ।

इतना ही नहीं इनके यहां डायरेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है या हो गया है वे साधना इंडस्ट्रीज के यहां गये और उनके यहां जाकर उन्होंने अमानुष्कि कार्य किया जिस पर एक औरत ने रिपोर्ट भी की और माननीय मंत्री जी ने उस पर उसे डांटा भी लेकिन फिर भी मालूम हुआ है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है । मैं चाहूँगा कि ऐसे कर्मचारियों पर जो चार्ज हों उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये, समाज में उन लोगों को नीचे गिराया जाना चाहिये जिससे लोग समझ सकें कि ऐसा काम करने वालों को इस प्रकार की सजा मिलती है और आगे लोगों की हिम्मत ऐसा करने की न हो (व्यवधान) वापस मैं एक ही शर्त पर ले लूँगा कि अगर माननीय मंत्री जी 10 दिन के लिए जेल में जाना स्वीकार कर लें ।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्रत—

मान्यवर, इस सदन में इस पक्ष और उस पक्ष में बैठे लोगों की तरफ से जेल विभाग और वक्फ के बारे में बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव आये हैं । हम उनके आभारी है उनके उन सुझावों के लिए और बहुत-सी सूचनायें दीं, जिनकी मैं जानकारी करने की चेष्टा करूँगा ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए 54 लाख रुपये की हेरा-

फेरी के एक मामले का जिक्र किया और कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। मान्यवर, मैं सदन में इस बात की घोषणा करता हूँ कि अगर 54 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आयेगा तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, किसी भी व्यक्ति को वक्शा नहीं जायेगा कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो।

यह बात भी कही गयी कि प्रदर्शनी में बहुत सा ऐसा सामान दिखाया गया जो जेलों में बनाया हुआ था ही नहीं। यह बात गलत है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये बताना चाहता हूँ जो भी सामान प्रदर्शनी में दिखाया गया वह सभी जेलों के अन्दर बनाया हुआ था। आगरा, अलीगढ़, कानपुर, फैजाबाद आदि जेलों में तैयार किया गया था। एक भी सामान ऐसा नहीं दिखाया गया था जो जेजों में न बना हो।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर—

एक श्री वर्मा, डिप्टी जेलर की मोअत्तली के बारे में कहा गया। उन्होंने एक कुख्यात बन्दी की जमानत की थी। उनके बारे में ऐसी शिकायत मिली थी। किसी भी सरकारी अधिकारी को या कर्मचारी को ऐसा करने की इजाजत नहीं है। इसीलिये उनको मोअत्तल किया गया। किसी जेल अधिकारी को किसी मुल्जिम की जमानत करने की इजाजत नहीं है। इस मामले की जाँच चल रही है।

वक्फ बोर्ड के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत से उपयोगी सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जायेगा। वक्फ की खुशहाली के लिये, उनकी जायदाद को बचाने तथा ठीक तरह से रखने के लिये जो भी सुझाव आये हैं उन पर अमल किया जायेगा। मैं यह भी अर्ज करना चाहूंगा कि इस संबंध में एक ऐसा वक्फ अमेन्डमेंट बिल भी सरकार के विचाराधीन है जिसे आपके सामने लाया जायेगा और उसके आने पर इन जायदाद पर जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटाया जा सकेगा, उनका और अच्छा इन्तजाम हो सकेगा। जिस उद्देश्य से वक्फ करने वालों ने जायदाद को बनाया था उस उद्देश्य को सही मानी में पूरा किया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और इस बजट को एक मत से स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रुद्रप्रताप सिंह जी, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रुद्रप्रताप सिंह —

नहीं मान्यवर। अगर माननीय मंत्री जी मेरे सभी सुझावों को मान लें, तो मैं वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14 गृहविभाग (कारागार) के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-

गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,79,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,45,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 57—श्रमविभाग (श्रम कल्याण) तथा अनुदान संख्या 58 श्रमविभाग (सेवायोजन)

* श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,34,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले बर्ष में अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 6,68,78,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूँगा कि यह पौने चार बजे तक समाप्त करना है ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, 'श्रमेव जयते' का नारा हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को दिया । श्रम के बिना किसी भी क्षेत्र में प्रगति होना संभव नहीं है । जब तक श्रम नहीं किया जायेगा तब तक हमें प्रगति नहीं प्राप्त हो सकती है । मान्यवर, मैं यहां पर अपने मा0

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि उ० प्र० में हमारी जनसंख्या 11 करोड़ के लगभग है, इसमें से 3 करोड़ 9 लाख व्यक्ति हमारे श्रम शक्ति बनते हैं और 3 करोड़ 9 लाख में से 24 लाख श्रमिक हमारे संगठित हैं और अन्य 2 करोड़ 84 लाख श्रमिक हमारे असंगठित हैं और इन असंगठित श्रमिकों में अधिक संख्या हमारे कृषक मजदूरों की है। मान्यवर, यहीं पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ हमारे भूमिहीन जो कृषक मजदूर हैं उनकी संख्या 52 लाख है। और इसी प्रकार हमारे जो कृषक मजदूर हैं, छोटे-छोटे किसान, स्माल मार्जिनल फार्मस, 1 करोड़ 87 लाख के लगभग हैं और अन्य असंगठित श्रमिक जो हैं उनकी संख्या लगभग 45 लाख है। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि जहाँ पिछले वर्ष उ0 प्र0 में 245 हड़तालें और तालाबंदी हुई वह इस वर्ष 193 हुई। यही नहीं इसमें जो मानव कार्य दिवस की हानि की बात है, जिसपर हम विशेष बल देना चाहते हैं, वह भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

इस वर्ष मानव कार्य दिवसों का हानि 8 लाख 5 हजार दिनों की हुई है, जबकि पिछले वर्ष यह 23 लाख 79 हजार की थी। यही नहीं, मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो हड़ताल हैं, जहाँ पिछले वर्ष श्रम विभाग के हस्तक्षेप से 58 प्रतिशत समाप्त की गई थीं, इस वर्ष 82 में हमने 92.2 प्रतिशत हड़तालें अपने श्रम विभाग के हस्तक्षेप से हमने समाप्त करा ली हैं। ऐसी भी हड़तालें हैं, जिनकी नोटिस प्राप्त हुई, लेकिन हड़ताल नहीं हो सकी, क्योंकि श्रम विभाग ने उसमें समय से हस्तक्षेप किया। इसमें जहाँ पिछले वर्ष 47 प्रतिशत हमें सफलता प्राप्त हुई थी, इस वर्ष 89 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। हमारा यह प्रयास है कि जहाँ कहीं भी हड़ताल हो, उनमें कम से कम समय में समझौता कराकर उनको समाप्त कराया जाए। जो हमारी हड़तालें आगे गई, उनमें भी हमने समझौता कराया है और जल्द से जल्द उनको समाप्त कराया है।

यहाँ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कृषक मजदूरों के सम्बन्ध में हमारी जो न्यूनतम मजदूरी होती है, उसका भी समय-समय पर हमारी सरकार ने पुनरीक्षण किया है और अभी हाल ही में इस दिशा में हमारी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और हमारा विश्वास है कि हमारे कृषक मजदूरों का न्यूनतम वेतन बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उनको प्राप्त भी हो। हमारे 46 सौ नियोजन प्रदेश में हैं जहाँ पर न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होता है। इस दिशा में सन् 82 में पाँच नियोजनों में हमने पुनरीक्षित किया था, इस वर्ष के प्रारम्भ के पाँच महीनों में पाँच अन्य नियोजनों में हमने पुनरीक्षित किया है। इसके साथ ही कुछ और नियोजन हैं, जहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषक मजदूरों के लिए जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है वह प्राप्त हो रहा है या नहीं, इस दिशा में श्रम विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। यहाँ पिछले वर्ष 20 हजार से अधिक निरीक्षण हमने कराये, 82 में हमने 62 हजार 390 निरीक्षण कराये, जो कि 207 प्रतिशत इसमें बढ़ोत्तरी है। यही नहीं प्रासीक्यूशन के सम्बन्ध में हम लोगों ने तेजी से कार्यवाही की है और 82 ऐसे मामले हैं, जहाँ पर मामले दायर किये गये हैं और कार्यवाही की जा रही है। हम लोगों ने क्षतिपूर्ति की दिशा में कृषक मजदूरों को 93 हजार से अधिक धनराशि दिलायी है और जो भुगतान उन्होंने नहीं किया था कृषक मजदूरों को, उसमें हमने

डायरेक्ट कैसेस फाईल किये हैं। और इसमें उन्हें 2 लाख 30 हजार की धनराशि प्राप्त कराई है।

अब मैं बंधुवा मजदूरों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा जो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र है। उससे भी यह प्रयास किया कि अधिक से अधिक बंधुवा मजदूरों को पुनर्वासित किया जाए और हमें विश्वास है कि यह जो शेष बंधुवा मजदूर रह गये हैं, उनको शीघ्र ही एक महीने में हम पुनर्वासित कर देंगे और इसमें हमारा यह भी प्रयास है कि हम जगह-जगह सुनिश्चित करा रहे हैं, देखवा रहे हैं कि बंधुआ मजदूर कहाँ-कहाँ है और कितने-कितने हैं। यदि सरकार को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है तो हम वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी हमारा बंधुवा मजदूर न रहे जिसको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो, उसको पुर्नवासित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं यहां पर अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि असंगठित जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके लिए भी हमारी भारत सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसका कार्यान्वयन हमारी सरकार तेजी से कर रही है। 110 विकास खण्डों को हमने चुना है। इसके माध्यम से यहां पर प्रत्येक विकास खण्डों में अवैतनिक संगठन कर्त्ता की हम नियुक्ति कर रहे हैं। 200 रुपये मासिक वेतन देंगे और 50 रुपया सवारी भत्ता उनको दिया जायगा। आशा है हमारे जो शेष 110 विकास खण्ड रह जाते हैं, उनमें भी हम शीघ्र कार्यवाही पूरी कर लेंगे। यहां पर जो हमारे सहायक संगठन कर्त्ता होंगे, उनका काम यह होगा कि जितने हमारे असंगठित श्रमिक भाई होंगे, उनकी सयस्याओं को वह शासन के समक्ष रख सकेंगे। साथ ही साथ मैं यहां पर सेवा योजन के संबन्ध में अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी हमारा प्रदेश सरकार के माध्यम से बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। जहां तक हमारे सेवायोजन कार्यालयों का सवाल है 81 से हमने बढ़ाकर 84 किया और जगह-जगह पर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि यह सुविधा उपलब्ध करायें, चाहे दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए, हफ्ते में कहीं–कहीं पर अपने कार्यालय ले जाना पडता है, लेकिन हम अपने कुछ अधिकारियों को तहसील हेडक्वार्टर पर ले जा रहे हैं, वहां पर जो उनके रजिस्ट्रेशन हम पंजीकृत करते हैं, ताकि उनको वह सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि अधिक से अधिक, जो पंजीयन कराते हैं, उनको जो नौकरी उपलब्ध होती है, बेरोजगारी एक समस्या जो है, इसको दूर करने के लिए, केवल नौकरी, सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र से, नौकरी से, उनकी समस्या हम दूर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने हर एक सेवायोजन कार्यालय को निर्देश दिया है कि जो लोग अपना पंजीकरण करायें, उन्हें हम सुविधायें दें और सिखायें कि किस प्रकार से वह बैंकों से ऋण लेकर अपना स्वत: रोजगार कर सकते हैं। जो हमने 5 हजार का लक्ष्य रखा था, उसे हमने पूरा कर लिया है। जनवरी की शुरुआत में 11 महीने के अन्दर 5,942 लोगों को स्वत: रोजगार हमने दिलाया और बैंकों के माध्यम से 1 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया।

मान्यवर, साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सेवायोजन कार्यालयों के द्वारा हम लोगों ने कोचिंग-कम-गाइडेंस कायम कर रहे हैं। 20 प्रदेश में ऐसे कोचिंग-कम-गाइडेंस सेन्टर हम कायम कर रहे हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि और भी कई स्थानों पर ऐसे कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर स्थापित करें। यह भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो विशेष वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कि उन्हें किस ट्रेड शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. इस संबंध में हमारे जो इन्सट्रक्टर्स हैं, वह अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं और वह ट्रेनिंग देते हैं। सेवायोजन कार्यालय में हम लोग हर प्रकार से अभियान चलाते हैं और हम लोग उनको इसके माध्यम से शिक्षा देते हैं। जो औद्योगिक संस्थान हैं, आई0 टी0 आईज0 हैं, उनमें भी हम लोगों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि अच्छे-अच्छे वहां पर प्रशिक्षण दिये जायं। जो भी हमारे अनुदेशक हैं, उनको ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हमने उन्हें विदेश भी भेजा है। यह ट्रेनिंग करके यहां पर आये हैं और वह ट्रेनिंग दे रहे हैं।

मान्यवर, इस समय हमारे प्रदेश में 68 ऐसे आई0 टी0 आई0 हैं और 14 ऐसे जी0 आई0 टी0 आई0 हैं जिनके माध्यम से 27 हजार 40 छात्रों को इस वर्ष हमने प्रवेश दिया है। हमें विश्वास है कि इन सब छात्रों को जो वहां पर प्रशिक्षण दिया जायगा उससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। उनको जानकारी मिलेगी वह अपने स्वतः रोजगार में लगेगें और उनको फायदा पहुँचेगा। चूंकि समय कम है मैं चाहूँगा कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं वह श्रम विभाग के संबंध में अपने सुझाव यहां पर रखेंगें जिससे हम उस पर विचार करें और उन पर अमल करने का प्रयास करें।

* श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या—57 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 58–श्रम विभाग (सेवायोजन) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको मैं बड़े प्रेम से सुन रहा था। एक कहावत याद आती है लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग उसका अर्थ और न लगा लें श्रीमन्, पालेकर एवार्ड, आपके जो भूतपूर्व मंत्री जी थे, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित, बड़ी पीठ ठोंकते थे इसी सदन में पालेकर एवार्ड को 'दैनिक जागरण' कानपुर तथा गोरखपुर और बनारस ने लागू नहीं किया है। इसी तरह से श्रीमन् 'नेशनल हेराल्ड' ने भी नहीं लागू किया है 'दैनिक जागरण' में तो श्रीमन्, पत्रकारों और गैर पत्रकारों को निकाल रखा गया है। मैं जवाब आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन पत्रकारों को और गैर पत्रकारों को संरक्षण देने के लिये और पालेकर एवार्ड लागू करने के लिये क्या क्या किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, प्रदेश में सिर्फ एक ही अखबार है कि जिसने पालेकर एवार्ड को लागू किया है। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उसने तृतीय श्रेणी का मानकर लागू किया है। ज्ञान मंडल लिमिटेड जो 'आज' निकालता है कानपुर से और बनारस से उसने लागू किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वह द्वितीय श्रेणी को मानकर लागू करना चाहिये। श्रीमन्, आप 'दैनिक जागरण' को रोजाना 50,70, 80 हजार अखबार छापने के लिये कागज देते हैं। अगर उसने पालेकर एवार्ड लागू नहीं किया है तो मैं जानता चाहता हूं कि उनको कागज क्यों दिया जाय। मैं समझता हूँ कि आप इसका उत्तर देगें। श्रीमन् 'स्वतंत्र भारत' ने अभी इसे मार्च 83 से लागू करने की घोषणा की है। 'नार्दन इंडिया पत्रिका और 'अमृत प्रभात' ने इसी मार्च, 83 से लागू करने की बात की है लागू करते हैं या नहीं। इनके दो अखबार कलकत्ते से निकलते हैं!

(3 बजकर 20 मिनट)

एक है आनन्द बाजार पत्रिका और युगान्तर, यह ए श्रेणी के अखबार हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भारत अखबार बन्द हो गया इलाहाबाद का पालेकर अवार्ड लागू होने के बाद बन्द हुआ, सरकार ने मजदूरों को, गैर पत्रकारों को, पत्रकारों को क्या संरक्षण प्रदान किया? मैं यह जानना चाहता हूं कि आप खेतिहर मजदूरों की बात तो बहुत कहते हैं, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि दुकान व वाणिज्य प्रतिष्ठान, जिसका नोटिफिकेशन सन् 77 में हुआ था और हर तीन वर्ष के बाद नोटिफिकेशन होना चाहिए, दुकानों का टाइम निश्चित हुआ कि कब खुलेंगी, कब बन्द होंगी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहती हैं, इसको ठीक करने के लिए और नोटिफिकेशन तीन वर्ष के अन्दर करने के लिए सरकार की ओर से कौन सी कार्यवाही की गयी? जिसके अन्दर 5 लाख मजदूर पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं और उनकी छुट्टी, उनकी और दूसरी सुविधाओं का हनन किया जा रहा है।

श्रीमन् आपके कितने आफिस हैं रीजनल और उनमें जगहें कितनी खाली हैं जो भरी नहीं गयी, इसको आपने बताया नहीं। वाराणसी में लेबर इन्फोर्समेंट आफिस की जगह अप्रैल 82 से खाली है मैं जानना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं भरी गयी? रीजनल कंसीलिएशन आफिसर के यहाँ वाराणसी और प्रदेश के दूसरे जिलों में कितने मुकदमें पेंडिग मजदूरों के, क्या उसके आँकड़े आपके पास हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमें पेंडिग हैं और सरकार ने उन मुकदमों के निपटारे के लिए क्या कार्यवाही की, लेबर डिपार्टमेंट ने क्या कार्यवाही की? श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि एक जगह विवाद संख्या सी० पी० 93,94/82 वाराणसी, सी० पी० 86/81 वाराणसी, सी० पी० 3/82 पिपरी मिर्जापुर, सी० पी० 11/82 वाराणसी, सी० पी० 40/81 पिपरी मिर्जापुर, सी० पी० 28/80 पिपरी मिर्जापुर, सी० पी० 71/81 वाराणसी, सी० पी० 42/81 पिपरी मिर्जापुर में पेंडिग है यह हालत वहाँ पर है, जहाँ मजदूर चक्कर लगाता है। उसको न्याय नहीं मिलता। जितनी श्रमिक अदालतें हैं, वे सुनवाई ठीक तरह से नहीं करती हैं इसलिए मेरा आरोप है श्रम विभाग के ऊपर कि श्रम विभाग को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जो मकसद था इसके पीछे, वह मकसद आज पूरा नहीं हो रहा है। उद्योगों में चाहे वह सीमेंट, फर्टिलाइजर, अल्मुनियम, कपड़ा, प्लाईवुड इन्जीनियरिंग, कोयला, बिजली, ग्लास, चमड़ा,

केमिकल्स हो, इनमें कर्मचारियों की हालत क्या है, इसका आप सर्वेक्षण करायें। मंहगाई पिछले साल में बढ़ गयी है, इंडेक्स बढ़ गया है, क्या श्रम विभाग ने मंहगाई के हिसाब से इंडेक्स के हिसाब से सूचकांक को जोड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि दिसम्बर के आखिर में इस वक्त में मंहगाई चरम सीमा पर है दूसरे मंहगाई के सूचकांक से उसके इंडेक्स को जोड़ना चाहिए लेकिन सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। आप कहते हैं कि हमने श्रमिकों का बड़ा कल्याण किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो श्रमिकों का बीमा में पैसा कटता है, भविष्य निधि में पैसा कटता है जो उनका फंड है क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि सरकार जितना अदा कर रही है, अपना हिस्सा कटवा रही है, मजदूर कटा रहा है, मालिकान ने अपना हिस्सा दिया ? नहीं दिया, मैं कहना चाहता हूं। और हमारा श्रम विभाग बैठा हुआ है सो रहा है। क्या इसकी सर्वे कराने की जरूरत नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से मिल मालिकान ऐसे हैं जिन्होंने अपना हिस्सा नहीं दिया है मजदूरों का काटा गया सरकार का कट गया। मान्यवर आज मजदूरों के अस्पताल में दवाईयाँ कितनी है कितना इन्तजाम है और वहाँ पर डाक्टर खाली छुट्टी लिखने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूं कि उसको सक्षम बनाने की आवश्यकता है, दवाईयों की व्यवस्था की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से श्रमिक काम करते हुए मर जाते हैं अपंग हो जाते हैं लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है और उनके परिवार वालों को वर्षों बरस दौड़ना पड़ता है। इसलिए इस तरफ भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो आपने लेबर कालोनी बनाई है।

मैं कहना चाहता हूं किदवई नगर की कालोनी, जाजमऊ की कालोनी, बनारस की नाकीवली कालोनी में आज 80-90 प्रतिशत लोग अनधिकृत कब्जा किये हुए हैं। मजदूरों को क्वार्टर नहीं मिल रहा है। जिसके लिये बनाया गया है उनको वह क्वार्टर नहीं मिल रहा है। सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है कि जिन लोगों के लिए कालोनी बनी है उनको कब्जा मिले। श्रीमन् समझौते के लिए कितने मामले आज पड़े हुए हैं क्या सरकार ने कभी इस पर ध्यान दिया। आपने अपरेन्टिस ऐक्ट लागू किया। आपने अपनी चर्चा में सेवा योजन और आई० टी० आई० की बात कहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आई० टी० आई० से जो लड़के निकल रहे हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए यह ऐक्ट लागू किया गया था आप बतायें उसके तहत कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका अपरेन्टिस बोर्ड लड़कों का नाम नहीं भेजता है वह कुछ नहीं कर रहा है। मैं बनारस के एक लड़के का नाम बताना चाहता हूं सूर्य बली सिंह, 80 का फर्स्ट क्लास है।

मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मान्यवर, अपरेन्टिस ऐक्ट में यह प्राविधान था कि सभी कल कारखानों में अपरेन्टिस के लड़के भेजे जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इधर 2 साल से कितने लड़के भेजे गये। नहीं भेजे जा रहे हैं। आपके कल कारखानों में अपरेन्टिस ऐक्ट का उल्लंघन हो रहा है और उसको तोड़ा जा रहा है। मान्यवर बीड़ी उद्योग की क्या हालत है, फ़र्टिलाइजर की क्या हालत है जूट उद्योग की क्या हालत है कभी आपने देखा। मैं जब जाता हूं तो देखता हूं कि वहां का मजदूर धरना दिये बैठे हैं। बरसों से बन्द पड़े हैं, कपड़ा मिल की क्या हालत है। जाजमऊ में जो चमड़े के

उद्योग है उनकी क्या हालत है ? आज चमड़ा मजदूर के लिये क्या हो रहा है ? आपने मिनिमम वेज ऐक्ट बनाने की बात कही थी। मान्यवर, चमड़ा मजदूर सबसे गन्दगी में काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से मालिकान ऐसे हैं जो वेजबोर्ड ऐक्ट को लागू नहीं करते हैं। मजदूर 25 होते हैं हाजिरी 8-9 की होती है।

इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप इसका गुप्त रूप से सर्वेक्षण करायें कि कितने उद्योग हैं तभी जा कर पता चल सकेगा। कितने लोग मर जाते हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वाराणसी में रोहन चौरी थाना में दो मजदूर एक इमारत बनाते हुए मर गये, इनके नाम हैं लच्छमन पुत्र वेनी दूसरे हैं मंगल समरपुर और गोपाल दुबे 30-9-82 को मर गये। इनकी दरखास्त आपके लेवर डिपार्टमेन्ट में पड़ी है और आपके श्रम विभाग ने उन को मुआवजा दिलवाने के लिए क्या किया। हमारे यहाँ कालीन का बहुत बड़ा सेन्टर है बनारस में। भदोही और मिर्जापुर। आपका वहाँ एक इन्स्पेक्टर है जिसका नाम है सफेदू राम। सितम्बर में पत्र लिखा उस काले राम के बारे में, कहीं जाता नहीं, फर्जी चालान करता है और बड़े-बड़े जो मगर मच्छ हैं, उन को छूता ही नहीं जिनके यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं और आपने कहा कि हमारा पत्र ही नहीं मिला। फिर दोबारा लिखा, पता नहीं, सफेदू राम लेबर इन्स्पेक्टर आज भी अनियमिततायें कर रहा है। बहुत से लोग यूनियन के रजिस्शट्रेन कराने के लिए कागजात भेजते हैं श्रम विभाग में, हमारे यहाँ सहायक श्रमायुक्त के श्रम कार्यालय में वाराणसी में अशोक मुकर्जी ने रोलर फलावर मिल, वाराणसी के सभी कागज आदि आपके दफ्तर से गायब हो गये जिस को रिसीव किया 21-12-82 को। अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि मजदूरों की भलाई हो तो श्रम विभाग को सक्रिय कीजिये। ब्रह्मदत्त जी बैठे हैं, वित्त मंत्री जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, श्रम विभाग को घास नहीं डालते। ये टाटा, बिड़ला, मार्टिन, जैपुरिया, जितने हैं, घास नहीं डालते और न आपके अन्दर ताकत है और न आपने अधिकार ही दिया, आपके कमिश्नर को गेट-आउट करते हैं। अगर आप वास्तव में मजदूरों की भलाई चाहते हैं, ब्रह्मदत्त जी, बड़ा दुःख है, मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल नहीं हुई, कारखाने नहीं बन्द हैं। उत्तरी भारत में एक फैक्ट्री है कोशिया, गाजियाबाद में, जो टिन के डिब्बे बनाती है। 14 माह से बन्द पड़ी है। इसमें 8 सौ मजदूर काम करते हैं और गैर कानूनी तरीके से इसमें मिल को बन्द कर दिया और आर्डर्स हैं 80-81 और 79-80 में मिले थे 2 करोड़ के, रूस से, डिब्बे के, जूस से भरने के और 80-81 में मिले थे 4 करोड़ के और 81-82 में मिले थे 7 करोड़ के। आप इस कारखाने को चालू नहीं करा रहे हैं और ताइवान से डिब्बे मंगा रहे हैं। 1979-80 में 7 लाख आयात किया, 80-81 में 14 लाख, 81-82 में 3 करोड़, अपना कारखाना बन्द, लेबर डिपार्टमेन्ट कुछ कर नहीं सकता और आप ताइवान से विदेशी मुद्रा दे कर सामान आयात कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त—

आइडियोलोजी की लड़ाई है।

श्री ऊदल—

आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वक्त आइडियोलोजी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इसके लिये यह स्थान नहीं है। और कहीं लड़ाई लड़ी जायेगी और लड़ी जा रही है। इसको छेड़ना नहीं चाहता।

हमारे यहां कारखाने हैं। पूरे देश के लिये उत्पादन करते हैं। 34 करोड़ का कारखाना है, उसे क्यों बन्द कर दिया गया। अगर बन्द हो गया किसी कारण से तो उसे चलाया जाये जिससे उससे उत्पादन हो और पूरे देश को लाभ मिल सके। 800 मजदूर है उसमें उनको भी लाभ मिल सके।

बंधुआ मजदूर कल कारखानों में काम करते हैं, उनका ठेकेदार से कांट्रेक्ट नहीं होगा। अनपरा थर्मल पावव हाउस है, मजदूरों की भर्ती ठेकेदार के माध्यम से की है जिसका कांट्रेक्ट मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इधर न बैठें।

श्री ऊदल—

शान्ति इन्जीनियरिंग वर्क्स, वाराणसी है। थर्मल वापर की तरफ से इन लोगों ने साइन किया। मोहन लाल, इन्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी0 के0 एस0 देवी, सहायक अभियन्ता, आर0 ए0 प्रसाद, चीफ एकाउन्टेन्ट, मेरे पास कागज है। आपके अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, श्रम विभाग, मिर्जापुर को वहां के मजदूरों ने 15-7-62 से आज तक प्रार्थना पत्र दिया। न ही शासन सुन रहा है और न ही श्रम विभाग। मुझे बड़ा दुख है इस मोनोपली को खतम करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, माननीय श्रम मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मान्यवर, रुपयों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन सी श्रम नीति का हमारी प्रदेश की सरकार अनुकरण करती है। जो आंकड़े और वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे दो बातें निष्कर्ष के रूप में सामने आयीं। किसी सफल श्रमनीति के लिये आवश्यक है कि सामूहिक सौदेबाजी हो उसके साथ ही साथ आद्योगिक शान्ति भी हों। सामूहिक सौदेबाजी का प्रश्न तो सारे देश और प्रदेश से बिलुप्त हो चुका है। बिना पंचायत के कोई मामला हल नहीं होता। बाम्बे में इतने दिनों से हड़ताल चल रही है जिसका कारण यही है कि पंचायत नहीं हुई। अब पंचायत करने का काम सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया है। मैं मा0 श्रम मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि जितने एवार्ड हैं, उनको तुरन्त लागू करना चाहिये।

और उनको लागू करने में जिस पक्ष की भी गलती हो उसे दण्डित किया जाय। मान्यवर, जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है। मजदूरों को तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं। पहली श्रेणी के मजदूर वे हैं जो निजी कल-कारखानों में काम करते हैं। दूसरे श्रेणी के मजदूर वे हैं जो सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। तीसरे श्रेणी के मजदूर वे हैं जो दुकानों में काम करते हैं तथा बाजार-कर्मचारियों के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। जहाँ तक कल-कारखानों के मजदूरों की स्थिति है उनकी हालत दोनों श्रेणियों के मजदूरों की हालत से अच्छी है। इनकी हाल अच्छी इसलिये है कि इनमें सामूहिक सौदे-बाजी की शक्ति भी है तथा इनको नेतृत्व भी प्राप्त है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है जो मजदूर सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जितने भी लेवर कानून हैं और जितने भी स्टैन्डिंग आर्डर हैं वे इन सरकारी प्रतिष्ठानों में किसी भी रूप में लागू नहीं किये

जाते हैं और वहाँ यदि मजदूर अपनी आवाज बुलन्द करते हैं तो उनको हर तरफ से दबाया जाता है और उनसे अनर्गल ढंग से काम लिया जाता है। इसी के साथ ही साथ मान्यवर, जो दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके वेतनमान के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एक त्रि-दलीय कान्फ्रेन्स बैठी थी और उसमें दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, और मंहगाई-भत्ते पर फिर से विचार किये जाने की बात कही गई थी। तब से उसकी बैठक कई बार हो चुकी है। लेकिन इतना ज्यादा समय हो जाने के बाद भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसका निर्णय शीघ्रातिशीघ्र करने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो इन बाजारु कर्मचारियों का दुकान खोलने का समय है उसमें किसी तरह की पाबन्दी नहीं है और उनको जो छुट्टी मिलती है, जिनका कर्मचारी कानून के अन्तर्गत प्राविधान है, मैं चाहूंगा तथा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि बाजार-कर्मचारी-कानून को सख्ती से लागू किया जाय।

मान्यवर, उन्नाव जनपद में एक रैलिस इण्डिया कम्पनी है जो फर्टलाइजर बनाती है। इस कम्पनी में सारे के सारे मजदूर कान्ट्रेक्ट बेसिज पर है यहाँ तक कि जो सेक्योरिटी पर लोग हैं वे भी कान्ट्रेक्ट बेसिज पर हैं। वहाँ पर मजदूरों की हालत अत्यधिक दयनीय है। मान्यवर आपको विदित ही होगा कि स्वदेशी काटन मिल में जब 35-36 लोगों की मृत्यु हो गई थी तो सरकार ने तुरन्त उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। लेकिन मान्यवर, इस रैलिस इण्डिया कम्पनी में न मालूम कितने मजदूर मर गये, मान्यवर, अभी वहां दो सगे भाईयों की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी-मजदूर-कानून लागू नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि इसका भी तुरन्त राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। जो भी मिलें ऐसी हैं उनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय और जो एवार्ड हैं उनको तुरन्त लागू किया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्रीजी का ध्यान उन्नाव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज उन्नाव का यह औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान एक खिलौना जैसा है। इसके लिये एक अलग से भवन बनवाया जाय तथा इसको कानपुर और रायबरेली के स्टेट्स पर लाने की कृपा की जाय। श्रम विभाग की ओर से जो एक वेल-फेयर एडवाइजरी कमेटी होती है या वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसमें जो आदमी है, और उसके द्वारा जो मजदूरों के वेलफेयर का काम हो सकता है, उस पर ठीक से विचार नहीं हो पाता है मैं चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र वेलफेयर कमेटी की स्थापना करने की कृपा करें।

मान्यवर, अन्त में मैं पालेकरएवार्ड के सम्बन्ध में दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि जब स्वतंत्र कलम के लेखक पत्रकार अपने ही आन्दोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो दूसरे के हकों के लिये कैसे लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से समाचार-पत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों से कहता हूं कि पालेकरएवार्ड को लागू करने के लिये अपना आन्दोलन शुरू कर दें और मेरी सरकार से माँग है कि जैसे कि इस मामले पर लगभग दो साल से निरन्तर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि वह

पालेकरएवार्ड को लागू करेंगे, आप इसे लागू करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने श्रम विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

यह सही है कि श्रम करने वाले लोगों का जितना शोषण हो रहा है, अभी तक आप उसकी उचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। उसी मिल में काम करने वाला मजदूर 150/– रु0 और 200/— रु0 प्रति माह वेतन पाता है और उस पर जिन्दगी बिताता है, जब कि उसी मिल में काम करने वाले मैनेजर को 5000/— रु0 तनख्वाह मिलती है और इसके अलावा सुख-सुविधा के लिये अलग बंगला है, जो कि फ्री है तथा और भी सुविधायें हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस असमानता को दूर करना है। श्रम में जो जीवन व्यतीत करते हैं, उनका जीवन उठाने के लिये उसी प्रकार की सुविधा दी जाय और वेतन और भत्ता दिया जाय। हमारे गोरखपुर और देवरिया में सरदारनगर में एक मिल है, सरदार साहब ने चलायी है। आज तक वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो स्थानीय हैं, उनको स्थायी नहीं किया गया है, जब कि अगर कोई पंजाबी आता है तो दो साल में उसका प्रोमोशन कर देते हैं। इस तरह से मिल में काम करने वालों का शोषण हो रहा है। इस तरह जो लोग मिल में पच्चीसों सालों से काम कर रहे हैं, उनको न तो कन्फर्म किया जाता है और न बोनस इत्यादि दिया जाता है। मन्त्री जी, सरदार नगर के बगल के जिले से आये हैं, आप जायं सरदार नगर में जाकर देखें, मजदूर कितना शोषित है, परेशान है। आप असमानता दूर करना चाहते हैं तो यहाँ जांय और देखें। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम नारायण पाठक—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो श्रम कल्याण और सेवा योजन का बजट प्रस्तुत किया है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और समर्थन करता हूं। मा0 ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, इसका दुख है कि इतने बड़े समाजवादी और क्रान्तिकारी नेता, अगर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखकर चर्चा का विषय बनाते तो मैं कहता कि समाजवादी हैं। हमारे श्रम मन्त्री जी ने जो औद्योगिक शान्ति को कायम रखने में हर सम्भव प्रयास किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री जी एक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं तथा सुलझे हुए विचारों के हैं। उन्होंने औद्योगिक शान्ति को कायम रखने में पूरा प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रामजस जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के उस आह्वान को कि इसे उत्पादकता वर्ष बनाया जाय, उसे सार्थक करने में हर सम्भव प्रयास किया। मजदूरों की जो सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष भाई रामजस जी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रम विभाग के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि दुख की बात है कि जो जगहें खाली पड़ी हुई हैं, उसको अरसे से भरा नहीं गया। बजट ज्यादा मांगते हैं और जो मिलता है उसका सदुपयोग नहीं किया गया। इसलिये जो जगहें खाली हैं, उनको भर देना चाहिये। औद्योगिक शान्ति को कायम रखने के लिये चाहे आरबीट्रेशन हो, कन्सीलियेशन हो या एडजुडीकेशन हो, उसका जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए।

सेवा योजन कार्यालयों के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ आज बेकारी दूर करने के लिए जो नौकरी दिलाई जाती हैं सेवा योजना कार्यालय द्वारा उसी में यह भी करना होगा कि जो धन वितरण होता है लोगों को काम धंधे के लिए, उसे भी इसी सेवा योजन कार्यालय द्वारा कराया जाए। दूसरे यू0 पी0 में जितने आई0 टी0 आई0 हैं, उनकी ट्रेनिंग के स्टैण्डर्ड को आपको ऊँचा करना होगा क्योंकि आज कल एक से एक नयी-नयी सोफिस्ट्रिकेटेड मशीनें एवं हथियार आ रहे हैं इन लड़कों को इनके बीच काम करना होता है, यदि इनकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड ऊँचा नहीं होगा तो और इनकी नालेज चतुर्मुखी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के दूसरी जगह आसानी से खप नहीं सकेंगे, इस बात को अक्सर मीटिंग्स में डिफेंस के अधिकारी कहते हैं कि यू0 पी0 आई0 टी0 आई0 का स्टैण्डर्ड बड़ा पूअर है। तो इसको ऊपर उठाईये। इन्हीं शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूँ और श्री ऊदल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ।

* श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, उन्होंने जो संगठित और असंठित मजदूरों को हटा दिया है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में आज बहुत से खेतिहर मजदूर गांवों में ऐसे हैं जो छोटी मोटी जगहों पर काम करते हैं, वह अपना नाम किसी रोजगार दफ्तर में नहीं लिखाए हैं और कोई ऐसी सरकारी एजेंसी नहीं है जो उनकी संख्या को बता सके। इसलिए मैं सरकार से माँग करता हूँ कि पालेकर एवार्ड लागू किया जाए तथा नेशनल हेराल्ड ग्रुप के श्रमिकों पर भी यह पालेकर एवार्ड लागू किया जाए। दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि आई0 टी0 आई0 में जो ट्रेनिंग आज दी जाती है मगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन नवजवानों को उन विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। दूसरे माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज बांडेड लेबर नहीं हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, आज भी यह प्रथा कायम है, बांडेड लेबर के रूप में प्रदेश के तमाम आदमी आज कार्य कर रहा है तथा बड़े-बड़े घरों में 20-20, 25-25 साल से बांडेड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं मैं माननीय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रथा को तुरन्त खत्म किया जाए।

अंत में मैं मान्यवर एक बात और कहूँगा कि रसड़ा मिल में जो मजदूर है 8-10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक स्थाई नहीं किया गया है। वहाँ के अधिकारी जब जब चाहें जिसे चाहे रक्खें और जब चाहें निकाल दें यह उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि वह ऐसे मजदूरों को जो 8-8, व 10-10 साल से लगातार काम कर रहे, हैं उनका स्थाई किये जाने की कार्यवाही की जाए और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्हें इस तरह प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही मैं फिर माँग करता हूँ कि कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और उसको कड़ाई से लागू किया जाए आज देश के आजाद हुए 35 साल हो गये परन्तु आज तक इस समस्या को हल नहीं किया गया और न ही इस विषय में कोई उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीरामयश सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे श्रम जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बजट का समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस प्रदेश के मजदूर इन्टक के सहयोग के श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के आवाहन पर इस वर्ग को उत्पादकता वर्ष मना कर अधिक उत्पादन देकर मूर्त रूप देकर कार्य रुप में परिणित किया है मैं आपके मध्यम से श्रम मंत्री जी को और श्रम विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबिले में इस वर्ष सबसे कम कार्य दिवसों की हानि हुई है। और मजदूरों के हित में काफी कार्य हुआ है।

चीनी उद्योग के श्रमिकों को वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है। यू0 पी0 आई0 एल0 एवं टरपेनटाईल के मजदूरों के वेतन में बढ़ोत्तरी हुई है। मोदी टैक्सटाईल के अन्दर आज भी लगभग 800 मजदूर ऐसे हैं जिनको मोदी टैक्सटाईल में जाने नहीं दिया जाता है लेकिन श्रम मन्त्री जी ने फैसला किया है कि उनको काम पर ले जांय। लेकिन मोदी और एस0 एम0 एस0 की गुण्डागर्दी की वजह से मजदूरों को काम पर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप सरकार से कहें कि सरकार सख्ती के साथ मोदी से कह दे कि मजदूरों को काम पर तुरन्त ले लें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आरबीट्रेशन और केनसिलिएशन के जरिये से मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है हजारों मसलें कोर्ट में पड़े हुए हैं जिस पर फैसला नहीं हो रहा है। जो श्रम कानून पुराने हो चुके हैं उनके नियमों में परिवर्तन किय जाय। तृतीय सम्मेलन में फैसला हुआ कि मान्यता चेक आफ सिस्टम से की जाय और सीक्रेट बैलेट को वापस लिया जाय।

रायबरेली में आई0 टी0 आई0 के मजदूरों के साथ खुले आम जुल्म हुआ उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है। मेरी मांग है कि उनके सस्पेन्शन को वापस लिया जाय और उन पर जो मुकदमें हैं उनको भी वापस लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य इस तरफ के और उस तरफ के इस बजट पर बोले हैं उनका मैं आभारी हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमन् आज बहुत से मामले हैं जो कि पंच निर्णय के लिये पड़े हुए हैं और वर्षों-वर्षों उनमें लग जाते हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये, सरकार का ध्यान इस ओर जाना बहुत ही जरूरी है। श्रीमन्, और छोटे-छोटे बहुत से कारखानें बन्द हैं जैसे वाराणसी में बसन्त पेपर मिल्स धर्मा स्टील इण्डस्ट्री, जनादेश मंत्रालय, एसोशियेटेड स्टील इण्डस्ट्रीज भगवानपुर, विभूति ग्लास फैक्ट्री जो कि श्रमिकों को बिना मुआविजा दिये बन्द

वक्ता ने भाषण का पुनिर्वाक्षण नहीं किया।

कर दी गयी है संसाधन अधिकारी की सांठगांठ मिल मालिकों से है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

इसके अतिरिक्त आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में जो कृषि में 1976 से काम कर रहा है वहाँ से सैकड़ों की तादाद में कृषि में लगे श्रमिक निकाल दिये गये हैं। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे और अगर इस तरह की बात कहीं है या हो रही है तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में हमदर्द का कारखाना है जो कि बन्द होने की कगार पर पहुँच गया है।

तमाम ऐसी चीजे हैं जहाँ पर पुलिस को दखलन्दाजी है। गुन्डों की दखलन्दाजी है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, जितने भी आई० आई० टी० हैं वहाँ की मशीनें बहुत पुरानी हो गयी हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। लड़कों को अपरेंन्टिसशिप कराने की जरूरत है और उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सरकार ने 1969 में यह फैसला लिया था कि जो इन्सट्रक्टर हैं अगर वह ग्रेजुएट हैं तो उनको अतिरिक्त सेवा योजना अधिकारी बनाया जायेगा। यह फैसला 1969 का है, जब बाजपेयी जी श्रम मंत्री जी थे। विभाग में जो लोग ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाईड हैं, ट्रेन्ड हैं उनको भी प्रमोशन का मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेज एक्ट है, आपको भी बहुत बार लिखा है, जो प्रेस है, उस के बारे में 3.4 महीने पूर्व लिखा था आपने कृपा की कि इस जनवरी में आपने मेरे पास कागजात भी भेज दिए कि आपने वेजेज को रिवाइज कर दिया है। जितने छोटे प्रेस हैं, और इन्जीनियरिंग के संस्थान हैं आज मंहगाई को देखते हुए, उनकी हालत को देखते हुए वेजेज एक्ट के अनुसार उनकी वेजेज को रिवाइज करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूँ।

*श्री सुनील शास्त्री—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने अपने-अपने सुझाव यहाँ पर रखे। मान्यवर, मैं उन सभी सुझावों पर अमल करने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक पालेकर एवार्ड का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल 93 ऐसे संस्थान हैं जिनमें 10 पर पालेकर एवार्ड लागू नहीं होता है। शेष जो 68 हैं उन पर लागू होता है। जो शेष 10 बचे हैं उन पर भी शीघ्र ही लागू हो जायेगा। 5 पत्र ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया है। अभी माननीय ऊदल जी ने और कई माननीय सदस्यों ने पेन्डिग केसेज के बारे में कहा है। उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 6 अप्रैल को बैठक पीठासीन अधिकारियों की बुलायी गयी है जिसमें इस बात पर चर्चा की जायेगी कि किस तरह से जल्दी से जल्दी सभी मामलों को निस्तारण किया जा सके। मान्यवर, श्रम कल्याण के सम्बन्ध में जो लेबर वेलफेयर सेन्टर्स हैं, उनमें 82 केन्द्र हैं और इन में से 31 केन्द्रों में ऐलोपैथिक और 50 में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक सुविधायें हैं। कई माननीय सदस्यों ने एपरेन्टिसशिप ऐक्ट के बारे में भी कहा। 1977 में केवल 10,300 सीटें उपलब्ध थीं और अब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1982 में 18,799 सीटें उपलब्ध करा दी गयी हैं और 15486 लोग अपरेन्टिसशिप के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, जो केसेज हैं जिन्होंने इसका पालन नहीं किया है, ऐसे मामलों में हम लोगों ने केस दायर कर दिए हैं और 81 मामलों में हम लोगों ने प्रासिक्युशन किया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो भविष्यनिधि के केसेज हैं वह केन्द्रीय सरकार के मामले हैं। हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाये। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्रमिक समस्या का निस्तारण करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि शान्ति बनी रहे।.....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 57—श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,34,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग के (सेवायोजन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58—श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,68,78,00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा-नुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 3,56,23,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,56,23,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा और अन्य व्यय)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रहमदत्त)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से और आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47—वित्त विभाग ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48,55,01,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,48, 55,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्यों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,78,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,78, 51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,41,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 50 वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,64,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,64,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 51—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,30,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,3017,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,08,68,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,08, 68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 60—संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीस्कृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—60 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)

वित्त एवं मन्त्री नियोजन (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,26,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 61–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,26,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—62 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजी कर)

वित्त एवं मन्त्री नियोजन (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,93,3000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या—63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,96,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,96,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक की प्रतियाँ बाट दी जायं।

(विधेयक की प्रतियाँ बाटी गयी।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

* श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 वर्ष से यद्यपि बजट समय से पास हो जाता है, पर देखने में यह आया है कि वित्तीय स्वीकृति समय से नहीं जाती। वित्तीय अनुशंसा समय से न जाने के कारण बहुत से कार्य अधूरे रह जाते हैं। मार्च, 83 समाप्त होने जा रहा है, मगर पिछले 15-20 दिन पहले तक बहुत से मामलों में वित्तीय स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल, नहीं गया था। मैं इस संबंध में ठोस आश्वासन माननीय वित्त मन्त्री जी का चाहता हूं कि वे यह बजट पास कराने के बाद अप्रैल–मई तक वित्तीय अनुशंसा जिलों तक अवश्य भेज देंगे ताकि जिलाधिकारियों को यह पता हो जायं कि किन-किन मामलों के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, वरना इस बजट को समय से पास करने से कोई लाभ नहीं है। अतः आदेश दो माह के अन्दर भेज देने का आप ठोस आश्वासन सदन के अन्दर दें। ताकि विभाग अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकें।

(4 बजकर 20 मिनट)

* श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आज मंत्री जी ने 47 अरब रुपये इस मा0 सदन से माँग रहे हैं और हर साल मांगते हैं और यह कहकर लेते हैं कि 31 मार्च से पहले हमारा बजट पास हो जाये ताकि अप्रैल में एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्शन भेज दें लेकिन देखने में यह आ रहा है कि इस गरीब प्रदेश के ऊपर जो आपका हाइएस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस पर 7.7 प्रतिशत का बोझा उ0 प्र0 की पब्लिक पर आप देते हैं, इस उम्मीद पर कि साल में जो विकास कार्य है उन पर यह खर्च किया जायेगा लेकिन अब तक का जो है उससे न तो गरीब को गरीबी की रेखा से ऊपर आप उठा पाये हैं, बल्कि जो पिछले साल उनकी तादाद थी वह बढ़ती जा रही है, न आप समय पर विकास कार्य कर पाये हैं और यहां तक कि केन्द्र का रुपया जो मिला था 11 करोड़ उसका न आप यूटीलाइजेशन भेज पाये और एन0 आर0 इ0 पी0 कार्य करा पाये। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको सदन का सारा कोआपरेशन मिलता है और उसके बावजूद समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन न पहुँचने से केन्द्र का जब आप पर दबाव पड़ा, रोड़ा पड़ा, कि प्लानिंग से रुपया नहीं मिलेगा तो यहाँ से जुटाकर जिलों में काम कराये ताकि केन्द्र से कह सकें कि पैसा दे दिया है और तब 1300 करोड़ रुपया जो मिलना था वह रिलीज हुआ।

श्रीमन्, हर साल इस बात का जिक्र यहाँ होता है, इसलिये अफसोस है कि वह अधिकारी जिनके जरिये वित्त विभाग के जरिये सारे विभागों को जो सेंक्शन जाती है जिसकी हर जिले का अधिकारी उम्मीद लगाये बैठा है कि जो एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और अप्रैल के अंदर हमारे पास सेंकशन आ जायेगी, हम काम शुरू कर देंगे ताकि काम करने के लिये बरसात से पहले दो तीन महीने और उसके बाद चार पाँच महीने मिल जायँ तो समय पर काम हो सके, लेकिन वह आप पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिये मजबूर होकर आप यह हर साल रखते हैं और परम्परा पड़ गयी लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिये सदन की मंशा पूरी नहीं हो रही है। इसलिये इस आशा के साथ तीसरा बजट एप्रोप्रिएशन बिल ले रहे हैं। लेकिन पिछले सालों का कंपेयर करें कि पिछले साल टाइम पर सैंक्शन मिली, उसके पहले टाइम पर सैंक्शन मिली और इस साल भी समय से काम हो रहा है, इसलिये तीन सालों का मुकाबला करें कि क्या हम गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सके हैं या उठा रहे हैं, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, आप देश में दसवें नम्बर पर हैं वह चाहे आमदनी प्रति व्यक्ति की बात हो या शिक्षा में हो। आपके प्रदेश का आदमी सबसे ज्यादा इंटेरेस्ट 12 प्रतिशत लोन पर पे कर रहा है जो हाइएस्ट है। हाइएस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर पर इक्सपेंडीचर 7.7 प्रतिशत प्रदेश में है तो गरीब का जो पैसा आप ले रहे हैं उस पर आप तरस खायें और उसको उसके बदले कुछ दें। श्रीमन्, ढाई गुना खर्चा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर बढ़ गया है तो क्या यह उसके लिये तो नहीं ले रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप डेवलपमेंट कार्य कार्य करें और हमारी शुभकामनायें रहें कि इस बजट को पास कराकर कुछ काम करायें और अगले साल जब आयें तो आपका मुँह रोशन हो, काला न हो, इसलिये मैं इस आशा के साथ वित्त मंत्री जी अपने विभाग को अच्छी तरीके से खीचेंगे ताकि श्री अम्मार रिजवी के विभाग को समय से काम करने के लिये मौका मिल जाये।

श्री भीखालाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन साहब, जो वित्त मंत्री जी को सम्बोधित करके यह बात कह रहे थे कि समय से इसका यूटीलाइजेशन हो और इस तरह का प्रयास करें और आपकी पूरी सरकार और मंत्रिमंडल इसमें सहयोग करे, तो अम्मार रिजवी साहब हाथ हिला रहे थे यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे...

श्री अध्यक्ष—

रिजवी साहब आप पर बहुत अटैक है, यह क्या बात है ?

श्री भीखालाल—

संसदीय कार्य मन्त्री यहाँ हाथ हिलाकर कह रहे थे...

एक सदस्य—

अध्यक्ष जी, आप समझकर भी पूछ रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो किस्मत की बात है।

श्री भीखालाल—

मैं यह कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी आकलन तैयार करने में जरा और सुधार लाएं हमारे वित्त मन्त्री के पास बड़े-बड़े विद्वान् हैं, फाइनेन्शियल एक्स्पर्ट्स हैं, लेकिन हर वर्ष हम यही चीज देखते हैं। यह सरकार 47 अरब का अनुदान ले रही है और वर्ष के अन्त तक कम से कम इसका 25 से 30 प्रतिशत तक यह अनुपूरक अनुदान के माध्यम से लेंगे, तो इतना बड़ा अन्तर एस्टीमेट में नहीं रहना चाहिए। जब अनुपूरक अनुदान लिया जाता है तो कहा जाता है कि कीमत बढ़ गई थीं और कुछ नई योजनाएँ आ गई थीं। नई योजनाओं की बात तो समझ में आती है, लेकिन कीमतें बढ़े गईं तो वित्त विभाग के विद्वान् कीमतों का ट्रेन्ड देखकर अनुमान क्यों नहीं लगाते हैं। अतः वह इसे ठीक से देखकर अपने अनुमान लगाया करें, जिससे आपको इतने बड़े बड़े अनुपूरक अनुदान न लेने पड़े और आपके आकलन सही आएं। पिछली बार आपने 15 जनवरी की बजट सेशन को बुलाया था और उस समय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि हम समय से बहुत पहले—31 मार्च से बहुत पहले बजट पास कराकर चाहते हैं कि इसकी अनुसंशाएँ विभागों और जिलों में अप्रैल में ही चली जाएँ। अनुसंशाएं दो दो प्रकार की होती हैं—वित्तीय अनुसंशाएं और विभागीय अनुसंशाएं। लेकिन इस आश्वासन पर सरकार ने शुरू में तो थोड़ी चुस्ती दिखाई थी, लेकिन बाद में फिर यह उसी ढर्रे पर चलने लगी। शायद बहुत सी अनुसंशाएँ अब भी नहीं पहुँची होंगी। जब अब तक नहीं पहुँची हैं तो सिवाय उस दुरूपयोग होने के उसका क्या होगा। एन0 आर0 ई0 पी0 की स्वीकृति मार्च तक गई है, उसमें मुझे बहुत आशंका है कि उसका सदुपयोग हो पाएगा। इसलिए यह समय से जिलों और विभागों को पहुँचाई जाए। ताकि विकेन्द्रित नियोजन की जो प्रथा आपने अपनाई है, उसका कार्यान्वियन सही ढंग से पूरा-पूरा हो सके। जो पैसा सरकार को दिया जा रहा है, उसका समय से उपयोग हो जाए, वह लैप्स न हो, दुरूपयोग न हो।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं सदन का बहुत आभारी हूँ कि इस साल भी यह सदन वर्ष समाप्त होने के बहुत पहले बजट पास करने जा रहा है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण माननीय सदस्यों ने कहीं हैं। पहली बात वित्तीय स्वीकृतियों की, हमने पिछली बार भी अप्रैल के पहले सप्ताह में यह जारी की थीं। लेकिन उसमें एक कठिनाई अनुभव हुई कि विभागीय स्वीकृति जारी करने से पहले जिलों में पहुँचने में देर हुई, इसलिए मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करते हुए यह महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहा हूँ कि इसमें जो जिला नियोजन की बात आई है, उसकी सीधी स्वीकृति जिलों को चली जाएगी। विभागाध्यक्षों को केवल हम उसकी सूचना देंगे, जिससे उनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत न आवे।

यह बात दूसरी आती है कि अनुपूरक अनुदान की माँग करनी पड़ती है। इसमें पहला निवेदन यह करना चाहता हूं कि बजट जब बनाते हैं, तब उसमें वह सारी चीजें शामिल करते हैं, जिनका परीक्षण होता है और केन्द्रीय सरकार से भी कुछ पैसा मिलता है, बाहर से जो योजना होती है, उसके लिए हमें अनुपूरक अनुदान लाना पड़ता है। लेकिन इस सदन को मैं आस्वस्त करना चाहता हूं कि तमाम चीजें जो हैं, वह करें और देखें। आप लोग पब्लिक अंडरटैकिंग और पी०ए०सी० में हैं, वह आप लोग इसको देख सकते हैं। हम तो यह देखते हैं कि कोई फाइल मार्च के महीने में नहीं आती है। तो इससे बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड 2, 3 अनुसूची खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983

31 मार्च, 1984 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये।

### विधेयक

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1983 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1983-84 के लिये 47,76,6874,000 रुपये का निकाला जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1983, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2,1983) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 47,76,68,74,000 रुपये (केवल सैंतालिस अरब, छिहत्तर करोड़, अड़सठ लाख, चौहत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनिनम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

## अनुसूची
(धारायें 2 व 3 देखें)

| 1 | 2 | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक | | |
| अनुदान क्रम-संख्या | सेवायें और प्रयोजन | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग |
| | | | रु० | रु० | रु० |
| 1 आबकारी विभाग ... | | राजस्व | 2,12,16,200 | 7,000 | 2,12,23,000 |
| | | पूंजी | 15,00,000 | ... | 15,00,000 |
| 2 आवास एवं नगर भूमि विभाग ... | | राजस्व | 3,09,62,000 | 4,40,00,000 | 7,49,62,000 |
| | | पूंजी | 19,51,00,000 | 2,25,72,000 | 21,76,72,000 |
| 3 उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज) ... | | राजस्व | 1,02,54,000 | 5,000 | 1,02,59,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 4 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ... | | राजस्व | 26,37,00,000 | 1,70,59,000 | 28,07,59,000 |
| | | पूंजी | 5,92,23,000 | 1,76,91,000 | 7,69,14,000 |
| 5 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | | राजस्व | 84,95,000 | 1,000 | 84,96,000 |
| | | पूंजी | 6,15,01,000 | 5,00,000 | 6,20,01,000 |
| 6 उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) ... | | राजस्व | 11,76,33,000 | ... | 11,76,33,000 |
| | | पूंजी | 26,70,000 | ... | 26,70,000 |
| 7 ऊर्जा विभाग ... | | राजस्व | 90,89,000 | .. | 90,89,000 |
| | | पूंजी | 2,80,16,41,000 | ... | 2,80,16,41,000 |
| 8 कार्मिक विभाग ... | | राजस्व | 38,30,000 | ... | 38,30,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 9 कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) ... | | राजस्व | 7,38,75,000 | 3,27,000 | 7,42,02,000 |
| | | पूंजी | 1,43,87,000 | ... | 1,43,87,000 |
| 10 कृषि विभाग (कृषि) ... | | राजस्व | 45,84,31,000 | 2,03,000 | 45,86,34.000 |
| | | पूंजी | 42,73,91,000 | 50,000 | 42,74,41,000 |
| 11 खाद्य तथा रसद विभाग ... | | राजस्व | 10,13,60,000 | 3,39,90,000 | 13,53,50,000 |
| | | पूंजी | 4,80,29,00.000 | 39,00,50,000 | 5,19,29,50,000 |

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | गन्ना विकास विभाग ... | राजस्व | 6,89,93,000 | 2,88,000 | 6,92,81,000 |
| | | पूंजी | 7,00,00,000 | 4,86,000 | 7,04,86,000 |
| 13 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) ... | राजस्व | 12,31,83,000 | 10,77,75,000 | 23,09,58.000 |
| | | पूंजी | 12,50,01,000 | ... | 12,50,01,000 |
| 14 | गृह विभाग (कारागार) | राजस्व | 12,38,91,000 | 2,000 | 12,38,93,000 |
| | | पूंजी | 56,44,000 | .. | 56,44,000 |
| 15 | गृह विभाग (पुलिस) ... | राजस्व | 1,73,42,98,000 | 9,28,000 | 1,73,52,26,000 |
| | | पूंजी | 11,10,000 | 7,40,000 | 18,50,000 |
| 16 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) ... | राजस्व | 5,29,33,000 | ... | 5,29,33,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 17 | गोपन विभाग ... | राजस्व | 15,01,000 | ... | 15,01,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 18 | ग्राम्य विकास विभाग ... | राजस्व | 1.44,21,34,000 | 10,000 | 1,44,21,44,000 |
| | | पूंजी | 53,83,000 | .. | 53,83,000 |
| 19 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) ... | राजस्व | 93,61,55,000 | 16,000 | 93,61,71,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 20 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | राजस्व | 53,73,71,000 | 4,000 | 53,73,75,000 |
| | | पूंजी | 11,40,00,000 | ... | 11,40,00,000 |
| 21 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ... | राजस्व | 33,83,13,000 | 5,000 | 33,83,18,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 22 | नगर विकास विभाग | राजस्व | 59,56,75,000 | 10,000 | 59,56,85,000 |
| | | पूंजी | 10,72,09,000 | ... | 10,72,09,000 |
| 23 | नागरिक उड्डयन विभाग... | राजस्व | 42,74,000 | ... | 42,74,000 |
| | | पूंजी | .. | ... | .. |
| 24 | नागरिक सुरक्षा विभाग ... | राजस्व | 6,61,67,000 | 2,000 | 6,61,69,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 25 | नियुक्ति विभाग ... | राजस्व | 3,63,000 | ... | 3,63,000 |
| | | पूंजी | .. | ... | ... |
| 26 | वियोजन विभाग | राजस्व | 4,27,08,000 | ... | 4,27,08,000 |
| | | पूंजी | 40,000 | ... | 40,000 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | निर्यात प्रोत्साहन विभाग ... | राजस्व | 1,14,64,000 | ... | 1,14,64,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 28 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 12,45,46,000 | ... | 12,45,46,000 |
| | | पूंजी | .. | ... | .. |
| 29 | न्याय विभाग .. | राजस्व | 14,92,09,000 | 2,76,56,000 | 17,68,65,000 |
| | | पूंजी | .. | ... | .. |
| 30 | पंचायती राज विभाग .. | राजस्व | 11,05,78,000 | 21,000 | 11,05,99,000 |
| | | पूंजी | 1,25,000 | .. | 1,25,000 |
| 31 | परिवहन विभाग .. | राजस्व | 17,54,87,000 | 12,000 | 17,54,99,000 |
| | | पूंजी | 1,000 | ... | 1,000 |
| 32 | पर्यटन विभाग .. | राजस्व | 49,23,000 | .. | 49,23,000 |
| | | पूंजी | 16,90,000 | ... | 16,90,000 |
| 33 | पर्वतीय विकास विभाग | राजस्व | 67,14,92,000 | 3,09,000 | 67,18,01,000 |
| | | पूंजी | 47,85,75,000 | 2,89,000 | 47,88,64,000 |
| 34 | पशुधन विभाग | राजस्व | 14,74,29,000 | 6,04,000 | 14,80,33,000 |
| | | पूंजी | 65,59,000 | 7,50,000 | 73,09,000 |
| 35 | पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) | राजस्व | 80,71,000 | 2,000 | 80,73,000 |
| | | पूंजी | 58,00,000 | .. | 58,00,000 |
| 36 | प्रशासनिक सुधार विभाग ... | राजस्व | 16,45,000 | .. | 16,45,000 |
| | | पूंजी | .. | ... | ... |
| 37 | प्राविधिक शिक्षा विभाग ... | राजस्व | 12,42,50,000 | 2,000 | 12,42,52,000 |
| | | पूंजी | 3,50,000 | ... | 2,50,000 |
| 38 | मत्स्य विभाग ... | राजस्व | 2,92,49,000 | 2,000 | 3,92,51,000 |
| | | पूंजी | 2,00,000 | ... | 2,00,000 |
| 39 | मुस्लिम वक्फ विभाग ... | राजस्व | 14,94,000 | .. | 14,94,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 40 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) ... | राजस्व | 17,48,96,000 | 25,000 | 17,49,21,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 41 | राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) ... | राजस्व | 10,80,62,000 | 11,01,76,000 | 21,82,38,000 |
| | | पूंजी | 1,42,66,000 | 17,65,000 | 1,60,31,000 |

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ... | राजस्व | 60,07,71,000 | 1,39,75,000 | 61,47,46,000 |
| | | पूंजी | 12,08,000 | 3,24,61,000 | 3,36,69,000 |
| *43 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | ... | 24,69,000 | 24,69,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 44 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ... | राजस्व | 29,38,000 | ... | 29,38,000 |
| | | पूंजी | 1,50,000 | ... | 1,50,000 |
| *45 | लोक सेवा आयोग ... | राजस्व | ... | 1.05,47,000 | 1,05,47,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 46 | वन विभाग ... | राजस्व | 35,37,81,000 | 20,000 | 35,38,01,000 |
| | | पूंजी | 16,34,000 | ... | 16,34,000 |
| 47 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)... | राजस्व | 1,75,01,02,000 | 2,88,65,97,000 | 4,63,66,99,000 |
| | | पूंजी | 3,25,00,000 | 7,05,19,87,000 | 7,08,44,87,000 |
| 48 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ... | राजस्व | 66,94,21,000 | 12,02,000 | 67,06,23,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | .. |
| 49 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)... | राजस्व | 2,90,31,000 | .. | 2,90,31 000 |
| | | पूंजी | .. | .. | ... |
| 50 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | राजस्व | 17,59,80,000 | ... | 17,56,80,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | .. |
| 51 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) | राजस्व | 6,36,20,000 | 5,000 | 6,36,25,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 52 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) .. | राजस्व | 22,90,41,000 | 3,60,00,000 | 26,50,41,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | .. |
| 53 | विधान परिषद् सचिवालय ... | राजस्व | 87,66,000 | 2,61,000 | 90,27,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | .. |
| 54 | विधान सभा सचिवालय | राजस्व | 2,34,36,000 | 3,17,000 | 2,37,53,000 |
| | | पूंजी | .. | .. | ... |

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

अपर पुस्तकालय विधानसभा

| 1 | 2 | | | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 55 विज्ञान एवं प्राद्योग विभाग .. | राजस्व | 1,32,17.000 | .. | 1,32,17,000 |
| | पूंजी | .. | .. | ... |
| 56 शिक्षा विभाग ... ... | राजस्व | 4,84,90,79,000 | 3,50,08,000 | 4,88,40,87,000 |
| | पूंजी | 62,00,000 | ... | 62,00,000 |
| 57 श्रम विभाग ... ... | राजस्व | 7,61,69,000 | 3,000 | 7,61,72,000 |
| (श्रमकल्याण) | पूंजी | ... | ... | ... |
| 58 श्रम विभाग ... ... | राजस्व | 7,96,54,000 | 20,000 | 7,96,74,000 |
| (सेवायोजन) | पूंजी | ... | .. | ... |
| 59 संसदीय कार्य विभाग ... ... | राजस्व | ... | ... | ... |
| (विधान मंडल) ... ... | पूंजी | 1,00,000 | ... | 1,00,000 |
| 60 संस्थागत वित्त विभाग ... | राजस्व | 18 22,000 | 4,000 | 18,26 000 |
| (निदेशालय) | पूंजी | 3 ,75,000 | ... | 3 75,000 |
| 61 संस्थागत वित्त विभाग ... | राजस्व | 12,32,18,000 | 40,000 | 12,32,58,000 |
| (विक्रीकर) | पूंजी | ... | ... | ... |
| 62 संस्थागत वित्त विभाग | राजस्व | 46,72,000 | .. | 46,72,000 |
| (मनोरंजन तथा बाजीकर) | पूंजी | .. | .. | ... |
| 63 संस्थागत वित्त विभाग .. | राजस्व | 2,35,99,000 | 4,000 | 2,36,03,000 |
| (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ... | पूंजी | .. | ... | .. |
| 64 सचिवालय प्रशासन ... .. | राजस्व | 11,69,59,000 | 4,000 | 11,69,63,000 |
| विभाग | पूंजी | .. | ... | .. |
| 65 सतर्कता विभाग ... .. | राजस्व | 1,40,67,000 | 7,54,000 | 1,48,21,000 |
| | पूंजी | .. | ... | .. |
| 66 सहकारिता विभाग . ... | राजस्व | 5,61,97,000 | 2,90,10,000 | 8,52,07,000 |
| | पूंजी | 16,34,82,000 | 3,51,34,000 | 19,86,16,000 |
| 67 सहायता और पुनर्वासन ... | राजस्व | 47,36,000 | 5,000 | 47,41,000 |
| विभाग | पूंजी | 55,77,000 | 50,000 | 56,27,000 |
| 68 सांस्कृतिक कार्य ... ... | राजस्व | 86,21,000 | 2,000 | 86,23,000 |
| विभाग | पूंजी | ... | ... | ... |
| 69 सामान्य प्रशासन ... ... | राजस्व | 7,08,000 | 1,000 | 7,09,000 |
| विभाग | पूंजी | ... | ... | ... |
| 70 सार्वजनिक उद्यम ... | राजस्व | 11,11,000 | ... | 11,11,000 |
| विभाग | पूंजी | ... | ... | ... |
| 71 सार्वजनिक निर्माण ... | राजस्व | 23,01,27,000 | 5,000 | 23,01,32,000 |
| विभाग (अधिष्ठान) | पूंजी | 12,56,61,000 | ... | 12,56,61,000 |

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | राजस्व | 3,73,63,000 | 17,000 | 3,73,80,000 |
| | (अनावासिक भवन) | पूंजी | 14,20,68,000 | 1,00,000 | 14,21,68,000 |
| 73 | सार्वजनिक निर्माण ... | राजस्व | 3,26,77,000 | 6,46,000 | 3,33,23,000 |
| | विभाग (आवास भवन) | पूंजी | 5,95,70,000 | 50,000 | 5,96,20,000 |
| 74 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | राजस्व | 1,02,40,000 | 20,000 | 1,02,60,000 |
| | (कार्यात्मक भवन) | पूंजी | 13,49,86,000 | 3,25,000 | 13,53,11,000 |
| 75 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | राजस्व | 58,18,57,000 | 10,000 | 58,18,67,000 |
| | (संचार साधन) | पूंजी | 84,46,55,000 | 50,000 | 84,47,05,000 |
| 76 | सिंचाई विभाग ... | राजस्व | 32,02,46,000 | 10,000 | 32,02,56,000 |
| | (अधिष्ठान) | पूंजी | 37,97,54,000 | ... | 37,97,54,000 |
| 77 | सिंचाई विभाग | राजस्व | 1,76,70,53,000 | 3,000 | 1,76,70,56,000 |
| | (निर्माण-कार्य) | पूंजी | 3,20,31,03,000 | 2,000 | 3,20,31,05,000 |
| 78 | सूचना विभाग | राजस्व | 2,42,98,000 | 2,000 | 2,43,00,000 |
| | | पूंजी | ... | .. | ... |
| 79 | सैनिक कल्याण विभाग | राजस्व | 54,35,000 | 2,000 | 54,37,000 |
| | | पूंजी | ... | ... | ... |
| 80 | स्पोर्ट्स विभाग | राजस्व | 1,49,13,000 | .. | 1,49,13,000 |
| | | पूंजी | ... | .. | ... |
| 81 | हरिजन एवं समाज कल्याण | राजस्व | 78,83,96,000 | 3,000 | 78,83,99,000 |
| | विभाग | पूंजी | 2,000 | ... | 2,000 |
| 82 | क्षेत्रीय विकास विभाग | राजस्व | 29,40,04,000 | ... | 29,40,04,000 |
| | | पूंजी | 5,15,00,000 | ... | 5,15,00,000 |
| | योग | राजस्व | 22,39,66,24,000 | 3,36,04,07,000 | 25,75,70,31,000 |
| | | पूंजी | 14,45,47,91,000 | 7,55,50,53,000 | 22,00,98,43,000 |
| | कुल योग ... | | 36,85 14,15,000 | 10,91,54,59,000 | 47,76,68,74,000 |

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड--2, 3, अनुसूची खण्ड--1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायँ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1983 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । मैंने सबको देखा है । माननीय प्रदीप कुमार यादव की जनपद, बहराइच में ईंट भट्ठा उद्योगों से लाइसेंसों को निरस्त किये जाने के संबंध में जो है, उसको मैंने स्वीकार किया है, बाकी को स्वीकार किया है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, वक्तव्य कब होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 5 अप्रैल को लगा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

5 अप्रैल को होगा ।

### ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली जनपद वाराणसी में हरिजनों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

* हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचाननुसार ग्राम फगुइया थाना चन्दौली जिला वाराणसी के 40 हरिजन परिवारों को वहाँ के सवर्ण जाति के लोगों द्वारा गत 22 वर्षों से उत्पीड़ित किये जाने की बात सही नहीं पायी गई । तथ्य यह कि पुलिस द्वारा उक्त गाँव के हरिजन परिवारों की सुरक्षा का बराबर ध्यान रक्खा जाता है । हरिजनों द्वारा जब-जब शिकायतें की गई है उन पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

कु० महरजिया पुत्री सहदेव के साथ सवर्ण व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में थाना चन्दौली पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उक्त ग्राम के सवर्ण जाति के लोग सम्भ्रान्त व्यक्ति हैं और उनका सम्बन्ध न तो किसी अपराधिक गैंग से है और न ही उनके द्वारा हरिजनों के घर डकैती डाली गई है । यह सही नहीं है कि सवर्ण जाति के लोगों की सांठ-गांठ जनपद वाराणसी की पुलिस से होने के कारण कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। यह भी सही नहीं है कि गत 22 वर्षों से प्रयास करने के उपरान्त भी हरिजनों की कोई सहायता नहीं की जा सकी बल्कि वास्तविकता यह है कि समय-समय पर हरिजनों द्वारा दर्ज कराये गये अभियोगों में नियमानुकूल कार्यवाही की जाती रही है । गाँव का कोई भी हरिजन परिवार गाँव छोड़कर अन्यत्र नहीं गया है बल्कि सभी परिवार गाँव में ही रह रहे हैं ।

वर्तमान समय में हरिजन परिवारों को कोई परेशानी नहीं है । लोग पूर्ववत शान्ति-पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं तथा किसी प्रकार का भय आतंक व्याप्त नहीं है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे खेद है कि इस स्टेटमेंट से माननीय मन्त्री जी ने स्वर्ण जाति के लोगों को जो हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से दिनांक 27/2/83 और 26 जुलाई, 1982 को कोई पत्र इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है हरिजनों के ऊपर अत्याचार के सम्बन्ध में ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि नकछेद भारती ने 16 एफ० आई० आर० 399/397/436 वगैरह वगैरह ही नियस काइम्स की दर्ज करायी हैं थाना चन्दौली में ? यदि हां तो उनके ऊपर जांच करके कोई मुकदमा कायम किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, हरिजनों ने जो एफ० आई० आर० लिखाई हैं, सन् 67 में जो रिपोर्टें की गयी हैं उनकी विवेचना मेरे समक्ष है। 31-12-67 को जो अभियोग पंजीकृत किया गया, उसका आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। 21/3/76 को जो पंजीकृत किया गया उसका अभियोग पत्र न्यायालय को प्रेषित किना जा चुका है। 22/6/76 को जो पंजीकृत हुआ उसकी विवेचना की गयी और अभियोग पत्र न्यायालय को भेजा गया।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न यह है कि 16 रिपोर्टें उन हरिजनों ने की हैं जिसमें डकैती, आगजनी वगैरह वगैरह हैं। इनकी लिस्ट मेरे पास है, कापी मेरे पास है। तो क्या जाँच करके किसी तरीके से मुलजिमों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैं तो इन 16 के डिटेल आपको बता रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा यह प्रश्न है कि क्या जो 16 रिपोर्टें की गयी हैं वह झूठी साबित हुई हैं, क्या किसी भी एफ० आई० आर० को इस योग्य नहीं समझा कि कोई कार्यवाही की जाती।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, अभी विवरण दिया है, विवेचना करके अभियोग पत्र अदालत भेजे गये हैं। जो वह नकछेद भारती है उनके ऊपर 28 केसेज चल रहे हैं। 24 (स) के हिस्ट्रीशीटर हैं। इस पर जितने केसेज हैं शायद उतनी एफ० आई० आर० भी नहीं की गयी होंगी ?

श्री राम गोविंद—

मान्यवर, जो वक्तव्य आया है वह बिल्कुल ऐसे ही लिखा दिया गया है। क्या मन्त्री जी इस बात की गंभीरता को देखते हुये कि जानबूझ कर सवर्णों ने हरिजनों के उत्पीड़न किया है। पुनः इस मामले की जाँच करायेंगे।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैं भी बनारस 2,3 बार गया हूं । नकछेद भारती मुझसे मिले । मैंने इसकी जाँच करायी । जिन लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखायी गयी है वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । आश्चर्य की बात यह है कि यदि मैं मान भी लूँ 2 मिनट के लिये पुलिस मिली है तो कितने थानाध्यक्ष मिल गये । 76 से लेकर 83 तक कई धानाध्यक्ष, सी० ओ० एस० पी० आये और बदल गये होंगे । 22 वर्ष से लगातार उत्पीड़न हो रहा है और ऐक्शन नहीं हुआ यह कल्पना की बात है । अगर कोई व्यक्ति विशेष हरिजनों से दुश्मनी रखता हो तो मैं मान भी लेता । तो जो रिपोर्टें की गयी हैं उनकी विवेचना की गयी है और उन पर कार्यवाही की गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह नकछेद भारती, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कितने अभियोग दर्ज हुए हैं थाने में उन अभियोगों का रूप क्या है, कितनी दफायें उनके अभियोगों पर लगायी गयी हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

इन पर 28 केसेज हैं और लिखा गया है कि श्री नकछेद भारती एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा थाना चन्दौली का एक सक्रिय दुराचारी (हिस्ट्रीशीटर) है जिसकी हिस्ट्री-शीट संख्या 24 (ए) है । अभी तक इसकी निगरानी प्रचलित है । यह 28 केसेज हैं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं इसी से संतुष्ट हूँ । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह हिस्ट्री शीट कब से खुली है और कितने दिनों से खुली है ?

श्री गुलाब सेहरा—

1976 से ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि नकछेद भारती को अदालत में भेजा गया और अदालत से उन पर वे साफ तौर से छूट गये ? इस तरह से वे केसेज जो रखे हैं, वह झूठे साबित हो गये ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् इसके पूरे 28 केसेज हैं । लेकिन, मैं इतना बता चुका हूँ कि वे निगरानी में रहते हैं । उनकी हिस्ट्रीशीट संख्या 24 ए है ।

श्री प्रमोद कुमार—

वे हिस्ट्रीशीटर तो हैं ही ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री भीखालाल—

यह नकछेद भारती, जिनका नाम लिखा गया है, 1976 से पहले, 1964 से 1976 तक इस अभियुक्त ने कितनी रिपोर्टें दूसरों के खिलाफ लिखायी, कितनी चार्जशीट अदालत में गयी और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

1964 से पहले का रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मैं 1964 के बाद की बात कर रहा हूं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात के लिए तैयार है, कि जो दोनों चिठ्ठियां मैंने बतलायी, जो प्रधान मन्त्री जी के यहां के पत्रों के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ भेजी गयी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी के नाम, एक भेजी गयी है 26 जुलाई, 1982 को राजेन्द्र धवन जी के हस्ताक्षरों से श्रीपति मिश्र के नाम लिखी गयी है, दूसरी भेजी गयी है श्री एस0 के0 वर्मा द्वारा 26-2-83 को, जो पिटीशन आफिसर हैं प्रधान मन्त्री जी के उनके दफ्तर से, यह दोनों दरख्वास्तें प्रधान मन्त्री जी के यहां से आयी हैं, उनको आधार बनाकर क्या इस सारे काँड में, जो 20 साल से 40 परिवार घर छोड़े फिर रहे हैं, पुलिस की दहशत से, या किसी वजह से, पूरी जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो आदरणीया प्रधान मन्त्री जी के यहां से प्रार्थना पत्र आये हैं, उचित कार्यवाही के लिए, मैं उसे दिखवा लूंगा। मैं तो चाहूंगा कि रियासत साहब बता दें, यह हरिजनों का मामला है कि किस ऐजेन्सी से इन्कवायरी कराने की आवश्यकता है; उसके लिए भी मैं तैयार हूँ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि जो प्रधान मन्त्री के यहां से पत्र आये हैं, जिस एजेन्सी से आप संतुष्ट हों, जो जबाब दिया है, उसको बिल्कुल अलग रखकर, जो भी तथ्य हैं, जिस एजेन्सी से आप समझते हों, उस एजेन्सी से सही निष्पक्ष इसकी जाँच कराने की घोषणा कर दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

मुझे रियासत साहब इतनी मदद कर दें कि किस टर्म आफ रेफरेंश में इसकी इन्कवायरी करा दूं।

(इस समय 4 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठता
श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

श्री रियासत हुसैन—

सन् 62 में सर्वणों ने उसके घर में घुसकर बलात्कार किया, और उसका उन लोगों ने विरोध किया, सर्वणों का विरोध किया मुकाबले के लिए तैयार हो जाय। यही उनका जुल्म हो गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो झूठे मुकदमें कायम करने का काम शुरू हो गया और उनके यहाँ आगजनी और झूठे केसों में फंसाने का काम शुरू हो गया। 62 से शुरू हुआ। वह घटना हुई और उसका विरोध हुआ या नहीं हुआ, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, वहीं से सारी चीजें दोनों तरफ से शुरू हो गई। उन्होंने दरख्वास्त दिया और उनके ऊपर जो दरख्वास्त हुई इस चीजों की जाँच करायें।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर आप 24 साल पहले के केसेज को रेफर कर रहे हैं। हमारी एजेन्सी ने यह तथ्य उद्घाटित किया कि उत्पीड़न नहीं हुआ। आप हमको 16 केसेज की लिस्ट दे दें मैं डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल से इसकी जाँच करा दूँगा।

## सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में प्रवेश न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों के एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स तथा कतिपय अन्य कोर्सों में प्रवेश कम्बाइन्ड प्री मेडिकल टेस्ट द्वारा दिया जाता है। एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में प्रवेश पाने के लिये अभ्यर्थियों को सी0 पी0 एम0 टी0 के चार प्रश्न पत्रों केमेस्ट्री, फिजिक्स, जूलोजी, एवं बाटनी में परीक्षा देनी होती है। सी0 पी0 एम0 टी0 के प्रश्न पत्र आब्जेक्टिव टाइम के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर प्रश्न पत्र में दिये गये होते हैं। अभ्यर्थियों को उनमें से सही विकल्प पर निशान लगाना होता है। सही उत्तर कम्प्यूटर को फीड कर दिये जाते हैं तथा कम्प्यूटर द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाता है।

सी0 पी0 एम0 टी0 1982 के कतिपय प्रश्नों के उत्तर के संबन्ध में याचिकायें दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने कतिपय विवादग्रस्त प्रश्नों के विश्वविद्यालय द्वारा निर्णीत उत्तरों को सही बताया परन्तु केमेस्ट्री प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 24 बाटनी के प्रश्न संख्या 66 तथा जूलोजी प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 23 के विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर को सही नहीं माना। संबन्धित विषय के विशेषज्ञों/पेपर सेटर्स ने उक्त प्रश्नों के विश्वविद्यालय द्वारा उत्तरों को सही बताया था और तदनुसार प्रश्नगत रिट पिटीशनों में उच्च न्यायालय में प्रति शपथ-पत्र भी दाखिल किया गया था। परन्तु उच्च न्यायालय ने विषय विशेष के विशेषज्ञों/पेपर सेटर्स की राय के प्रतिकूल रिटकताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर रिटकर्ताओं द्वारा अंकित उत्तर को सही माना तथा रिटकर्ताओं को उक्त प्रश्नों के सही उत्तरों के 3-3 अंक तथा गलत उत्तर के लिये काटे गये एक-एक अंक अर्थात् कुल 12 अंक प्रदान करने के आदेश दिये। इस प्रकार अंक जोड़ दिये जाने पर एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में प्रवेश के लिये जो रिटयाची पात्र हो जायेंगे, उन्हें प्रवेश दिये जाने के आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1983 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विधिक एवं अन्य संगत पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि विधिक प्रणाली में किसी निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर उच्चतम न्यायालय में अपील भी की जा सकती है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर मन्त्री जी ने कहा माननीय हाई कोर्ट ने दाखिला देने के लिये कहा है, फिर आपने कहा जाँच करा रहे हैं, फिर कह दिया कि सन्तुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जायेंगे।

मैं जानना चाहता हूँ इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। हाईकोर्ट ने एडमिशन के के लिये कह दिया है। इन सब बातों पर विचार करके स्पष्ट घोषणा करेंगे मन्त्री जी की उनको दाखिला दे दिया जायेगा ?

श्री बासुदेव सिंह—

इसमें बहुत पेचदगियाँ है। इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। सब नम्बर जोड़कर इसको देखना होगा। हाई कोर्ट का निर्णय तो मान्य है ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है।

बच्चों के हित की बात हम भी सोचते हैं लेकिन नियम भी एक है। कितनों को पढ़ाई दे सकते हैं ? अगर हमारे यहाँ 100 के लिए जगह है और 150 भर दें तो बच्चों का तो इससे हित होगा नहीं। इसलिए यह सारा मामला शासन के विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विधिक एवं संगत पहलुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीखा लाल—

24 फरवरी, 1983 को उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, उसके संगत पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो कुछ असंगत पहलू भी हैं तभी आप संगत पहलुओं को ढूंढ रहे हैं। इसमें अब केवल दो ही रास्ते हैं कि या तो आप प्रवेश दें या सुप्रीमकोर्ट में जायें। तो यह सब कब तक हो जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

इन दोनों ही सवालों पर आज या सोमवार तक निर्णय हो जायेगा। क्योंकि शासन ने निर्णय ले लिया है कि विधिक पहलू के बारे में जो राय हाईकोर्ट की है उसको चुनौती देना श्रेयस्कर होगा। इसलिए बच्चों का ख्याल करते हुए पेपर के बारे में कोई राय हाईकोर्ट दे या न दे, उसकी सक्षमता, इन सबको देखना होगा नहीं तो आगे और भी बहुत से मामले उठ सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि आज या सोमवार तक सुप्रीमकोर्ट में इसकी अपील हो जाये।

श्री रियासत हुसैन—

अब मान्यवर, प्रश्न क्या करूँ ? मन्त्री जी कहते हैं कि बच्चों के हित को हम भी देखते हैं और हाईकोर्ट ने कह दिया कि दाखिला दिया जाये, और बैठते-बैठते कह दिया कि हो सकता है मण्डे तक सुप्रीमकोर्ट में अपील हो जाये। तो यह तो तब होगा जब आप दृढ़ होंगे कि दाखिला नहीं देंगे, अपील हो और सुप्रीमकोर्ट में जाना पड़े। अगर आप सहानुभूति रखते हैं, हाईकोर्ट का आदर करते हैं, जो जजमेण्ट दिया है, वाकायदा बहस और जिरह के बाद ही दिया होगा, तो हाईकोर्ट का आदर और...

श्री अधिष्ठाता—

रियासत साहब, आप सवाल करें। आप स्वयं स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसको कैरीआउट करने में हमारी कोई बेइज्जती तो होती नहीं, तो क्या इस चीज को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि हम अपील में नहीं जायेंगे ? अपने हाईकोर्ट का परीक्षण अपने ही सरकार तक लिमिटेड रखेंगे और जो निर्णय दिया है उस पर अन्तिम निर्णय लेंगे सुप्रीमकोर्ट में नहीं जायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मैं रियासत हुसैन साहब की भावना से अवगत हुआ, लेकिन अगर हो गया होगा तो मैं क्या कर सकता हूं। बच्चों का सवाल अलग कर दीजिये। क्या हाईकोर्ट नम्बर दे सकता है, 12 नम्बर, 10 नम्बर। तो इसी का परीक्षण होना है और हाईकोर्ट के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा और उच्चतम न्यायालय ही इसमें कुछ कर सकता है और जो फैसला हो जायेगा तो उसमें हित का ध्यान तो है ही। संसदीय कार्य मन्त्री ने पहले कुछ कहा भी था, मैं उससे अलग तो हूँ नहीं, उससे मैं अपने को अलग नहीं करता लेकिन विधिक दृष्टि से दिमाग लगाना जरूरी समझता हूँ।

श्री अकबाल हुसैन--

माननीय अधिष्ठाता जी, इसी तरह का विषय जम्मू और कश्मीर के सी० एम० टी० के विद्यार्थियों का सुप्रीमकोर्ट में पेश हुआ। दो वर्षों से लगातार सुप्रीमकोर्ट ने यही मत दिया कि इन लड़कों को दाखिल कर लिया जाये। सुप्रीमकोर्ट की रूलिंग पूरे देश के लिये लागू होती है। उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी प्रदेश सरकार के खर्चे को, जो हाई कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाने से होगा, बचाने की कृपा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट नहीं जायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

विधि के लोग गये हैं। उस पहलू को देखकर ही करेंगे।

श्री रेवतीरमण सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी का जो वक्तव्य है उसमें विरोधाभास है। उस रोज श्री अम्मार रिजवी संसदीय कार्य मन्त्री जी ने स्पष्ट घोषणा किया था कि हम लोग हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करेगें। एक तरफ कहते हैं हाई कोर्ट नम्बर के बारे में क्या करेगा। हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि बंगलिंग होती है, इन लड़कों को एडमीशन मिलना चाहिये। सुप्रीमकोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है ? एडमीशन देने में क्या दिक्कत है ?

श्री वासुदेव सिंह—

हाई कोर्ट के फैसले की मान्यता है, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई फैसला नहीं हो जाता। प्रबेश तो देना पड़ेगा हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूँ।

(सदन की बिजली चली गयी।)

(बिजली आने पर)

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनको सुप्रीमकोर्ट जाने के लिये लीव टु अपील मिलनी चाहिये। वह नहीं मिली। अब हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीमकोर्ट जाने की क्या आवश्यकता है ? क्या हाई कोर्ट के फैसले को मानेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय सदस्य को चिन्ता करने का मामला नहीं रह जाता। प्रश्न यह है कि हाई कोर्ट ने यह समझा है कि कोई विधि का पहलू अन्तर्गस्त नहीं है। इसलिये उन्होंने कहा कि सुप्रीमकोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। शासन यह समझता है और विधि विभाग यह समझता है कि एक पहलू विधिक महत्व का अन्तर्ग्रस्त है जिसकी सफाई जरूरी है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ —

आप सुप्रीमकर्ट जा रहे हैं। चले गये या नहीं चले गये ? दो-तीन दिन में बता देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

या तो आज हो गया होगा या सोमवार को हो जायेगा। आपकी भावनायें जो हैं उनको भी हम देख रहे हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, हाई कोर्ट का आदर भी हो जाये और सरकार का हठ भी रह जाये। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह संभव नहीं है कि उन बच्चों को प्रवेश दे दें ? प्रवेश देने के बाद अगर सुप्रीमकोर्ट जाना चाहे तो चले जायें ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, अगर छात्रों को प्रवेश दे देंगे तो फिर उच्चतम न्यायालय में जाने का क्या औचित्य रह जाता है। माननीय सदस्य की भावना है। बहुत जल्दी ही इस मामले पर निर्णय हो जायेगा। केवल दिनों का सवाल है।

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह हाईकोर्ट का निर्णय है उससे कितने छात्र प्रभावित हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं।

और जो सत्र आने वाला है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको प्रवेश दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम दो हिस्सों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, जहाँ तक बच्चों के भविष्य का सवाल है किसी भी छात्र का भविष्य नष्ट नहीं होगा। इस पर जल्दी से फैसला ले लिया जायेगा। ऐसे छात्रों की संख्या 27 है जिन्होंने रिट की है। लेकिन हो सकता है कि जब इस हाई कोर्ट के फैसले को मान लिया जाय तो और भी सैकड़ों छात्र, जो इस परीक्षा में बैठें हों, निकल सके। इस पर सोचना पड़ेगा। अगर हाई-कोर्ट प्रशासन में तथा छात्रों को नम्बर देने आदि में तय करने लगे तो उसके बारे में सोचना पड़ता है……

श्री कुबेर भण्डारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप इस मन्त्रि मण्डल के समाप्त हो जाने के पहले ही इस पर निर्णय ले लेंगे या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूँ ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जो से जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय श्री रियासत हुसैन साहब ने कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला हैं तथा विशेष रूप से बच्चों के हित में ध्यान में रखते हुए, क्या आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के पक्ष में है या विरोध में ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, दो इच्छाएँ होती हैं—एक जनरल होती है और दूसरी स्पेशल होती है । इस जनरल विल और स्पेशल विल में बहुत बड़ा अन्तर होता है । जनरल विल समाज की होती है । हो सकता है कि बच्चों का नुकसान कम हो और सारे प्रदेश का नुकसान ज्यादा हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र—[ × × ]

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय काशीनाथ जी ने आवेश में आकर हाईकोर्ट पर टीका टिप्पणी कर दी है·····

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन मैंने उस सवाल की इजाजत नहीं दी है ।

श्री रियासत हुसैन—इजाजत का सवाल नहीं है प्रोसीडिंग में अगर आ गया हो तो प्रोसीडिंग से निकलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इसको मैं देख लूंगा ।

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में नाइट्रस आक्साइड और आक्सीजन गैस की कमी हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अस्पतालों में आपरेशन के समय प्रयोग की जाने वाली गैसें आक्सीजन और नाइट्रस आक्साइड हैं । आक्सीजन का निर्माण प्रदेश में आठ इकाइयों द्वारा किया जा रहा है जिसमें प्रमुख इण्डियन आक्सीजन लि० कानपुर है । इसी फर्म द्वारा नाइट्रस आक्साइड भी निर्मित किया जा रहा था । 11 मार्च 1983 को उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजको द्वारा गणेश फ्लोर मिल्स कानपुर की कम्प्रेसिंग यूनिट में अपने 6 श्रमिकों की छटनी किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी आन्दोलन के कारण उक्त इकाई का उत्पादन रुक गया है । फिलहाल अस्पतालों में इण्डियन आक्सीजन लि० द्वारा उपलब्ध स्टाक से गैसे आपूर्ति की जा रही है । चिकित्सालयों

नोट—[ × × ]यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में आवश्यक आपरेशनों का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। गैसों को जो स्टोर इन चिकित्सालयों में था उसे एहतिहात से इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी अस्पताल में इन गैसों के अभाव में आवश्यक सर्जरी के केसेज को वापस नहीं किया गया है। जहाँ तक इन गैसों का सम्बन्ध है, इण्डियन आक्सीजन लि० के अलावा जो अन्य इकाइयाँ है उनसे इन्हें प्राप्त करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजे जा रहे हैं ताकि अस्पतालों में इसका अभाव न रहे। जहाँ तक इण्डियन आक्सीजन लि० में हड़ताल का प्रश्न है, 6 छटनी शुदा कर्मचारियों को प्रतिष्ठान द्वारा पुनः सेवा में लिये जाने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी सेवायोजकों से वार्ता कर रहे हैं। हड़ताल को शीघ्र समाप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री शंकर सिंह—

माननीय मन्त्रीजी मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके प्रदेश के जो ड्रग कंट्रोलर हैं, क्या यह बात सही है कि आज से माह दो माह पहले स्वास्थ्य निदेशालय के अधीन था और जब से वह आटोनोमस हो गया है, तब से उसे यह अधिकार भी प्राप्त हो गये हैं कि वह गैसेज और दवाओं को चेक कर सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

जब आपकी यह जानकारी है तो इसे गलत कौन कह सकता है ?

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न का भी जबाब नहीं आया अब दूसरा प्रश्न करता हूं कि जैसा आपने अपने वक्तव्य में दिया उसकी भाषा हालाँकि बड़ी संभाल कर लिखी गयी है, लेकिन उससे उसकी असलियत का पता चल जाता है कि आक्सीजन गैस का अभाव न रहे इसके लिए यह प्रयास किये गये, इसके मायने यह हुए कि इसका अभाव अस्पतालों में रहता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी केसेज में ही होता है और समान केसेज में इसका इस्तेमाल आपरेशन वगैरह में नहीं होता है। वैसे आपके प्रदेश में आक्सीजन गैस की आठ इकाईयाँ है, केवल इण्डियन आक्सीजन लि०, कानपुर को छोड़कर और किन-किन कम्पनियों से ले रहे हैं और यदि नहीं ले रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं। दूसरे एक नाईट्रोजन गैस, आक्सीजन गैस इन 8 फर्मों में से कौन सी फर्म बना रही है और कौन सी फर्म सप्लाई कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मेरे पास इन फर्म्स की लिस्ट है, मैं इनके नाम आपको गिनवाएं देता हूं।

श्री शंकर सिंह—

फर्म्स के नामों की माननीय मंत्री जी आवश्यकता नहीं है इसे रहने दीजिए, केवल आप यह बता दीजिए कि आक्सीजन गैस इण्डियन आक्सीजन लि०, कानपुर के अलावा भी कौन सी फर्म सप्लाई करती है और यदि नहीं तो क्या कारण हैं इसके ? दूसरे नाइट्रोजन आक्साईड गैस कौन सी फर्म बना रही है और कौन सी सप्लाई कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

इन 8 फर्म्स में से सबसे महत्वपूर्ण कम्पनी इण्डियन आक्सीजन लि०, कानपुर वाली है, वैसे अन्य 7 और भी हैं, उनके नामों की लिस्ट हमारे पास है, यदि आप कहें।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मन्त्री जी आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। गैसेज में दो गैसेज हैं, एक आक्सीजन और दूसरी है नाईट्रो आक्साईड तो इस गैस को प्रदेश की कौन सी फर्म बना रही है और कौन सी फर्म सप्लाई कर रही है, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं।

आप जो नाम ले रहे हैं वह आक्सीजन जहाँ से लेते हैं उसका नाम ले रहे हैं। क्या आक्सीजन और नाइट्रस दोनों गैसों की सप्लाई इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कानपुर के अलावा कोई दूसरी इकाई भी सप्लाई कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह—

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कालपी रोड, कानपुर से ली जा रही थी इसके अतिरिक्त 7 इकाईयां और हैं।

श्री शंकर सिंह—

यह इकाईयां तो निर्माण कर रही हैं मैं पूछ रहा हूं कि सप्लाई कौन कर रहा है ?

श्री हुकुम सिंह---

मान्यवर, ये बता नहीं पा रहे हैं, इसको स्थगित कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

बता तो रहे हैं, स्थगित क्यों करें ?

श्री वासुदेव सिंह---

प्रश्न यह है कि मुख्य रूप से जो निर्मित करेगा, वह सप्लाई तो करेगा ही। जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है कि 6 श्रमिकों की छंटनी कर दी गयी थी, जो कि गलत हुई है, कोशिश की जा रही है कि कानपुर की इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड चालू हो जाय और काम शुरू हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब कितने सवाल और हैं ?

श्री शंकर सिंह—

क्लियर तो हो नहीं पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता---

आप वक्तव्य को सामने रख कर प्रश्न करिये।

श्री शंकर सिंह—

मैं तो वक्तव्य को सामने रखे हुए हूँ पर मन्त्री जी भी तो वक्तव्य को सामने रख कर जवाब दें। माननीय मन्त्री जी में यह जानता हूँ कि जो बनायेगा वही सप्लाई भी करेगा। जो बनाने वाला है यह कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मैन्यूफ़ैक्चर सप्लाई भी करे। मैं आपसे सीधे-सीधे पूछ रहा हूँ कि आप इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के अलावा क्या किसी दूसरे कंसर्न से आपने नाइट्रस गैस ली है ?

श्री वासुदेव सिंह---

नहीं। यह इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड, कानपुर ही करती है वहीं से होती है सप्लाई, परन्तु दोनों गैसों का आना बन्द है। यह हमको नहीं मिल रही है क्योंकि सम्पूर्ण सम्भरण इसका नहीं हो रहा है क्योंकि 6 श्रमिकों की छंटनी कर दी गयी थी हड़ताले चल रही है। छटनी गलत हुयी थी। शासन इसके प्रति कार्यवाही कर रहा है, हो सकता है कि एक-दो रोज में मामला तय हो जाय।

श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, ऐसी गैसों की प्रदेश में कमी है, जब इनकी कमी है तो इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के द्वारा इसको नाले कर क्या अन्य इकाईयों से जो कि प्रदेश में हैं, उनसे आप

क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या उनसे इन गैसों को लेने के लिये आप सरकार को तैयार करेंगे जिससे कि इन गैसों की कमी को दूर किया जा सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

इसमें कोई इन्कार नहीं है। लेकिन वहाँ से ली जाती थी आप कहते हैं दूसरे फर्म से क्यों नहीं लेते। दूसरे से लेते तो कोई कह सकता है पहले से क्यों नहीं। यह ऐसा हुआ मान लीजिए हर जगह कुछ न कुछ कूड़ा है तो उसको हम एक तरफ से साफ करने लगें। कोई कह सकता है यहाँ से शुरू कीजिए तो काम नहीं हो सकता है। यही बात दूकान के मामले में लागू होती है एक से लिया क्योंकि दूसरे से नहीं लिया।

श्री शंकर सिंह—

माननीय मन्त्री जी यह मैं जान रहा हूं कि आप जो उत्तर दे रहे हैं तो यह आपका विभाग नहीं है। आप मेरी मंशा को समझ लें कि गैस की बड़ी भारी कमी है, वाकई मरीज मर रहे हैं। इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के अलावा भी कई और इकाईयाँ है जैसे कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में जो कि इसे बना रहे हैं। आपके वक्तव्य में साफ लिखा हुआ है अन्य इकाईयों से प्राप्त करने के लिये निर्देश भेजे जा रहे। मान्यवर, आपसे केवल यह अनुरोध है कि जो अभी मैंने ड्रग कन्ट्रोलर की रूपरेखा बतलाई उसी के परिपेक्ष में मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली और फिरोजाबाद में भी ऐसी कन्सर्न हैं जो इसे सप्लाई करती हैं—

तो यह मोनोपली आप समाप्त करेंगे और दूसरे सोर्स से इसको मंगवायेंगे।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री बासुदेव सिंह—

इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसी एक या दो दिन में वह चालू हो जायेगी। जिन 6 लोगों को निकाल दिया गया है वे गलती से निकाले गये हैं। हम इसमें शीघ्रता कर रहे हैं, दूसरे से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा ऐशबाग वाष्प विद्युत गृह लखनऊ को बन्द किये जाने का निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त एवं नियोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने ऐशबाग पावर हाउस लखनऊ को दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से स्थाई रूप से बन्द करने का निर्णय लिया है किन्तु इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जाना है और मामला शासन के विचाराधीन है। इस विद्युत गृह के चार छोटे बायलर और चार-चार मेगावाट की दो मशीनें लगभग 47 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। तीन बायलर एवं चार चार मेगावाट की दो अन्य मशीनें 31 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थीं, अतः यह पावर हाउस अपना उपयोगी जीवन काल समाप्त कर चुका है और इस पावर हाउस के बायलरों के निर्धारित गुणों का कोयला भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसके बायलरों के संयंत्रों पर उत्तरोत्तर अधिक भार पड़ रहा है तथा प्रति यूनिट कोयले का खर्चा भी प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। इन कारणों से पावर हाउस की कार्यक्षमता में उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है तथा उत्पादन लागत भी बढ़कर अत्यधिक हो गई है जिससे राज्य विद्युत परिषद को लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त पावर हाउस की बिगड़ती हुई दशा को दर्शाने वाले गत तीन वर्षों के उत्पादन एवं लागत संबंधी आंकड़े दिये जा रहे हैं।

| वर्ष | उत्पादन (मिलियन यूनिट) | प्रति यूनिट कोयले खर्चा (के0 जी0/यूनिट) | लागत पैसे/प्रति यूनिट |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 2.06 | 1.58 | 65 पैसे |
| 1981-82 | 1.78 | 1.51 | 80 पैसे |
| 1982-83 | 0.92 | 1.74 | 108 पैसे |

(2) विद्युत गृह की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने इसे स्थाई रूप से बन्द करने का निर्णय लिया है और परिषद का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर ऐशबाग का पावर हाउस एक अप्रैल से बन्द करने का फैसला शासन ने लिया है और इसका कारण यह दिया है कि इस विद्युत गृह के चार छोटे बायलर और चार चार मेगावाट की दो मशीनें लगभग 47 वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। तीन बायलर एवं चार-चार मेगावाट की दो अन्य मशीनें 31 वर्ष पूर्व स्थापित की गयी थीं अतः यह पावर हाउस अपना उपयोगी जीवन काल समाप्त कर चुका है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानता चाहता हूँ कि बजाय बन्द करने के नयी मशीनों के न लगाये जाने का क्या कारण है, क्या शासन नयी मशीनों को लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

चार मेगावाट की मशीने लगी हैं। अब 200 और 400 मेगावाट का जमाना है। 4 मेगावाट का जमाना समाप्त हो गया है ।

श्री भीखा लाल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसको बन्द करने के बजाय बड़ी मशीने लगाने पर क्या शासन विचार कर रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

टांडा में और ऊंचाहार में लगी है । यहाँ पर लगाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री भीखा लाल—

श्रीमन्, इस पावर हाउस के बन्द होने से कितने मजदूर बेकार होंगे और उनको समायोजित करने के लिये क्या योजना है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जो राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारी हैं उनका बेकार होने का सवाल नहीं है। बाकी के सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है और यही शासन के विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इसी तरह के जो और भी पावर हाउस बेकार हो गये हैं या पुराने हो गये हैं उनको भी बन्द किया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त---

इसकी कोई निश्चित सूचना नहीं है लेकिन जो औब्सीलिट हो गये हैं, अनुपयुक्त हो गये हैं उनको बन्द करना चाहिए ।

श्री माधव प्रसाद—

मेरी बात को सही मानते हुये सुहावल पावर हाउस भी 4 महीने से बन्द है और उसकी क्षमता 15 मेगावाट है। क्या उसको भी बन्द करने पर विचार कर रहे है या उसको चला रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह तो विद्युत् परिषद् से पूछना पड़ेगा कि वह क्या कर रहे है ।

श्री भीखा लाल—

मंत्री जी ने कहा कि शासन के विचाराधीन है तो क्या शासन इस पर विचार कर रहा है कि ऐशबाग पावर हाउस को बन्द करके उसे किसी प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

अगर वह जंक हो गया होगा तो उसे कोई भी खरीद ले। भीखा लाल जी खरीद सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, सुहावल पावर हाउस के साढ़ें तीन सौ कर्मचारी चार महीने से बैठे हैं और उनको तनख्वाह मुफ्त में दी जा रही है। क्या विद्युत परिषद् साल भर तक उन्हें तनख्वाह देती रहेगी ?

श्री अधिष्ठाता—

यह इससे अनकनेक्टेड सवाल है क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने बता दिया कि विद्युत् परिषद से पूछना पड़ेगा।

विष्णु स्ट्राबोर्ड फैक्ट्री, मोतीनगर, फैजाबाद के अनेक मजदूरों को निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रतिष्ठान के सेवायोजकों ने दिनांक 14-2-1983 को 18 श्रमिकों की सेवायें अकस्मात् समाप्त कर दी। इन श्रमिकों ने दिनांक 15-2-83 को एक उपालंभ श्रम अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर वार्ता हेतु उभय पक्षों को दिनांक 16-2-83 को समझौता वार्ता हेतु बुलाया गया। 16-2-83 को वार्ता की कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि सेवायोजक पक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने स्थगन की प्रार्थना की। तब वार्ता की कार्यवाही दिनांक 17-2-1983, 18-2-1983 एवं 22-2-1983 को सेवायोजकों के अनुरोध पर निश्चित की गई। दिनांक 22-2-1983 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए और कोई समझौता न होने पर वार्ता की तिथियाँ पुनः दिनांक 4-3-83, 7-3-83 एवं 13-3-83 को निश्चित की गई। परन्तु फिर भी उभय पक्षों के मध्य पूर्ण प्रयास करने के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका। संसाधन की कार्यवाही चल रही है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि इन 18 श्रमिकों को जनवरी, 1983 एवं 14 फरवरी, 1983 तक की अवधि का वेतन भी नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत निदेशवाद दायर कर दिये गये हैं जिन पर कार्यवाही जारी है। इसी बीच सेवायोजकों ने 12-3-83 को 10 और श्रमिकों को कार्य से पृथक् कर दिया। इन श्रमिकों के वेतन भुगतान के निदेश वाद भी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दायर कर दिये गये हैं।

यह प्रतिष्ठान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आता है। शासकीय अधिसूचना संख्या 1239/36-3-1016 (एम0 डब्लू) 80, दिनांक 29-6-1981 द्वारा दफ्ती उद्योग के लिये निर्धारित वेतनमान प्रतिष्ठान के श्रमिकों को देय है। निर्धारित न्यूनतम वेतनमान वर्तमान में रु0 208/—प्रतिमाह है। प्रतिष्ठान द्वारा श्रमिकों को रु0 223/—के हिसाब से वेतन भुगतान कम से कम किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में वर्ष 1981–82 के लिये 148 श्रमिकों को 10.81% की दर से बोनस भुगतान किया जा चुका है। परन्तु इन श्रमिकों में हटाये गये 28 श्रमिक सम्मिलित नहीं हैं।

स्थिति पर सतत् दृष्टि रखी जा रही है तथा समस्या के निराकरण हेतु प्रयास जारी हैं। सेवायोजकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि उपरोक्त 28 श्रमिकों और उनके बीच में सेवक और मालिक का सम्बन्ध नहीं रहा है। विवादित श्रमिकों को तथा उनकी ओर से समझौता वार्ता में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से यह परामर्श दे दिया गया है कि यदि समझौते में वे सेवा पाने में असमर्थ रहते हैं तो वे अपना विवाद संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि प्रभावित श्रमिक ऐसा नहीं करते हैं तो श्रम विभाग श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतः अभिनिर्णय की कार्यवाही करेगा।

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिष्ठान का कारखाना अधिनियम, 1948 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, स्थाई आदेश अधिनियम, बोनस अधिनियम, 1985 आदि के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक तथा कारखाना निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इन 28 लेबरों को निकाल दिया गया है और इसको कोई कारण नहीं दिया गया है। कोई शो-काज नोटिस नहीं दिया गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, सेवा-योजकों का कहना है कि वे उनके श्रमिक नहीं हैं। जो हमने निरीक्षण करवाया तो पता चला कि इन श्रमिकों का नाम उनके मास्टर रोल में नहीं था।

श्री मित्रसेन —

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि इन 28 लेबरों में से 3/4 ऐसे हैं--जो स्थाई है—जैसे इन्द्रपाल, विश्व प्रकाश शर्मा, राम बहादुर, राम औतार सिंह। इनमें से इन्द्रपाल को ले-ऑफ करके निकाला गया, विश्व प्रकाश शर्मा को निलंबित किया गया और एक को रिजाइन करके दिखा दिया ? क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है कि ये स्थायी कर्मचारी थे और उनको क्यों निकाला गया ?

श्री सुनील शास्त्री—

इसके सम्बन्ध में फैक्टरी इन्सपेक्टर और लेबर इन्सपेक्टर दोनों से निरीक्षण कराया गया। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जिनको निकाला गया है उनको पुनः नौकरी दिलायी जाय। उसमें कुछ समय लगेगा। फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्रम विभाग इस मामले में ढील नहीं दे रहा है, पूरी कार्यवाही हो रही है।

श्री मित्रसेन—

माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनको जल्दी से जल्दी रख लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह मजदूरों की रोटी का सवाल है। इसको देखते हुये कि वे महीनों से परेशान हैं, क्या श्रम विभाग इस बात का प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र उनको अपने काम पर वापस ले लिया जाय और उनका विवाद खतम हो जाय ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। अगर सेवायोजक उनको नहीं रखते हैं तो उनके सम्बन्ध में यदि हमको कोर्ट में जाना पड़े तो वह कार्यवाही भी हम करेंगे।

## जनपद मेरठ के ग्राम जई में तीन व्यक्तियों को जिन्दा जलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—

श्री गौरीशंकर भैय्या हैं, नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, इसको नियम 56 में मैंने भी दिया था माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आपका नाम इसमें जोड़ देंगे, लेकिन वह जुड़ा नहीं। इसमें मेरी रुचि है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है।

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्यमन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचनानुसार, श्री अतर सिंह, ग्राम जई ने 17-3-83 को थाना भावनपुर में सूचना अंकित कराई कि उनका भतीजा श्री सुभाष, उसकी पत्नी श्रीमती किरण व उनका दो वर्ष का पुत्र मनोज गांव में अपने घर में सो रहे थे। लगभग एक बजे रात्रि सुभाष व उनकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्नी ने "बचाओ-बचाओ" का शोर किया । फलस्वरूप, काफी व्यक्ति मौके पर आ गए और देखा कि उसी गांव के महेन्द्र, बाबू, समर तथा फकीर चन्द्र, सुभाष के मकान पर मिट्टी का तेल डाल कर सुभाष के परिवार को जान से मारने की नीयत से आग लगा रहे थे, जिसकी रोशनी में उक्त व्यक्तियों को पहचाना गया । लोगों को देखकर वे भाग गये । इस सूचना पर अपराध अंतर्गत धारा 436/307 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत किया गया । तीनों घायलों को थाने लाया गया और उन्हें जिला चिकित्सालय, मेरठ उपचार हेतु भेजा गया । जलने से घायल सुभाष एवं मनोज की चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी । फलस्वरूप, अभियोग की धारा 436/307/302 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया । श्रीमती किरण को बचाने का काफी प्रयास किया गया किन्तु उसकी भी मृत्यु 22-3-83 को हो गयी । शव परीक्षण में मृत्यु आग से जलने के कारण होनी पायी गयी ।

जांच में पाया गया कि अभियुक्तगण ने उस कमरे में जिसमें सुभाष व उसका परिवार सो रहा था, में कुण्डी बन्द कर बाहर से ताला लगा दिया था और कमरे के रोशनदान से मिट्टी का तेल व मशाल जलाकर अन्दर फेंका । फलस्वरूप, श्री सुभाष, श्रीमती किरण व उनका पुत्र मनोज जलकर जख्मी हो गये ।

महेन्द्र, बाबू, समर तथा फकीर चन्द्र नामक चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है । विवेचना प्रचलित है ।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें मुझको सूचना मिली है कि श्रीमती किरण गर्भवती थी और उनके पेट में 8 महीने का एक बच्चा था वह भी मर गया । चूँकि माननीय सदस्य ने तीन व्यक्तियों की मृत्यु की बात कही आपने भी तीन व्यक्ति बता दिये । इसकी जांच कर लें इसमें चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । दूसरे मुझे यह भी सूचना मिली है कि वहाँ पर भावनपुर का थानेदार और पुलिस वाले थे...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय धर्मवीर सिंह जी, आप जानकारी के आधार पर प्रश्न करिये ।

श्री धर्मवीर सिंह—

इस घटना स्थल से करीब 4 सौ गज की दूरी में रजवाहा में पुलिस के थानेदार और तीन सिपाही बैठे थे । लेकिन दरोगा थाने वापस चले गये और दो तीन सिपाहियों को उन्होंने सुबह मौके पर भेजा ।

श्री गुलाब सेहरा—

यह सूचना साढ़े 6 बजे मिली और साढ़े तीन बजे रजवाहा पर पुलिस गश्त कर रही थी । लेकिन यह सूचना नहीं है कि वहाँ से पुलिस इतनी दूर थी । बहरहाल आप यह बात संज्ञान में लाये हैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्री धर्मवीर सिंह—

श्रीमती धनवती जिनकी आयु 50 वर्ष है जो मृतक सुभाष की मां हैं तथा शोभा जिसकी आयु 17 साल है जो इस परिवार में मात्र दो सदस्य बचे हैं उनको माननीय मन्त्री जी आर्थिक सहायता देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, यह मामला हरिजन उत्पीड़न में आता नहीं है क्योंकि हरिजन ने ही हरिजन का उत्पीडन किया है और अभियुक्त हरिजन ही हैं हरिजन उत्पीड़न में सहायता हम देते हैं । फिर भी मानवीय आधार पर इसमें आर्थिक सहायता पर विचार करेंगे ।

श्री धर्मवीर सिंह—

थोड़ा मानवीय आधार पर और कानूनी आधार पर भी देखें कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है ।

श्री गुलाब सेहरा—

आर्थिक सहायता के लिये मैंने कह दिया विचार करेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिजन ने हरिजन के घर में आग लगाई है। क्या अभी तक जानकारी के अनुसार इसका कारण क्या था कि हरिजन ने हरिजन के सोते समय आग लगा दिया ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, जो शासन को सूचना प्राप्त हुई है उसमें आपस में इनमें रंजिश थी जिसके कारण यह कांड हुआ है। मान्यवर, जहाँ तक आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है तो इस पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और 4 अप्रैल को 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर सोमवार, 4 अप्रैल, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

25 मार्च, 1983

नत्थी "क"

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

| शिकायतें | स्थिति |
|---|---|
| 1—यह कि प्रार्थीगण के ग्राम प्रधान जी भूतपूर्व तालुकेदार हैं, और उनके लड़के बहुत ही सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं उन लोगों के ऊपर भाँति-भाँति के मुकदमें चल रहे हैं। | 1—श्री जगन्नाथ बख्श सिंह, प्रधान घाटमपुर भूतपूर्व जमींदार हैं। उनके दो लड़के श्री कृष्ण प्रताप सिंह तथा श्री अवधेश नारायण सिंह हैं। इसमें से श्री कृष्ण प्रताप सिंह अजबगढ़ के प्रधान हैं। दूसरा लड़का श्री अवधेश नारायण सिंह ग्राम घाटमपुर में अपने पिता के साथ ही रहते है। भूतपूर्व जमींदार होने के कारण अपने क्षेत्र में उनका दब-दबा है और उनके खिलाफ कुछ मुकदमें भी चल रहे हैं और इसका कारण इन लोगों की जामों स्टेट के तालुकेदारों से आपसी वैमनस्य है। |
| 2—यह कि हम लोग प्रधान जी से जमीन पट्टे पर चाहते थे मगर हम लोगों के पास इतनी दौलत नहीं थी कि उनका पेट भर सकें। | 2—सीलिंग से प्राप्त भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि के पट्टे की कार्यवाही की जा चुकी है। ग्राम घाटमपुर तथा अजबगढ़ में अब भी कुछ भूमिहीन बचे हैं जिनको भूमि का पट्टा किया जाना है। प्रधान द्वारा धनराशि लिये जाने की शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी। |
| 3०—यह कि हम लोगों की ग्राम की सारी जमीन मौजा कल्याणपुर के मजरे जोरावरपुर के ब्राह्मणों को काफी कीमत लेकर प्रधान ने बेंच दिया है। | 3—श्री जगन्नाथ बख्श सिंह (प्रधान) के बड़े लड़के श्री अवधेश नारायण सिंह ने जोरावरपुर मजरे कल्यानपुर के ब्राह्मणों के नाम 6-7 बीघा जमीन बेची है जो सीलिंग से अप्रभावित रही है। इस प्रकार प्रश्नगत जमीन सर्व श्री विक्रम साहेब प्रसाद व रामआसरे मिश्र आदि को बेची |

गई है और इन विक्रयों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत जमीन खातेदारी की निजी जमीन थी।

4—यह कि हम लोगों को जानमाल का भी खतरा हैं। अगर यह बात उनकी जानकारी में आई कि हम लोगों ने दरख्वास्त दी है, ज्ञात रहे कि ग्राम के कुछ लोगों को पट्टा मिला लेकिन जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला।

4—आवंटित भूमि का कब्जा पट्टेदारों को दिलाया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार की गई शिकायतें निराधार पायी गई तथा जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें की गयी है वे ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके पास जीविकोपार्जन हेतु प्रयाप्त भूमि है एवं वे शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—20 का उत्तर पीछे पृष्ठ पर)

जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम/लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत राजस्व परिषद के समक्ष दिनांक 31-1-83 को लम्बित अपीलों।निगरानियों के प्रस्तुत किये जाने का विवरण।

| वर्ष | जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम | | लैंड रेवेन्यू ऐक्ट |
|---|---|---|---|
| | निगरानियां | अपीलें | निगरानियां |
| 1959-60 | 1 | — | — |
| 1964-65 | — | 1 | — |
| 1965-66 | — | 3 | — |
| 1966-67 | — | 3 | — |
| 1967-68 | — | 4 | — |
| 1968-69 | 9 | 30 | — |
| 1969-70 | 6 | 52 | — |
| 1970-71 | 6 | 103 | — |
| 1971-72 | 19 | 253 | 1 |
| 1972-73 | 46 | 603 | 8 |
| 1973-74 | 53 | 810 | 33 |
| 1974-75 | 93 | 744 | 113 |
| 1975-76 | 257 | 640 | 301 |
| 1976-77 | 520 | 786 | 269 |
| 1977-78 | 578 | 1202 | 262 |
| 1978-79 | 659 | 1280 | 317 |
| 1979-80 | 618 | 1144 | 381 |
| 1980-81 | 583 | 866 | 459 |
| 1981-82 | 686 | 1108 | 567 |
| 1982-83 | 312 | 398 | 243 |
| योग | 4446 | 10,030 | 2,954 |

अशोक मुद्रण गृह, इलाहाबाद—69 विधान सभा—5-12-83—(813 प्रतियाँ)